खण्ड-224, अंक-2
मंगलवार, 19 वैशाख, शक संवत् 1883
(9 मई, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 224 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ६ मई, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमारसिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन , श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री

बुद्धीलाल, श्री
बुद्धी सिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल , श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूहलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसेन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल , श्री
महेन्द्रारिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस,' श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुबीरराम, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामग्रधार तिवारी, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रादुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री

रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंहचौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्लाखां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री

हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ९ मई, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले की जल निकासी योजनायें

१—श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री दिनांक २५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर से संलग्न सूची में नियत क्रम संख्या १ से १० तक की ड्रेनों पर काम कब से प्रारम्भ किया जायेगा और उसे कब तक पूर्ण कर देने की योजना है ?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—सूची के क्रम संख्या १ से ३ तक की ड्रेनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है शेष का सर्वेक्षण होना बाकी है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें से किन-किन ड्रेनों पर और कब कार्य शुरू किया जायेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ से ३ तक जिन ड्रेनों का सर्वेक्षण हो चुका है उन पर काम प्रारम्भ न होने का कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति—सर्वेक्षण के बाद टेक्निकल सब-कमेटी के पास सब रिपोर्ट्स आती हैं जो ड्रेन्स ५० हजार रुपये से कम में बनने वाली होती हैं वे गवर्नमेन्ट के एप्रूवल से ही बन जाती है और टेक्निकल कमेटी उन पर काम शुरू करा देती है और ५० हजार रुपये से ज्यादा की स्कीम्स फ्लड कंट्रोल बोर्ड के पास जाती है। वहां से पास होने के बाद फिर गवर्नमेन्ट के पास आती है। गवर्नमेन्ट यह देखती है कि आया पर्याप्त मात्रा में रुपया है या नहीं। अगर रुपया होता है तो काम शुरू कर दिया जाता है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १ से ३ तक की ड्रेनों के एस्टीमेंट्स क्या हैं और क्या उनका कंट्रेक्ट दिया जा चुका है ?

श्री राममूर्ति—पहला बसनही नाला ड्रेन का २४ हजार रुपया, दूसरा फरही नाला ड्रेन का ४५ हजार रुपया और तीसरा असनही नाला ड्रेन का ४५ हजार रुपया एस्टीमेट है। जहां तक खयाल है ठेका किसी का अभी दिया नहीं गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि १ से ३ तक जिन ड्रेनों का सर्वेक्षण हो चुका है उनके तखमीने बोर्ड के सामने कब जायेंगे और क्या बरसात आने के पहले उन पर काम प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री राममूर्ति—इसके बारे में अभी मैं कोई फाइनल बात नहीं कह सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन ड्रेनों के बन जाने से कितनी भूमि पानी से निकल आयेगी ?

श्री राममूर्ति--कितनी जमीन निकलेगी इसका ब्योरा इस समय मेरे पास नहीं है। इन ड्रेनों की लम्बाई का ब्योरा है। पहली ६ मील, दूसरी ११ मील और तीसरी १२ मील की है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन ड्रेन्स का सर्वेक्षण हो चुका है उनको टैक्नीकल बोर्ड के पास न भेजने का क्या कारण है?

श्री राममूर्ति--बोर्ड की मीटिंग रोज नहीं होती है। कभी ३ महीने के बाद, कभी ६ महीने के बाद, वह भी जब मैटीरियल इकट्ठा हो जाता है, होती है। उस वक्त सब प्रोपोजल्स पर विचार होता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन ड्रेन्स का सर्वेक्षण नहीं हो सका है वह कब तक पूरा हो जायगा?

श्री राममूर्ति--मान्यवर, ड्रेन्स का काम लगातार होता चला जाता है। जिनका सर्वेक्षण और मंजूरी हो जाती है उन पर काम चालू हो जाता है। यदि रुपये की कमी होती है तो काम नहीं किया जाता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, आपने उस दिन रूलिंग दी थी कि कोई सेक्रेटरी विधान सभा में न आया करें। अभी एल० एस० जी० के सेक्रेटरी आये हैं। अगर मंत्री जी पहले से कागजात ले लेते तो ज्यादा अच्छा होता। आपकी रूलिंग के बरखिलाफ काम हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस विषय का, अभी जो कार्यवाही हो रही है, उससे कोई संबंध नहीं है। अगर वह दफतर से कागजात मंगा लेते तो ज्यादा अच्छा होता। यह निश्चय हो चुका है कि सदन में बहुत कम बार सेक्रेटरी वगैरह को आना चाहिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित रूप से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है, क्योंकि वह अध्यक्ष की आज्ञा की अवहेलना करके यहां आये हैं।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, मैं नियंत्रण रोज ही करता हूं। अगर हर चीज के लिये विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाय तो गड़बड़ी हो सकती है। मैं तो बाहरी व्यक्ति को निकाल भी सकता हूं, यह प्रश्न क्या है?

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दोनों में कौन-सा उत्तर सही है सूची में नम्बर १ पर है कि काम शीघ्र ही प्रारम्भ होगा तो उस दिन का उत्तर सही है या आज का उत्तर सही है?

श्री राममूर्ति--मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि काम शीघ्र नहीं होगा। अगर यह कहता तो बात दूसरी थी।

श्री अध्यक्ष--शीघ्रता का पैमाना अलग हो सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शीघ्रता का क्या अर्थ लगाया जाय?

श्री राममूर्ति--मैं मतलब नहीं समझा।

श्री अध्यक्ष--उनका मतलब यह है कि दो तीन महीने हो गये हैं जब आपने कहा था कि काम शीघ्र प्रारम्भ होगा और आज भी यही कहा, तो शीघ्रता का क्या मतलब है?

श्री राममूर्ति--इसका साधारण मतलब यह है कि विभाग की हमेशा कोशिश रहती है कि काम शीघ्र शुरू हो। लेकिन जब कोई दिक्कत आ जाती है तो गड़बड़ी हो जाती है वरना यही कोशिश रहती है कि बरसात शुरू होने से पहले जितनी स्कीमें ली जा सकें ले ली जायं। जो रह जाती हैं वह अक्तूबर, नवम्बर में ली जाती हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकत प्रश्न]

*१–२––श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)––[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३–५––श्री रामस्वरूप वर्मा––[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*६–९––श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)––[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

चैनेल कान्स्ट्रक्शन डिवीजन, शाहजहांपुर में अपर्याप्त काम की शिकायत

*१०––श्री रामस्वरूप वर्मा––क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि चैनेल कान्स्ट्रक्शन डिवीजन, शाहजहांपुर के काम समाप्त होने व वहां एक खंड के लिये अपर्याप्त काम होने के कारण सरकारी धन के अपव्यय होने के सम्बन्ध में सिंचाई मंत्री को जनवरी, १९६१ में विधायकों के पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति––जी हां, चैनल कान्सट्रक्शन डिवीजन, शाहजहांपुर में ४ सब-डिवीजन हैं। विगत वर्ष १९६०–६१ में तथा वर्तमान वर्ष १९६१–६२ में चैनल डिवीजन के चारों सब-डिवीजनों में पूरा लोड रहेगा, इसलिये किसी सब-डिवीजन के समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामस्वरूप वर्मा––क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वर्कलोड जो उन्होंने बताया है वह कहां का है और एक डिवीजन में काम होने के लिये कितने लाख का काम होना चाहिये ?

श्री राममूर्ति––एक डिवीजन में लगभग १८ या २० लाख रुपये का काम होता है । एक जो असिस्टेन्ट इंजीनियर है उसके पास चार या पांच लाख रुपये का काम रहता है और एक डिवीजन में चार हम रखा करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, तो उसका चौगुना करीब १८, २० लाख का काम हुआ करता है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा––क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर कांस्ट्रक्शन डिवीजन में कितने लाख का काम है ?

श्री राममूर्ति––शाहजहांपुर डिवीजन के ऊपर सबसे बड़ा काम बौर रिजर्वायर बनाने का है । साथ ही साथ गोमती और बाबूगंज रिजर्वायर का सर्वेक्षण भी यही डिवीजन कर रहा है । दो यह काम हुए और एक शारदा सागर के वाईडिंग अप का काम चल रहा है और एक शारदा फीडर का काम भी यही डिवीजन कर रहा है । इस तरह से काफी काम इस डिवीजन के पास है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा––माननीय मंत्री जी ने कहा कि १८ लाख रुपये का काम कम से कम एक डिवीजन के ऊपर होना चाहिये यद्यपि मेरी सूचना के अनुसार कम से कम ३५ लाख रुपये का होना चाहिये । कम से कम ३५ लाख का काम होने पर एक डिवीजन खोला जाता है । लेकिन उनकी सूचना के अनुसार ही जब शाहजहांपुर डिवीजन में १८ लाख रुपये का काम नहीं है तो उनके वहां रहने का क्या औचित्य है ?

श्री राममूर्ति––ऐसी बात नहीं है । मैंने अर्ज किया कि बौर रिजर्वायर पर, आपने बजट में इस वर्ष देखा होगा, १० लाख रुपया उस पर खर्च होगा और सर्वे के काम के लिये भी कई लाख रुपये खर्च होंगे । जहां तक शारदा का ताल्लुक है फीडर पर १ लाख रुपये का काम बाकी है और शारदा सागर स्टेज दो रिजर्वायर पर करीब-करीब ४ लाख रुपये का काम है । माननीय वर्मा जी ने फरमाया कि ३५ लाख रुपये का काम एक डिवीजन में किया जाता है,

तो जहां डैम वगैरह बनते हैं वहां २० लाख से ऊपर का काम भी एक डिवीजन कर दिया करता है लेकिन जहां काम ज्यादा विस्तार में होता है, बहुत फैला हुआ होता है, वहां १८, २० लाख रुपये से ज्यादा काम नहीं होता है ।

गंगा की बाढ़ रोकने के लिए वरुणा नदी पर रेगुलेटर का निर्माण

*११--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी में बरुणा नदी पर गंगा के कारण होने वाली बाढ़ को रोकने के लिये कोई रेगुलेटर बाढ़ फंड से लगभग ६ लाख रुपये का १९५६ से १९५८ के बीच में लगाया गया है? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में बाढ़ कमेटी ने इस काम को स्वीकार किया और नक्शों पर स्वीकृति दी थी? क्या सरकार इस सम्बन्ध में उन नक्शों को व डिप्टी चीफ इंजीनियर की रपट को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री राममूर्ति--जी हां। इस काम को पहिले बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की टेक्निकल कमेटी ने मंजूर किया और उसके बाद बोर्ड ने इसे स्वीकार किया। टेक्निकल कमेटी द्वारा पास किये हुए प्रस्ताव एक नोट के रूप में बोर्ड के सम्मुख रखे जाते हैं और नक्शे इत्यादि वहां नहीं भेजे जाते हैं। डिप्टी चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट तथा नक्शे यदि माननीय सदस्य चाहें तो मेरे कमरे में आकर देख सकते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है कि माननीय सदस्य मेरे कमरे में आकर देख सकते हैं। मैं साढ़े दस बजे माननीय मंत्री जी के कमरे में गया, लेकिन मुझे देखने को नहीं मिला। इस सवाल के बारे में आपने ही विशेष आदेश दिया है, तीन-चार महीने में उसका जवाब आया है और उसमें भी अब वह इस तरह से टाल रहे हैं। मैंने कहा कि नक्शे दिखा दीजिये तो मुझसे कहा गया कि नक्शे वक्शे तो हैं नहीं.....

श्री अध्यक्ष--आपने नोटिस दिया था कि इस वक्त हम आयेंगे?

श्री रामस्वरूप वर्मा--आज ही के लिये प्रश्न था तो आज ही वह मुझे देखने को मिलना चाहिये। दस साढ़े दस बजे तो हमको उत्तर मिला तो नोटिस किस वक्त दें? सवाल का उत्तर जब मिला तभी मैं चला गया।

श्री अध्यक्ष--तो आप नोटिस उनको इस बात का दें कि अमुक समय पर नक्शे आप तैयार रखें, हम आयेंगे जिसमें उनको भी तो पता चले।

श्री रामस्वरूप वर्मा--श्रीमन्, उत्तर में यह सूचना मिली कि कमरे में आकर देख सकते हैं, तो नक्शे तो हम सवाल पूछने के पहले ही देखेंगे, तभी तो हम उसके ऊपर सवाल पूछ सकेंगे?

श्री राममूर्ति--अध्यक्ष महोदय, आप अगर इजाजत दें तो इस सम्बन्ध में मैं अर्ज कर दूं। वर्मा जी की यह शिकायत मेरी नजर में मेरे सम्बन्ध में सही नहीं है। जब-जब मैंने किसी बात के लिये कहा तो हमेशा मैंने ए से लेकर जेड तक जितने कागजात थे सब उनके सामने रख दिये। यह तो अलग बात है कि तारीख मुकर्रर पर माननीय सदस्य स्वयं न आये हों, लेकिन जब कभी भी किसी चीज के लिये डेट लगायी गई है तो मैंने किसी भी माननीय सदस्य को कोई भी कागज दिखाने से कभी गुरेज नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--वह तो दूसरी बहस कर रहे हैं। वह तो कह रहे हैं कि आपने जवाब दिया कि मेरे कमरे में आकर देख लें, तो उस वक्त से आपको अपने कमरे में हाजिर रहना चाहिये था चाहे उसके लिये वह नोटिस देते चाहे न देते, सबेरे से ११ बजे तक आपको वहां हाजिर होना चाहिये था।

लेकिन मैंने उनको जवाब दे दिया कि उनको नोटिस देकर ही जाना चाहिये।

श्री राममूर्ति--मैं १० बजकर ३० मिनट पर अपने कमरे में पहुंच गया था।

श्री अध्यक्ष--उनको नोटिस देकर जाना चाहिये, इसका मतलब नहीं होता है कि आपका जवाब प्राप्त किये बगैर वे पहुंच ही जायं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--यह उनकी ज्यादती है। यह कहना ही काफी नहीं है कि १०-३० पर वहां पहुंच गये थे। इस प्रश्न को स्थगित किया जाता तो अच्छा था ताकि इस पर सोच समझकर और प्रश्न करते। इस बारे में मैं पहले बता चुका हूं।

श्री अध्यक्ष--वह उनको सदन की मेज पर रखने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि डिप्टी चीफ इंजीनियर ने यह रिपोर्ट दी है कि इस रेगुलेटर से गंगा की बाढ़ नहीं रोकी जा सकती है?

श्री राममूर्ति--वर्मा जी ने जो फरमाया, यह सही है कि इस रेगुलेटर के जरिये से गंगा की बाढ़ पूरी नहीं रोकी जा सकती है। गंगा की जो साधारण बाढ़ हर साल आया करती है वह बाढ़ तो रुक जाती है लेकिन बहुत ऊंची बाढ़ इस रेगुलेटर से नहीं रोकी जा सकती है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब डिप्टी चीफ इंजीनियर ने कहा कि गंगा की जो विशेष बाढ़ आती है उसको यह रेगुलेटर नहीं रोक सकता तो फिर बाढ़ फंड से रुपया देकर इसको बनवाने का क्या कारण है?

श्री राममूर्ति--अब इस समय मैं यह नहीं कह सकता कि बाढ़ समिति के दिमाग में उसका क्या नक्शा रहा होगा। यह सही है कि जैसा मैंने कहा कि यह पूरी बाढ़ को नहीं रोक सकता है। जो थोड़ी बहुत बाढ़ आती है उनको यह रोक सकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या यह सही है कि जब डिप्टी चीफ इंजीनियर ने अपनी रपट भेजी तो विभाग के सेक्रेटरी ने कहा चीफ इंजीनियर से कि यह बाढ़ इससे नहीं रुकेगी? इसके सम्बन्ध में क्या कहना है?

श्री राममूर्ति--इसके बारे में मेरे पास कोई इत्तला नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे इस बात की जांच करके कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट द्वारा लिखे जाने के बावजूद भी चीफ इंजीनियर ने इसको कहा कि चूंकि यह डिप्टी चीफ इंजीनियर के विभाग से सम्बन्धित नहीं है इसलिये इस पर ध्यान न देकर उसको बाढ़ फंड से रुपया न दिया जाय?

श्री राममूर्ति--माननीय सदस्य जो कुछ फरमा रहे हैं उसकी मेरे पास कोई इत्तला नहीं है। आपको किस जरिये से क्या पता लगा इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जब यह रेगुलेटर विशेष परिस्थिति में बाढ़ का नियन्त्रण नहीं कर सकता तो क्या ऐसा कोई बड़ा रेगुलेटर बनवायेंगे जो इमरजेन्सी टाइम में भी बाढ़ को रोक सके?

श्री राममूर्ति--उसका खर्चा बहुत ज्यादा होगा।

[९ मई, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-३--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

सिहवार, चांदपुर के निकट सोते के कटाव को रोकने के लिए बांध बनाने की प्रार्थना

*४--श्री ऊदल--क्या सरकार को पता है कि परगना जाल्हूपुर, जिला वाराणसी में एक सोता १० वर्ष से गांव सिहवार, चांदपुर से निकल कर छितौनी गांव के पास गंगाजी में मिल गया है जो दिनों दिन गंगाजी के पानी से चौड़ा होता जा रहा है और जिसकी वजह से गांव जियनपुर, मुस्काबाद, रामचन्दीपुर, रामपुर, गोबरहां, मोकलपुर, सनेही का पुरा, कुढ़वां तथा मानिकपुर की हजारों एकड़ जमीन कट कर सोते में चली गई और चली जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार गांव सिहवार, चांदपुर के पास जहां सोता निकला है वहां बांध बांध कर सोते को बन्द करने पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति--यह सोता गंगा नदी की एक धारा है जो प्राचीन काल से चालू है। रामचन्दीपुर, रामपुर, गोबरहा तथा मोकलपुर ग्रामों में कुल १६०९ एकड़ भूमि सोते द्वारा अतिग्रस्त हुई थी किन्तु सोते के बहाव को बन्द करने के लिये बांध बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*५--श्री ऊदल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस सोते में उपर्युक्त गांवों की अलग-अलग कितने एकड़ जमीन कट कर चली गई है और क्या इस सोते से रामपुर गांव को भी खतरा पैदा हो गया है ?

श्री राममूर्ति--सोते में उपरोक्त गांवों की अलग-अलग जितनी एक जमीन कट-कर चली गई है वह इस प्रकार है :--

ग्राम का नाम	क्षतिग्रस्त क्षेत्र एकड़
(१) रामचन्दीपुर (सनेही का पुरा इसका मजरा है और उसका क्षेत्र इसमें सम्मिलित है)	१६३
(२) रामपुर	२२६
(३) गोबरहा (कुढ़वा इसका मजरा है जिसका क्षेत्र इसमें सम्मिलित है)	४४
(४) मोकलपुर	१,१७६
योग ..	१,६०९

सोते के कटाव से ग्राम रामपुर को खतरा पैदा हो गया है।

श्री ऊदल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब गांव की १,६०९ एकड़ भूमि सोते से कट गयी है और रामपुर गांव को खतरा पैदा हो गया है तो वहां बांध बांधने का प्रस्ताव क्यों नहीं हुआ और क्या आगे तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार वहां बांध बनाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति--सरकार का कोई इरादा बांध बनाने का इसलिये नहीं है कि दरिया गंगा बहुत बड़ी दरिया है और जब तक ड्रेनेज पूरे नहीं बन जायेंगे यह काम नहीं किया जा सकता। उसमें करोड़ों रुपया खर्च होने की बात है इसलिये उस काम को नहीं लिया जा सकता।

श्री लोकनाथसिंह (जिला वाराणसी)—मोकलपुर की बहुत-सी जमीन कट कर गंगा में चली गयी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि रामचन्दीपुर, गोवरहां, मोकलपुर आदि की जो जमीन कट गयी है यह उन गांव वालों के कब्जे में ही है और क्या वे उसका लगान दे रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सोता १०-१५ साल पहले मामूली-सा था और अब यह इतना बढ़ गया है कि वहां की १,६०९ एकड़ भूमि इस से कट गयी और रामपुर गांव के कट जाने की संभावना है, तो उसे बचाने के लिये सरकार के पास कौन सी योजना है ?

श्री राममूर्ति—सरकार के पास गांवों को बचाने की कोई योजना नहीं है। कई मर्तबा इस सदन में कहा जा चुका है कि दरियाओं की ट्रेनिंग में करोड़ों रुपया खर्च होता है और इसीलिये सरकार उस काम को नहीं लेती है। बड़े-बड़े शहरों के ड्रेनेज का काम सरकार ने अपने हाथ में लिया है और उसमें रुपया खर्च होता है। गांवों की ऐसी इंम्पार्टेन्स भी नहीं होती कि उन के लिये इतना रुपया खर्च किया जाय।

*६-८—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*९—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१०-१२—**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१३-१५—**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१६—**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

नानकसागर योजना प्रभावित कृषकों को अन्यत्र बसाने की व्यवस्था

*१७—**श्री प्रतापसिंह**—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नानक-सागर योजना के अन्तर्गत कितने लोगों की जमीन ली गई है, उनमें से कितने लोगों को दूसरी जमीन मिली है और कितनों को नहीं और क्यों ?

श्री राममूर्ति—नानक सागर योजना के अन्तर्गत १८ ग्रामों के कुल ७९३ कृषकों की भूमि ली गयी है। इन कृषकों में से अब तक २३८ कृषकों को बदले में अन्यत्र भूमि दी जा चुकी है जो कि पूर्ण रूप से वहां बस चुके हैं। २०१ कृषकों के भूमि के बदले भूमि न चाहने के कारण नकद मुआवजा दिया जा चुका है। ६ अनधिकृत कृषकों को न तो मुआवजा ही दिया गया है और न भूमि के बदले भूमि। ४० कृषकों के मौके पर स्वयं भूमि जोत न करने एवं फरार कृषक होने के कारण उन्हें भूमि के बदले भूमि न देकर उन्हें नकद मुआवजा दिया जा चुका है या उनके उपस्थित न होने के कारण राजकीय कोष में उनके नाम से जमा कर दिया गया है। १२० कृषकों के लिये भूमि की तजवीज की जा चुकी है। लेकिन वे लोग इस भूमि में अभी बसाये नहीं जा सके हैं। १८८ कृषकों के लिये नैनीताल जिले में भूमि उपलब्ध न होने के कारण अन्यत्र वन विभाग की भूमि में उन्हें बसाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

*१८—**श्री प्रतापसिंह**—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त लोगों को कब तक जमीन मिल जायेगी ?

श्री राममूर्ति——जिन लोगों को भूमि के बदले भूमि नहीं दी जा सकी है उनको भूमि शीघ्र ही मिल जाने का प्रबन्ध किया जा रहा है किन्तु इसके लिये कोई निश्चित समय नहीं बतलाया जा सकता।

श्री प्रतापसिंह——क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि यह मसला १९५४ से पड़ा हुआ है और जब माननीय मंत्री जी उस विभाग के मंत्री थे तो वे चाहते थे कि जमीन के बदले जमीन मिलनी चाहिये ? लेकिन जबसे यह विभाग उनके हाथ से निकल गया है, मामला खटाई में पड़ा हुआ है और नानक सागर योजना भी बननी जरूरी है। इन कृषकों को अगर न उठाया गया तो वह नहीं बन पायेगी। तो क्या उन कृषकों को वे अन्य कहीं बसाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री राममूर्ति——जहां तक जमीन के बदले जमीन देने का सवाल है, मैंने अध्यक्ष महोदय, बराबर इस बात की कोशिश की कि कृषकों को उनकी जमीन के बदले जमीन मिलनी चाहिये, लेकिन जब जमीन उपलब्ध नहीं होती तो कोई चारा नहीं रहता सिवाय मुआवजा देने के। जिन कृषकों के बारे में प्रश्न किया गया है उनको जिला नैनीताल में जमीन न दे कर इस बात की कोशिश की जा रही है कि पीलीभीत में जमीन दे दी जाय। कुछ लोग इस बात के लिये तैयार हैं कि वे जिला पीलीभीत में जमीन ले लेंगे, लेकिन कुछ इस के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री प्रतापसिंह——क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि जिन लोगों को दूसरी जगह बसाया जा रहा है, सिंचाई विभाग उनको नैनीताल में ही बसाना चाहता था मगर वहां की जमीन को फारेस्ट विभाग ने फारेस्ट डिक्लेअर कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार फारेस्ट विभाग से मिल कर उस जमीन को लेने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति——माननीय सदस्य जो फरमा रहे हैं उसके बारे में तो मैं नहीं जानता, किन्तु नैनीताल में जमीन देने के लिये काफी कोशिश की गयी, लेकिन फारेस्ट विभाग ने कहा कि हमारे पास जमीन नहीं है। फिर भी उन्होंने पीलीभीत जिले में जमीन दी है और हमने लोगों से कहा है कि वे वहां जाकर बसें। अब किसी किस्म की जिद करके या झगड़ा करके जमीन को लिया जाय, यह कार्य तो सरकार का है नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)——क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १२० परिवार बसाये जायेंगे, वे कब तक बस जायेंगे ?

श्री राममूर्ति——अगर परिवार वहां जाने को तैयार हों तो कल से ही काम शुरू हो सकता है।

श्री प्रतापसिंह——श्रीमन्, १२० लोगों के लिये जमीन की तजवीज की गयी है लेकिन उनको बसाया नहीं जा सका है, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन लोगों को बसाने की जो योजना है वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री राममूर्ति——मैं समझता हूं कि आपके प्रश्न का सम्बन्ध शायद सिक्खों के बारे में है.....

श्री अध्यक्ष——आपने उत्तर में कहा है कि १२० कृषकों के लिये भूमि तजवीज की जा चुकी है। वे पूछना यह चाहते हैं कि उनको बसाया कब तक जायेगा।

श्री राममूर्ति——यह बात सही तौर पर मालूम करके मैं माननीय प्रतापसिंह जी को आज ही बता दूंगा कि क्या स्थिति है।

आजमगढ़ जिले में बेलवाई माइनर नामक रजबहा बनाने पर विचार

*१९—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में तहसील फूलपुर तथा सदर के किन-किन स्थानों पर ट्यूबवेल लगाने की योजना है और माहुल से उत्तर-पश्चिम कोरों, घाटमपुर इत्यादि ग्रामों में सिंचाई की सरकारी योजना क्या है ?

श्री राममूर्ति—आजमगढ़ जिले की फूलपुर तथा सदर तहसीलों में बनाये जाने वाले नलकूपों की स्थिति अभी निश्चित नहीं की गई है।

माहुल के उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र में कुछ नलकूपों तथा बेलवाई माइनर नाम का एक रजबहा बनाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

श्री विश्रामराय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तहसील फूलपुर तथा सदर में इस पंचवर्षीय योजना में कितने नलकूप लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति—२५ के करीब लगाने का प्रस्ताव है।

श्री विश्रामराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह बेलवाई माइनर रजबहा कितने मील लम्बा होगा और कितना खर्चा होगा ?

श्री राममूर्ति—इसकी लम्बाई करीब १२ मील की होगी और जो इससे कमान्डेड एरिया होगा वह करीब १० हजार एकड़ होगा।

श्री अध्यक्ष—वे खर्चा भी मालूम करना चाहते हैं।

श्री राममूर्ति—उसकी जानकारी मुझे इस समय नहीं है।

टांडा कैनाल में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*२०—श्री विश्रामराय—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में टांडा कैनाल के लिये जितनी जमीन ली गई है उसमें कितनी का मुआवजा दे दिया गया और शेष कितना देना है ?

श्री राममूर्ति—४९८ एकड़ भूमि का मुआवजा ७८,८५३ रुपये दिया जा चुका है और बाकी ३४५ एकड़ भूमि का मुआवजा प्रायः ४६,१८९·६७ रुपये देना अभी शेष है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि इस कैनाल के लिये जमीन कब ली गयी थी और अब तक मुआवजा न देने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—इसकी सूचना तो इस समय मेरे पास नहीं है कि जमीन कब ली गयी थी। जहां तक मुआवजे का सवाल है उसमें डिटेल्स में चूंकि कागजात तैयार होते हैं इसलिये समय लगता है। इस काम के लिये पहले जहां ४ आफिसर थे अब उनकी संख्या बढ़ा कर ३२ कर दी गयी है। फिर भी यह इतनी डिटेल का काम है कि इसमें देरी हो ही जाती है।

श्री ऊदल—क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि जिन किसानों से जमीन ली गयी है और जिनको मुआवजा भी नहीं दिया गया है अब तक, उनसे लगान भी वसूल किया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति—पिछले दो-तीन साल से यह दस्तूरूल अमल बन गया है कि जब कोई जमीन नोटीफाई की जाती है तो कागजी काम शुरू होने से पहले लगान का लेना बन्द कर दिया जाता है, पर कहीं-कहीं ऐसी गलती हो जाती है कि लगान ले लिया जाता है। उस हालत में जब मुआवजा दिया जाता है तब लगान वापस किया जाता है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि ऐसी राजाज्ञाएं निकल चुकी हैं कि किसी जमीन का तब तक कब्जा न लिया जाय जब तक उसका मुआवजा न दिया जाय ? तो इस संबंध में जमीन पर कब्जा ले लिया गया, लेकिन उसके मुआवजे में क्यों देर हो रही है ?

श्री अध्यक्ष--यह आप अपनी तरफ से हुक्म निकाल देते हैं। ऐसी राजाज्ञा तो हुई नहीं। पहले राजाज्ञा हुई या नहीं, यह पूछें ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस किस्म की कोई राजाज्ञा है या नहीं कि जमीन पर कब्जा लेने के तुरन्त बाद ही मुआवजा दे देना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष--अब आपने प्रश्न बदल दिया थोड़ा-सा। आप फिर से प्रश्न कीजिये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--आपने संभाला तो मैं संभल गया, इसलिये मैंने दूसरा सवाल किया।

श्री अध्यक्ष--मतलब यह है कि वह सवाल करना चाहते हैं कि यह राजाज्ञा हुई है या नहीं कि जमीन हासिल करने के तुरन्त बाद ही मुआवजा दे देना चाहिये ?

श्री राममूर्ति--यह बात सही है, इस बात की बड़ी सख्त हिदायत की गयी है कि कोई काम शुरू नहीं होना चाहिये, जब तक जमीन कायदे से ली न जा सके और मुआवजा न दिया जाय, लेकिन कभी-कभी गलती हो जाती है तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है ।

श्री ऊदल--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ३ साल से सरकार ने योजना बना ली है कि कब्जा करने के वक्त ही मुआवजा दे दिया जाय, तो मेरी जानकारी यह है कि टांडा पम्प कैनाल के बारे में जो जमीन किसानों की ली गयी है उनसे गत वर्षों तक लगान वसूल किया गया, क्या मंत्री जी इसकी छानबीन कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--इसको देख लिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था तत्काल करने की कृपा करेंगे कि जिससे प्रदेश में जो निर्माण के कार्य होने वाले हैं उनके संबंध में किसानों को तत्काल मुआवजा प्रदान कर दिया जाय और मालगुजारी के वसूल करने के लिये मनाही कर दी जाय ?

श्री राममूर्ति--मैंने अर्ज किया कि यह व्यवस्था है, लेकिन इसमें अर्ज मैंने यह किया कि कभी-कभी गलती हो जाती है । इस पर बहुत एतराजात मेम्बर साहबान की तरफ से हुए, इसलिये मैं उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूं। गलती तब हो जाती है जब स्कीम्स में ऐसा होता है, फ्लड्स और ड्रेन्स की स्कीम्स में खास तौर से, कि कुछ लोग कह दिया करते हैं कि हम अपनी जमीन अपने आप देने को तैयार हैं। तब उस पर काम शुरू कर दिया जाता है। लेकिन बाद में वह एतराज करते हैं कि हमारी जमीन नहीं ली गयी और काम शुरू कर दिया गया, तो सारा काम रोकना पड़ता है और तमाम कठिनाइयां पैदा हो जाया करती हैं।

*२१-२२--श्री लक्ष्मणराव कदम--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*२३-२४--श्री झारखंडेराय--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*२५-२६--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*२७--श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*२८--श्री ऊदल--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

जाल्हूपुर तथा कटेहर परगनों में सिंचाई के साधनों की कमी

*२९--श्री लोकनाथसिंह--क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि परगना जाल्हूपुर, ग्राम जाल्हूपुर, जिला वाराणसी से पूरब एक बड़ा ताल है जिस पर एक बड़ा बन्धा था जो अब टूट गया है और ग्राम जाल्हूपुर, अम्बा, भदिवां, उगथो, छितौना, मुस्तफाबाद और पंचरांव गांवों की लगभग ३,००० बीघा भूमि बांध के टूट जाने से असिंचित रह जाती है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं ।

*३०--श्री लोकनाथसिंह--क्या सिंचाई मंत्री तरवां ट्यूब वैल की जांच कराने की कृपा करेंगे कि उक्त ट्यूब वैल से किन-किन गांवों की सिंचाई होती है ?

श्री राममूर्ति--यह नलकूप ग्राम तरिया, पूरनपट्टी, रामगढ़वा, बीकापुर, खेतनपुर, खरगीपुर, पियरी तथा मुर्ली ग्रामों की सिंचाई करता है ।

*३१--श्री लोकनाथसिंह--क्या सिंचाई मंत्री परगना कटेहर, जिला वाराणसी के ग्राम राजवाड़ी व भदहां के बीच एक ट्यूबवैल लगवाने पर विचार कर रहे हैं, जो जनता की बहुत दिनों की मांग है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र में बिजली का अभाव है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास जो लेटेस्ट फिगर्स हैं उनमें कितनी सिंचाई इस नलकूप से हुई और पहले कितनी होती थी ?

श्री राममूर्ति--अध्यक्ष महोदय, कितने नल-कूप शामिल कर दिये गये हैं, यह ठीक बताना मुश्किल है, इस कागज से ठीक मालूम नहीं होता, मेम्बर साहब मेरे पास आकर देख लें ।

श्री लोकनाथसिंह--माननीय मंत्री जी कृपया बतायें कि 'जी नहीं' से क्या तात्पर्य है ?

श्री राममूर्ति--इसमें सवाल में लिखा हुआ है "लगभग ३,००० बीघा भूमि बांध टूट जाने से असिंचित रह जाती है" इसका जवाब दिया गया "जी नहीं" क्योंकि ट्यूबवेल बना हुआ है और पानी मिल जाता है ।

श्री लोकनाथसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब वह भूमि के असिंचित रहने की बात को गलत करार देते हैं तो फिर वहां सिंचाई के साधन क्या हैं ?

श्री राममूर्ति--अध्यक्ष महोदय, इसके लिये नोटिस की जरूरत पड़ जायगी ।

श्री अध्यक्ष--उन्होंने प्रश्न स्पष्ट पूछा था "गांवों की लगभग ३,००० बीघा भूमि बांध के टूट जाने से असिंचित रह जाती है" और आपने उत्तर दिया कि भूमि सिंचित बनी रही तो ऐसी हालत में उसकी सिंचाई का क्या तरीका है, उसके लिये आपको तैयार होकर आना चाहिये था ।

श्री राममूर्ति--बरसात के बाद जब पानी निकल जाता है तो इस क्षेत्र में रबी की फसल होती है ।

श्री लोकनाथसिंह---अध्यक्ष महोदय ! मैं उस कांस्टीटुएंसी का प्रतिनिधि हूं, सरकार का जवाब आया है कि तरिया ट्यूबवेल से अमुक २ गांवों की सिंचाई होती है, मैंने स्वयं निरीक्षण किया है और देखा है कि तरिया ट्यूबवेल से उस गांव की भी सिंचाई पूरी नहीं हो पाती । क्या मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति---मेरे पास जो जवाब है उसमें लिखा हुआ है कि करीब दो मील पक्की नाली बनी हुई है और तीन हजार घंटे तक ट्यूबवेल चलता है और १०१ एकड़ ईख और २०० एकड़ रबी की सिंचाई होती है ।

श्री लोकनाथसिंह---प्रश्न ३१ के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि ग्राम राजवाड़ी व भदहां के बीच ट्यूबवेल इसलिये नहीं लग पाता क्योंकि बिजली का अभाव है, तो क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उसके पास के ट्यूबवेलों पर बिजली मिलती है ? यदि हां, तो फिर यहां के लिये क्यों अभाव है ?

श्री राममूर्ति---इसका निश्चित उत्तर तो मेरे पास नहीं है लेकिन जहां तक मैं समझता हूं इसके लिये बनारस एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी से बिजली मिलती है और कम्पनी जितना लोड देने के लिये कहती है उतने ही ट्यूबवेल हम लगाते हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा "लिखा हुआ है" तो मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी का लिखा हुआ है या किसी दूसरे ने लिखकर दिया है ?

श्री राममूर्ति---सब सूचना विभाग के जरिये से आती है ।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी उसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि जो बंधा था वह टूट गया है और आज तक नहीं बना है और तीन हजार बीघा भूमि की जो सिंचाई होती थी उससे जनता महरूम हो गई है और इसकी जांच करके क्या उस बांध को बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति---मैं यह नहीं कह सकता कि बंधा बनवाया जायगा लेकिन इस प्रश्न को देखा जा सकता है ।

*३२-३३---श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३४-३५---श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३६---श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)---[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*३७-३८---श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)---[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३९-४०---श्री मन्नालाल (जिला खीरी)---[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४१---श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)---[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*४२--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४३-४४--आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--[पन्द्रहवें बृहस्पतिवार के लिये प्रश्न ३९-४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

रामगढ़ ग्राम से सिंचाई कर के सम्बन्ध में किसानों का कथित पत्र

*४५--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर से तहसील मिश्रिख, ग्राम रामगढ़ के कुछ किसानों के प्रार्थना-पत्र इस आशय के प्राप्त हुये हैं कि पिछले वर्ष १९६० में जब कि सरकार द्वारा सिंचाई तथा लगान इत्यादि में छूट दी गयी थी कुछ किसानों से उनके बिना सींचे हुये खेतों की सिंचाई ली गयी है ?

श्री राममूर्ति--इस संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

*४६--श्री भगवतीसिंह विशारद--यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त धनराशि किसानों को वापस करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति--प्रश्न नहीं उठता ।

*४७-४८--श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

चन्द्रप्रभा एवं नौगढ़ बांध में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*४९--श्री रामलखन (जिला वाराणसी)--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्द्रप्रभा एवं नौगढ़ बांध के निर्माण के समय कौन-कौन गांव बांध क्षेत्र में आये जिनको वहां से हटाया गया और उनके अन्यत्र बसाने की व्यवस्था की गई ?

श्री राममूर्ति--चन्द्रप्रभा एवं नौगढ़ बांध के निर्माण के कारण निम्नलिखित ग्राम डूब में आए--

चन्द्रप्रभा बांध--वरौर तथा हिनवत घाट ।

नौगढ़ बांध--नौगढ़, धोवाही, सेमर कुसी, ओरवां टांडा, सेहवा नार, बाधी होरिला, मंगराही, देवरी कलां, सेमर साधोपुर ।

उपरोक्त ग्रामों के निवासियों को अन्यत्र बसाने के लिए बन विभाग से भूमि मांगी गई थी परन्तु भूमि प्राप्त न होने के कारण उन किसानों को जिनके ग्राम डूब में आये थे मुआवजा दे दिया गया ।

*५०--श्री रामलखन--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दोनों बांधों में किसानों की कुल कितनी एकड़ जमीन ली गई तथा सरकार को कितना मुआवजा किसानों को देना पड़ा ? कितने मुआवजे का भुगतान हो गया और कितना देना शेष है ?

श्री राममूर्ति--चन्द्रप्रभा बांध में किसानों की १८०.४३५ एकड़ भूमि ली गई और १५,६४७ रु० मुआवजा दिया गया । नौगढ़ बांध में किसानों की ५४१.७१ एकड़ भूमि ली गई तथा ७९,८३७ रु० मुआवजा दे दिया गया है । अब कोई मुआवजा देना शेष नहीं है ।

*५१-५२--श्री रघुवीरराम--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*५३—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५४-५५—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*५६-५७—श्री मोतीलाल अवस्थी तथा श्री रामस्वरूप वर्मा—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*५८—श्री गोविन्दसिंह विष्ट, श्री शिवराम (जिला बिजनौर) तथा श्री हिम्मत-सिंह (जिला बुलन्दशहर)—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५९-६०—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*६१-६२—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*६३—श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*६४-६६—श्री चन्द्रहास मिश्र (जिला हरदोई)—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*६७-६८—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*६९—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*७०—श्री मन्नालाल—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*७१-७२—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*७३—श्री लालबहादुरसिंह (जिला जौनपुर) तथा श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

विशुनपुर लेवरुवा में नलकूप की आवश्यकता

*७४—श्री लालबहादुरसिंह तथा श्री रामसमझावन—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार जौनपुर जिले की केराकत तहसील में विशुनपुर लेवरुवा में नव-निर्मित Open Pan Sugar Factory के समीप नये नलकूप के निर्माण की व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं ।

* ७५—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*७६-७८—स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*७९-८०--श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*८१-८२--श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--[बारहवें मंगलवार के लिय स्थगित किये गये ।]

फतेहपुर जिले में नलकूप न होना

*८३--श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में फतेहपुर जिले में कितने ट्यूब-वेल लगाने की योजना है ?

श्री राममूर्ति--तृतीय पंचवर्षीय योजना में फतेहपुर जिले में नलकूप लगाने की कोई योजना नहीं है ।

*८४--श्री वासुदेव दीक्षित--पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में कितने ट्यूबवेल जिला फतेहपुर में लगाये गये ?

श्री राममूर्ति--पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में फतेहपुर जिले में कोई नलकूप सफलतापूर्वक नहीं लगा है ।

*८५--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*८६--श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बलरामपुर तहसील में कृषकों को नहर व बांध में ली गई भूमि का मुआवजा

*८७--श्री दशरथप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा की तहसील बलरामपुर के काश्तकारों को नहर तथा बांध में ली गई जमीन का मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना ?

श्री राममूर्ति--जी हां, कुल १००९.४०१ एकड़ भूमि ली गई थी जिसमें से ८६०.९४४ एकड़ भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है । कब और कितना दिया गया इसका विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है ?

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १६६ पर)

*८८-८९--श्री होरीलाल यादव--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*९०--श्री रामलाल (जिला बस्ती)--[हटा दिया गया ।]

*९१--श्री रामलाल--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

अतरछेड़ी के निकट अटल नदी पर बांध निर्माण योजना का परित्याग

*९२--श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)--क्या सिंचाई मंत्री यह सूचना देने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली में अतरछेड़ी के पास अटल नदी का जो बांध सिंचाई के लिये दूसरी योजना में पक्का बनने वाला था वह कब तक बनेगा ?

श्री राममूर्ति--प्रश्न में उल्लिखित बांध बनाने की योजना का परित्याग अलाभकर होने के कारण कर दिया गया है ।

*९३—श्री नत्थूसिंह—क्या यह सच है कि कई सालों से सरकार इस बांध को कच्चा बनाती आई है लेकिन पिछले साल कच्चा बांध भी नहीं बना ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी हां । जनता के घोर विरोध के कारण इस बांध का निर्माण नहीं कराया जा सका ।

श्री नत्थूसिंह—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब यह बांध आज तक बनाया ही नहीं गया तो अलाभकर कैसे हो गया ?

श्री राममूर्ति—जब इस बांध का सर्वे हुआ और रफऐस्टीमेट बने तो यह खयाल हुआ कि जितना रुपया लगेगा उस अनुपात से सिंचाई नहीं हो सकेगी ।

श्री नत्थूसिंह—पहले सरकार ने अपने उत्तर में बताया था कि ५७००, ५८०० एकड़ जमीन को लाभ होगा, तो अब अलाभकर कैसे हुआ ?

श्री राममूर्ति—मैंने जो बात बताई वही सही है ।

श्री ऊदल—जनता ने किन-किन कारणों से इस बांध के बनने पर घोर विरोध किया, जैसा कि मंत्री जी ने अभी बताया ?

श्री राममूर्ति—जिनकी जमीन बांध बनने से डूब जाती या क्षतिग्रस्त होती उन्होंने एतराज किया कि बांध न बनाया जाय ।

श्री प्रतापसिंह—जब पहले संभावना थी कि उनकी जमीन डूब जायगी तो सरकार ने इस योजना को क्यों प्रस्तावित किया ?

श्री राममूर्ति—सरकार ने इस योजना को प्रस्तावित नहीं किया । एक जमाने से जमींदार लोग काश्तकारों की मदद से या बेगार से कच्चा बांध बनवाते चले आये थे । यहां माननीय सदस्यों के जरिये यह प्रश्न आया कि इसे पक्का बनाया जाय ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—जब यह बांध पहले से बनता आया था और किसानों की जमीन डूबती आई थी तो फिर सरकार को इसे बनाने में क्या आपत्ति थी और किसानों का विरोध क्यों हुआ ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग के जरिये अभी डी० एम० और प्लानिंग अफसर को हिदायत दे दी गई है कि किसानों के श्रमदान से जैसे पहले बांध बनता था वैसा बनवाते रहें ।

*९४—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

किरावली तहसील में बरसाती पानी निकालने के नालों का निर्माण

*९५—स्वामी विश्वेश्वरानन्द (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आगरे की तहसील किरावली में Water Logging की समस्या को हल करने के लिये १९५२ से १९६० तक कितने बरसाती नालों का निर्माण किया गया है और प्रत्येक नाले पर कितना-कितना खर्चा हुआ है ? क्या सरकार उन नालों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री राममूर्ति—वांछित सूचना संलग्न सूची 'क' में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १६७ पर)

*९६--स्वामी विश्वेश्वरानन्द (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कौन बरसाती नाले उक्त तहसील में ऐसे हैं जिनका सर्वे हो चुका है, estimate भी बन चुके थे परन्तु अभी तक उन नालों का निर्माण नहीं हुआ तथा western depression drain जिस पर इस समय काम हो रहा है, उसकी remodelling की scheme क्या है और इसका estimate कितना है तथा इस नाले पर किन-किन स्थानों पर पुल बनाये जायेंगे ?

श्री राममूर्ति--निम्नलिखित नालों का सर्वे हो चुका है और उनके एस्टीमेट भी बन चुके हैं परन्तु अभी तक उनका निर्माण नहीं हुआ :

क्रम-संख्या		नाम नाला	
१	.. ..	छैंपोखर	नाला
२	.. ..	गढ़ी जिन्दपुर	नाला
३	.. ..	ताजपुर	नाला
४	.. ..	मुसलिया	नाला
५	.. ..	अरसेना	नाला
६	.. ..	मुस्तिया सलैमाबाद नाला ।	

वैस्टर्न डिपरेशन नाले को १९८ से ५५० क्यूसेक्स पानी निकालने के लिये गहरा व चौड़ा किया जा रहा है । इसकी अनुमानित लागत ६,८०,६५२ पये है । इस पर बीस पुल सूची 'ख' में दिये गये स्थानों पर बनाये जा रहे हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १६७ पर)

*९७-९९--श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१००-१०१--श्री ऊदल--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

नलकूप विभाग के ट्रेसर

*१०२--श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या सिंचाई मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि ट्यूबवेल विभाग में काम करने वाले ट्रेसरों का पद कब से चालू किया गया है और क्या ट्रेसरों में से कोई अब तक स्थाई नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--अभी तक सूचना एकत्र न होने का कारण क्या है, क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--जरूरत के मुताबिक ट्रेसर हर सब-डिवीजन में टैम्पोरेरी और थोड़े काम के लिये रखे जाते हैं । सारी स्टेट से वह सूचना मंगाने में खासा समय लगेगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, जो सज्जन सदन में आये हैं वे कांग्रेस कमेटी के एक छोटे से मुलाजिम हैं, बिना आपकी आज्ञा लिये आये हैं ...

श्री अध्यक्ष--(नवागन्तुक से) आप यहां नहीं आ सकते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--श्रीमन्, जो प्रश्न में सूचना मांगी है वह सारी लखनऊ के कार्यालय म प्राप्त है । इसके लिये ज्यादा समय की जरूरत नहीं थी.....

श्री अध्यक्ष—सारी स्टेट के ट्रेसरों के पदों का सवाल है और तारांकित प्रश्न में आप यह भी कहते हैं कि उत्तरों के लिये मंत्री जी तैयारी करके क्यों नहीं आये । इसलिये कि समय लगता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—यह सूचना कब तक एकत्र हो जायगी ?

श्री राममूर्ति—जल्दी की कोशिश की जाती है ।

सिंचाई विभाग के ड्राफ्ट्समैन

*१०३—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ड्राफ्ट्समैन कार्य कर रहे हैं ? उनमें कितने अस्थाई और कितने स्थाई हैं और उक्त विभागों में ड्राफ्ट्समैन की कुल कितनी जगहें खाली हैं ?

श्री राममूर्ति—सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत नलकूप

*१०४—**श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अफजलगढ़ योजना, गंगा-खादर योजना, काशीपुर योजना, तराई योजना के अन्तर्गत अलग-अलग कितने-कितने नलकूप सिंचाई के लिये कितनी-कितनी लागत में लगाये गये हैं, उनमें से कितने नलकूप कार्य कर रहे हैं ? कितने बेकार पड़े हैं ? क्या गंगा खादर के नलकूपों से नाली बन गई है ?

श्री राममूर्ति—इन योजनाओं के अन्तर्गत कुल ६३ नलकूपों का निर्माण किया गया था । उनका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है । गंगाखादर के ३ नलकूपों पर ५ फर्लांग पक्की नालियां बनाई गईं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १६८ पर)

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ६३ नलकूपों में से अभी तक २५ के बन्द होने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—खादर में नलकूप कामयाब नहीं हुये, न वहां आबपाशी की जरूरत थी । लेकिन कालोनाइजेशन के समय न तो वहां बसने वालों को कोई तजुर्बा था और न सरकारी कर्मचारियों को । जब नलकूपों बन गये तो मालूम हुआ कि उनकी वहां कोई उपयोगिता नहीं थी ।

श्री ऊदल—जब गंगा खादर में नलकूपों की उपयोगिता नहीं थी तो उन्हें लगाने के पहले क्यों नहीं ऐसा विचार किया गया और आज मंत्री जी १८ लाख पया खर्च करने के बाद कहते हैं कि कोई उपयोगिता नहीं थी, इसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—खादर में बसने वालों की डिमांड थी कि यह इन्तजाम उनके लिये किया जाय, परन्तु आगे चलकर मालूम हुआ कि वहां पानी की जरूरत नहीं थी । कालोनाइजेशन वालों को इसका तजुर्बा नहीं था ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—नलकूपों के बनाने से पहले वहां के निवासियों से जानकारी की गई थी कि वहां पानी की आवश्यकता नहीं है ?

श्री राममूर्ति—जब कालोनाइजेशन का काम शुरू हुआ तब नलकप बनाने की स्कीम चालू की गई । उसके पहले किसी को तजुर्बा नहीं था ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकारी अधिकारियों ने गलती की थी, अगर वे १, २ नलकूप लगाकर देख लिये होते तो उनके तजुर्बे की रोशनी में काम किये होते ? तो सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने की सोच रही है जिन्होंने यह १८ लाख पया खर्च किया ?

श्री राममूर्ति--पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट ठीक हो सकती है । मैंने उसे देखा नहीं है । नलकूप लगाने के बारे में मैंने अर्ज किया कि उनको तजुर्बा नहीं था और वे यह काम कर बैठे ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या यह सिंचाई विभाग का नियम है कि नलकूप लगाने के पहले देख लेते हैं कि उपयोगी होगा या नहीं ? यदि हां, तो क्यों नहीं पहले केवल १, २ नलकूप लगाकर एक्सपेरीमेंट किया गया ?

श्री राममूर्ति--जहां तक टेस्टिंग का सवाल है इसमें कोई कमी नहीं हुई, न खादर में और न तराई में । तराई में भी टेस्टिंग हुआ, लेकिन बाद में चलकर कई नलकूप फेल होने लगे और डिस्चार्ज भी गिर गया । लेकिन पहले से इसका कोई तजुर्बा नहीं था ।

श्री देवनारायण भारतीय--माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की असावधानी, अज्ञानता और अनुभवहीनता से १८ लाख रुपया बरबाद कर दिया गया तो मैं अब सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह इन १८ लाख के पाइपों को निकाल कर किसी दूसरी जगह काम में लाने का विचार कर रही है ताकि विभाग की संपत्ति बेकार ही न पड़ी रहे ?

श्री राममूर्ति--सरकार के सामने यह प्रश्न विचाराधीन है कि उनमें से कितने पाइपों को काम में लाया जा सकता है लेकिन अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है ।

*१०५-१०६--**श्री झारखंडेराय**--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

आजमगढ़ जिले में टांडा कैनाल के डाक बंगले में ली गई जमीन का मुआवजा

*१०७--**श्री विश्रामराय**--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले की तहबरपुर तहसील सदर (आजमगढ़) में स्थित टांडा कैनाल सम्बन्धित डाक बंगला कब बन कर तैयार हुआ और उसके लिये कितनी जमीन कब ली गई ?

श्री राममूर्ति--यह १९५६-५७ में बना था। उसके लिये ०.६४३ एकड़ भूमि १-१-५६ को ली गई ।

*१०८--**श्री विश्रामराय**--क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि उपर्युक्त नहर निरीक्षण भवन के लिये ली गई जमीन का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं । कुल ७६ ० ६० न० पैसा के मुआवजे में से ४० ० २० फरवरी, १९६० को दे दिया गया है । शेष ३६ रु० ६० न० पैसा रेवेन्यू डिपाजिट (Revenue deposit) में २३-९-६० को जमा कर दये गये हैं, क्योंकि संम्बन्धित व्यक्ति अनुपस्थित थे ।

श्री विश्रामराय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उन किसानों के नाम क्या हैं जिनको मुआवजा दिया गया और जिनकी जमीन ली गई ?

श्री राममूर्ति--मांगी गई सूचना निम्न प्रकार है --

नाम	पिता का नाम	मौजा	जमीन जो ली गई (एकड़ में)	मुआवजा (रुपयों में)
रामराज	रामजस	बैलवाखुर्द, तहसील बांस-गांव, गोरखपुर	.०६५	१३.००
अवतार ..	बरन ..	तहबरपुर निजामाबाद आजमगढ़	.१३४	११.८०
महावीर	गुलाम ..	तहबरपुर	.१३४	११.८०
हरिजन ..	गुलाम ..	तहबरपुर ..	.१३४	११.८०
चरित्तर	भवन ..	तहबरपुर ..	.६९	११.७०
कमला ..	भवन	तहबरपुर	.६९	११.७०
सुन्दर	जैश्री	तहबरपुर ..	.१७५	२.४०
दर्लासिगार ..	खुशहाल	तहबरपुर	.१७५	२.४०
				७६.९०

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इस मुआवजे के देने में चार बरस की अवधि लगाई गई तो इस तरह से विभाग द्वारा ली जाने वाली जमीनों के लिये मुआवजा देने में विलम्ब होता है; क्या माननीय मन्त्री जी कोई इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि मुआवजा देने में विलम्ब न हो ?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब पहले दिया जा चुका है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मन्त्री जी के पास इस बात की शिकायत आई है कि जिन किसानों की जमीन ली गई उनको मुआवजा न देकर अन्य किसानों को मुआवजा दे दिया गया ?

ी राममूर्ति--मेरे पास इसकी कोई खबर नहीं है।

श्री बंशीधर शुक्ल--मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस भाव पर आपने किसानों की जमीन ली है क्या उसी रेट पर सरकार अपनी जमीन जो मिलकियत सरकार है उसे भी किसानों को दे सकती है या नहीं ?

श्री राममूर्ति--यह तो रेवेन्यू विभाग के जो रूल्स बने हैं उसके अनुसार मुआवजा दिया जाता है, इसमें मेरा या शुक्ल जी का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--यह ७६ रुपये की बड़ी धनराशि है जो एक एकड़ से कम जमीन के मुआवजे में दी गई और जिसके देने में ४-५ साल लगा दिये गये, क्या सरकार इस मुआवजा न देने के लिये जो समय से नहीं दिया गया विभाग के उन लोगों को कोई विशेष पुरस्कार देने की योजना बना रही है ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

*१०९-११०--श्री रामशरण यादव--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१११-११३--श्री लक्ष्मणराव कदम--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले में बानगंगा में अधिगृहीत भूमि का लगान न लेने का आदेश

*११४--श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में जो बान गंगा नहर बनाई गई है उस नहर के बनाने में किसानों से जो जमीन ली गई थी उस जमीन पर से अब तक किसानों का नाम लेखपाल के कागज से खारिज नहीं हुआ है जिसके कारण सम्बन्धित किसान वर्षों से नहर की जमीन का लगान दे रहे हैं ?

श्री राममूर्ति---केवल ५ प्रतिशत या ७ ग्रामों में अभी कागजात में अमलदरामद नहीं हो सका है और इस विषय पर जिलाधीश, बस्ती और भूमि-अवाप्त अधिकारी गोंडा के बीच लिखा पढ़ी हो रही है। सम्बन्धित कृषकों से लगान न लिये जाने के लिये जिलाधीश को आदेश दिये जा चुके हैं।

*११५---श्री मथुराप्रसाद पांडेय---क्या सरकार तत्काल ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेगी कि उक्त जमीन पर से किसानों का नाम खारिज हो जावे और किसानों से उस जमीन का लगान जो वसूल हुआ है उसे वापस किया जाय ?

श्री राममूर्ति---इस विषय में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जिलाधीश बस्ती को दिया गया है।

बदायूं जिले के नलकूप क्षेत्रों में निजी कूप बनाने में सहायता के लिए प्रार्थना

*११६---श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बदायूं में ट्यूबवेलों का पानी कम होता जा रहा है और वह पूरे कमान्ड की सिंचाई नहीं करते ? क्या ऐसी भूमि को जिसे ५ साल से पानी नहीं मिला है सरकार कमान्ड से खारिज करेगी और वहां के किसानों के अपने निजी कुयें बनाने में कोई रुकावट न डालेगी ?

*११७---क्या सरकार सिंचाई की वृद्धि के लिये ऐसे किसानों को जो अपने कुयें बनाना चाहते हैं दीर्घकालीन कर्जा देने की व्यवस्था करेगी और जमानत की शर्त को आसान करने के लिये नियम बनायेगी ?

श्री राममूर्ति---सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री टीकाराम---श्रीमन्, यह सवाल पहले ३६-३७ नम्बर पर थे, उस वक्त भी कहा जा रहा था कि "सूचना एकत्रित की जा रही है" और आज जब यह ११६-११७ पर आगये तो फिर कह दिया गया कि "सूचना एकत्रित की जा रही है"। हमारे यहां जिले में माननीय सिंचाई मन्त्री जी गये थे तो उन्हें बताया गया था कि कमान्ड एरिया कम हो रहा है, तो कब तक वह सूचना मंगा लेंगे ?

श्री राममूर्ति---सूचना में देर हो गई है, मैं और क्या जवाब दूं और अगर मुंशी जी मेरे कमरे में आयेंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति बतायेगी कि जहां पर कमांड एरिया का क्षेत्र ५ साल से नहीं सींचा गया, वहां उस क्षेत्र को नलकूप के क्षेत्र से अलग घोषित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री राममूर्ति---विभाग का कायदा यह है कि जब नलकूप का पानी १५,००० गैलन से कम हो जाता है तो फिर उस को नये तरीके से बनाया जाता है, ऐसे २---ढाई सौ कुयें हैं, उनमें से १५० बन गये हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या इस बात को देखते हुये कि इस क्षेत्र के लोग ५ साल से इन नलकूपों का पानी नहीं पा रहे हैं और फिर भी वह उन नलकूपों के दायरे में बने हैं, तो क्या मन्त्री जी वहां के किसानों को इस क्षति का मुआवजा देने पर विचार करेंगे ?

श्री राममूर्ति--अभी तो ऐसा विचार नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या मन्त्री जी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें यह विदित है कि सिंचाई विभाग के नियमों के अनुसार सरकारी नलकूप का जो कमांड एरिया होता है उसमें कोई और व्यक्ति निजी नलकूप नहीं बना सकता जब तक कि सिंचाई विभाग आज्ञा न दे, तो जब कि वहां ५ साल से सिंचाई नहीं हुई तो क्या मन्त्री जी विभाग के नियमों पर पुनः विचार कर के या तो वहां के काश्तकारों को आज्ञा देंगे कि वह अपने निजी नलकूप बना सकें या वह अपने ही नलकूपों का सुधार कर के वहां सिंचाई का तुरन्त प्रबन्ध करेंगे ?

श्री राममूर्ति--सरकार ऐसा करती है कि जब ४-५ साल तक किसी ऐसी जमीन को पानी नहीं मिलता और किसान दरख्वास्त देते हैं कि उनके यहां से कमान्ड एरिया खारिज कर दिया जाय तो ऐसा कर दिया जाता है।

*११८-११९--**श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल** (जिला बाराबंकी)--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

बड़े बांधों पर हैवी अर्थ मूविंग मशीन चलाने वालों का वेतन

*१२०--**श्री मलिखानसिंह** (जिला मैनपुरी)--क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बड़े बांधों पर हैवी अर्थ मूविंग मशीन चलाने के लिये कर्मचारी दैनिक वेतन (वर्क चार्ज) पर रक्खे जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--जी हां, बड़े बांधों पर हैवी अर्थ मूविंग मशीनों को चलाने व मरम्मत के लिये वर्क चार्ज कर्मचारी मासिक अथवा दैनिक वेतन पर रक्खे जाते हैं।

वर्क चार्ज कर्मचारी निश्चित समय तथा निश्चित कार्य के लिये जिसकी व्यवस्था स्वीकृत एस्टीमेट में रहती है इरीगेशन मैनुअल आफ आर्डर्स (पंचम संस्करण) के पैराग्राफ २६ से २९ तथा फाइनेंशियल हैन्डबुक वाल्यूम ६ के पैरा ६६७ के अनुसार नियुक्त किये जाते हैं तथा उनका कार्यकाल केवल उस कार्य की समाप्ति तक ही सीमित रहता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक योजना की समाप्ति पर इन कर्मचारियों के लिये शीघ्र ही काम मिल जाय, इस कारण उनकी नियुक्ति रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट पर करना नियमानुकूल नहीं है और ऐसा करने से खर्चा बढ़ जायगा।

बिकूपुर ग्रामवासियों की ऊंचे पर बसाये जाने की प्रार्थना

*१२१--**श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिकूपुर गांव, परगना सकतपुर, तहसील छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद जो नहर के किनारे नीची जगह पर बसा हुआ है, हर बरसात में पानी से घिर जाता है ?

श्री राममूर्ति--हर बरसात में नहीं बल्कि अत्यधिक वर्षा के समय पानी से घिर जाता है। ऐसी स्थिति पिछली बरसात में हो गई थी।

*१२२--**श्री कोतवालसिंह भदौरिया**--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस गांव के रहने वालों ने एक प्रार्थना-पत्र ८ दिसम्बर, १९६० को सौरिख कैम्प में जिलाधीश को दिया था और यह प्रार्थना की थी कि बिकूपुर और शरीफपुर की सरहद पर जो ऊसर जमीन पड़ी है वह उन्हें मकान बनाने के लिये दी जाये ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राममूर्ति--जी हां, उस प्रार्थना-पत्र पर स्थानीय निरीक्षण किया गया और यह आदेश दिया गया कि सम्बन्धित प्रधान बमूजिब धारा ७, ग्राम समाज मैनुअल उक्त प्रार्थियों को भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक बुलाकर भूमि निर्धारित करके दें। इसकी सूचना सम्बन्धित प्रधानों को दी जा चुकी है।

*१२३--**श्री बंशीधर शुक्ल**--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१२४--१२६--**श्री भगवतीसिंह विशारद**--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

नौगढ़ व बांसी तहसीलों में बाढ़ सुरक्षा योजनायें

*१२७--**श्री मथुराप्रसाद पांडेय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या बस्ती जिले के नौगढ़ व बांसी तहसील के कई सौ गांव जोकि राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बानगंगा, बिलार, जमुआर कूड़ा, घोघी आदि नदियों की बाढ़ से बरबाद हो जाते हैं उनको भावी बाढ़ से बचाने के लिये विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रकार की कोई योजना तैयार कराई गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उस योजना की रूपरेखा सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी?

श्री राममूर्ति--कूड़ा व घोघी नदियों की बाढ़ से रक्षा हेतु एक बांध बन चुका है तथा कूड़ा नदी के किनारे एक और बांध के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इन दोनों योजनाओं की रूपरेखा संलग्न सूची के अनुसार है।

इसके अतिरिक्त बूढ़ी राप्ती, बानगंगा, बिलार, जमुआर आदि पर जोकि राप्ती की सहायक नदियां हैं, सर्वेक्षण का कार्य प्रगति में है, अतः इन पर अभी बाढ़ सुरक्षा कार्य निर्माण के विषय में कुछ कहना सम्भव नहीं है।

(देखिये तत्थ; "घ' आगे पृष्ठ १६६ पर)

*१२८--**श्री रूर्मासिंह** (जिला शाहजहांपुर)--[बारहवें मगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१२९-१३१--**श्री मिहरबानसिंह** (जिला इटावा)--[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

राप्ती नदी पर बेलसड़ से रिगोली बाजार तक बांध-निर्माण योजना

*१३२--**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)--गोरखपुर जिले में राप्ती नदी पर बेलसड़ सेरिगोली बाजार तक बांध निर्माण के सम्बन्ध में ६ मार्च, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त बांध के सम्बन्ध में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग दिल्ली की सिफारिश राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो उपर्युक्त बांध के निर्माण में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री राममूर्ति--यह योजना अभी तक केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को नहीं भेजी गई है।

*१३३-१३४--**श्री लोकनाथसिंह**--[हटा दिये गये।]

जाल्हूपुर के निकट कथित ताल से भूमि की बर्बादी

*१३५--**श्री लोकनाथसिंह**--क्या सरकार जांच कराने की कृपा करेगी कि परगना जाल्हूपुर, जिले वाराणसी में ग्राम जाल्हूपुर के पूरब तरफ एक ताल है जिससे कई गांवों की फसलें प्रायः बरबाद हो जाती हैं?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, ऐसा कोई ताल नहीं है।

श्री लोकनाथसिंह—मैं मन्त्री जी को स्पष्ट कर दूं कि हम लोग देहातों में उसको ताल कहते हैं कि कई गांवों के बीच में जो दो चार सौ बीघा जमीन होती है, उससे मतलब है, पानी के ताल से नहीं है। तो क्या इस बात को ध्यान में रखकर वह इस ताल के बारे में अधिकारियों से जांच करा लेंगे?

श्री राममूर्ति—हां, यह बात देखी जा सकती है।

*१३६-१३८—**श्री हरदयाल सिंह**—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१३९-१४२—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१४३-१४४—**श्री गौरीशंकर राय**—[बारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

प्रश्नों तथा भावी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्य-सूची में कुछ अशुद्धियों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्रश्न ७३ और ७४ जो सिंचाई (ख) विभाग से सम्बिन्धित है इसके आगे नोट में लिखा हुआ है कि माननीय गृह मन्त्री की प्रार्थना पर १२ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया। तो यह सिंचाई से सम्बन्धित प्रश्न गृह मन्त्री का प्रश्न कैसे हो गया?

श्री अध्यक्ष—यह बहुत जबर्दस्त गलती मालूम होती है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इसी तरह से १५वें पृष्ठ पर प्रश्न ११९ के सामने सिंचाई लिखा हुआ है जब कि यह गृह मन्त्री का प्रश्न है और इसी तरह से प्रश्न १२० के सामने १२१, १२२ लिखा हुआ है। तो शायद यह मुद्रण में हुआ है या किसी और तरह से हुआ है, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं उसकी जांच करूंगा और कल सूचना दूंगा, क्योंकि अभी यह मालूम होता है कि शायद प्रेस में यह गलती हुई हो, लेकिन अगर हमारे दफ्तर की गलती है तो उस के लिये मैं जरूर कोई न कोई नियन्त्रण करूंगा।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—श्रीमन्, हमारे भी प्रश्न थे, १२वें मंगलवार के लिये स्थगित कर दिये गये और उस दिन असेम्बली बैठती नहीं है तो सरकार की तरफ से इस तरह का धोखा क्यों होता है? अब १२वें मंगलवार को बैठेंगे नहीं और फिर अगले सेशन में कहा जायगा कि पुराने प्रश्न रद्द हो गये तो, या तो उत्तर दें या कह दें कि कैंसिल हो गये। इस तरह की धोखा-धड़ी सरकार की तरफ से नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—यह ठीक है, लेकिन गृह मन्त्री जी के बीमार हो जाने की वजह से विशेष परिस्थिति पैदा हुई, वह अस्पताल में पड़े हुये हैं। उन्होंने प्रार्थना की थी कि दूसरे मंगलवार को ले लें। तो वह ११वें के बाद १२वां ही पड़ता है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---वह नहीं आयेगा।

श्री अध्यक्ष---अगर नहीं आयेगा तो दोबारा आप दे सकते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---इसमें यह लिखना चाहिये कि इस बार नहीं लिया जायगा, अगले अधिवेशन में लिया जायेगा। इससे हमको सन्देह हो जाता है कि १२वें मंगलवार को भी सेशन होगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---श्रीमन्, जब मैं अभी कह रहा था कि अगला मंगल नहीं आयेगा, १२ तारीख के बाद आयेगा, तो माननीय उपमन्त्री जी जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स को डील करते हैं, उन्होंने कहा कि आयेगा। तो दुविधा हो गई कि १२ तारीख के बाद भी हाउस चलेगा, तो वह प्रोग्राम बता दें।

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि आप लोग जो आपस में बातचीत करते हैं उसमें थोड़ा मजाक भी रहता है। आपने कहा कि नहीं आयेगा। उन्होंने कहा कि जरूर आयेगा। मंगलवार जरूर आयेगा, लेकिन हम लोग बैठेंगे या नहीं यह दूसरी बात है। तो इस तरह का जो मजाक होता है उसको आपको समझ लेना चाहिये। मालूम पड़ता है कि आपके जिले में मजाक को लोग ज्यादा समझते नहीं हैं!

(हंसी)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---मजाक की बात तो जाने दीजिये। उस दिन जब ५ तारीख को मैंने प्रश्न पूछा था कि असेम्बली बढ़ाई जायगी या नहीं, इस सम्बन्ध में निश्चित उत्तर दें तो यह कहा गया था कि ६ तारीख को बता देंगे। तो क्या सरकार आज बताने को तैयार है कि बढ़ाई जायगी या नहीं?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---अभी तक तो १२ तक ही चलाने का इरादा है।

एक सदस्य---अभी तक के क्या माने हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---१२ तक ही चलेगी।

उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति की १९२१ से १९५८ तक की रिपोर्टों का एपीटोम†

श्री अध्यक्ष---अब सभापति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का एपीटोम प्रस्तुत करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति की १९२१-५८ तक की रिपोर्टों का एपीटोम (Epitome of Reports of P. A. C. for 1921—1958) प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन्, १९२१ से लेकर आज तक लगभग समिति की ६०, ७० रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी हैं और उन पर कार्यवाही भी अलग-अलग प्रकाशित हो चुकी है लेकिन जो संकलन होना चाहिये था इनका, क्योंकि एक तरह से यह केस ला हो जाते हैं, हाउस की रिकमन्डेशन क्या हैं, इस के लिये आवश्यकता थी कि प्रत्येक विभाग को, सदन को और समिति की जानकारी हो कि हमने किसी निश्चित विषय पर, किसी इर्रेगुलैरिटी पर क्या निश्चय किया है। तो ऐसा कोई केस ला नहीं था। इसका एक ऐडीशन १९३६ तक बना था। कमेटी ने इसको बनाने का निश्चय किया था। अतः

†छापा नहीं गया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मैं महालेखापाल और उनके अधिकारी श्री खां का विशेष आभारी हूं कि उन्होंने समिति के कहने पर इसको तैयार किया, क्योंकि विधान सभा सचिवालय में पी० ए० सी० का एपीटोम बनाने के लिये स्टाफ नहीं था। भविष्य में यह कार्य हमारे यहां से ही किया जायगा। इससे सरकारी विभागों को, समिति को और सदन को सहायता प्राप्त होगी और हम लोक लेखा की और भी महत्वपूर्ण रूप से जांच कर सकेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, न तो इसकी प्रति है, न इसकी भाषा समझ में आयी कि यह एपीटोम है क्या ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैंने हिन्दी में संकलन शब्द कह दिया था, शायद माननीय सदस्य ने सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष---अभी एक प्रति जो सामने है वह छपी नहीं है। यह एक नया रिवाज है, ऐसा समझ लीजिये। क्योंकि छपने में देर होगी। जब लोगों ने मांग की कि जब प्रतिवेदन किया जाय तो उसको कम से कम टेबिल पर रख दिया जाय और जो उसे देखना चाहें देख सकते हैं। उसके बाद छपाई हो जाय। क्योंकि छपाई में थोड़ा समय जरूर लगता है। ऐसे ही इस संकलन के बारे में है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, ३५०, ४०० पृष्ठ की रिपोर्ट है, इसके छपने में थोड़ी देर लगेगी।

श्री गौरीशंकर राय द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत) †

श्री अध्यक्ष---विशेषाधिकार की अवहेलना का एक प्रश्न श्री गौरी शंकर राय जी ने उठाया था। मैंने कहा था कि आज लूंगा। मैंने माननीय गृह मंत्री जी को प्रोसीडिंग्स भी भेज दी थी और जो अखबार में छपा था वह भी भेज दिया था। तो उन्होंने लिख कर भेजा है कि बीमार होने की वजह से वह आज उत्तर नहीं दे सके। कल उसका उत्तर भेज देंगे। तो मैं कल इसको लूंगा।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब कभी विशेषाधिकार के प्रश्न सदन के सामने आते हैं तो आप या तो कह देते हैं कि यह प्राइमा-फेसी नहीं है और उसको पढ़ते नहीं। या कहते हैं कि इसके संबंधित कागजात देखने हैं। आपने इससे संबंधित भाषणों को देख लिया, देखने के बाद इनवेस्टीगेशन किया कि फैक्ट्स क्या हैं। मान्यवर, आपकी आज्ञा से, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के ३४२ नम्बर के...

श्री अध्यक्ष---आप किस विषय पर बात कर रहे हैं ? जब मैंने आपको इजाजत नहीं दी। पहले तो नियम में यह है कि मैं उपस्थित करने की इजाजत दूं। फिर उसके बाद अगर प्राइमाफेसी में समझूं कि यह इन आर्डर है तो उसको उपस्थित करने की इजाजत दूं...यानी उसके बारे में कमेटी के सुपुर्द करूं या कुछ अन्य आज्ञा दूं। जब प्राइमाफेसी के बारे में चर्चा होती तो आप कहते अभी इस विषय में तो मैंने इजाजत ही नहीं दी है। इसीलिये मैंने पढ़ा नहीं है। जब इजाजत हो जाती है तब तो मैं पढ़ देता हूं। मैं आपको नियम पढ़कर सुनाता हूं ---

"६७---शिकायत का प्रस्तुत किया जाना---यदि नियम ६४ के अन्तर्गत अध्यक्ष अपनी सम्मति दें तो वे उस मामले को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करके सदन को यह सूचना दे सकेंगे अथवा प्रश्नों के अनन्तर तथा कार्यसूची का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वे शिकायत करने वाले सदस्य से अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिये कह सकेंगे। तत्पश्चात सदस्य अपनी शिकायत

---

† २८ अप्रैल, १९६१ की कार्यवाही से।

यदि कोई दस्तावेज हो तो उसके सहित सदन के सम्मुख पढ़ेगा तथा एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा । अध्यक्ष, यदि आवश्यक हो तो किसी अन्य सदस्य को सुनने के उपरान्त यह विनिश्चित करेंगे कि क्या शिकायत नियमित है आदि आदि" ।

तो आपने किसी अखबार में कोई कार्यवाही आप कहते हैं छपी है उस दृष्टिकोण से उस प्रश्न को मेरे सामने रखा कि वह बात गलत थी । मैंने उसको पढ़ा । मैंने अभी इजाजत नहीं दी है क्योंकि जिन्होंने वक्तव्य दिया था वह बीमार थे । मैंने उनसे पूछा क्योंकि केवल अखबार में छपने के आधार पर कई बार मैं निर्णय दे चुका हूं कि उसमें गलत छप जाय तो प्रतिवाद भी उसका वह छपवा सकता है जिस आदमी के बारे में वह गलत शिकायत छपी है। और अगर वह अखबार न छापे तो कार्यवाही करनी चाहिये। लेकिन यह भी मेरी जिम्मेदारी सदन में है कि अगर सदन में यह चीज आ जाय कि किसी की प्रतिष्ठा को ठेस लगी है व्यक्तिगत तौर पर यह जानकारी हासिल करूंगा कि कौन सी कार्यवाही की जा सकती है उनके खिलाफ जिन्होंने इस सदन के सदस्य की प्रतिष्ठा के ऊपर चोट पहुंचाई है।

श्री गौरीशंकर राय--मान्यवर, मैं जो निवेदन कर रहा था...

श्री अध्यक्ष--मैं आप को इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री गौरीशंकर राय--मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--मेरे निश्चय पर आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

श्री गौरीशंकर राय--आप उस प्रश्न को न उठाने दीजिये, लेकिन मेरा व्यवस्था का प्रश्न तो सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझ गया हूं ...

श्री गौरीशंकर राय--बड़े आश्चर्य का विषय है कि मेरे कहने के पहले आपने जान लिया कि मेरा व्यवस्था का प्रश्न...

श्री अध्यक्ष--मेरे निर्णय के ऊपर आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं, मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं । आप बैठ जाइये ।

श्री गौरीशंकर राय--मैं अर्ज करना चाहता हूं कि प्राइमाफेसी जांच करने के बारे में आज जितनी डिक्शनरी अवेलेबिल हो सकी हैं...

श्री अध्यक्ष--आप मुझसे बहस करना चाहते हैं ? मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री गौरीशंकर राय--मान्यवर, जरा एक बात सुन लें । जब शासक दल के बारे में...

श्री अध्यक्ष--मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री गौरीशंकर राय--जब उरई के मामले में कोई प्रश्न कभी हम उठाना चाहते हैं तो आप कभी इजाजत नहीं देना चाहते हैं...

श्री अध्यक्ष--आप कृपया बैठ जायं, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री गौरीशंकर राय--आप कृपा करके मेरी बात सुन तो लें क्योंकि यह हमारा हक है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, यह प्रिविलेज वाला मामला काफी दिनों से आपके विचाराधीन है । माननीय गृह मंत्री जी बीमार हो गये हैं और कल वह उत्तर देने की बात कह रहे हैं। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि गृह मंत्री जी जल्दी ही अच्छे हो जायं ताकि कल वे उत्तर दे सकें, लेकिन मुझे आशंका है श्रीमन्, जैसा पहले भी एक बार हो

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

चुका है इस बार भी होगा क्योंकि पहले भी उनसे उत्तर देने के लिये कहा गया था । इस बार शायद वे अस्वस्थता के कारण उत्तर न दे पावें । कार्यवाही आपके सम्मुख है ही । तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि चाहे वे उत्तर दें या न दें आप कल इस प्रश्न को अवश्य निर्णीत कर दें ।

श्री अध्यक्ष—आपका कहना मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय—मैं आज एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं, क्योंकि यह हमारा सदन में अधिकार है और उस व्यवहार के करने में यदि आप मुझे दंडित करेंगे तो दंड भी मैं स्वीकार करूंगा । मैं यह व्यवस्था लेना चाहता हूं कि प्रिविलेज के सवाल बराबर आते हैं। प्राइमाफेसी केस का मतलब मैं क्या जानता हूं वह आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में इस बारे में क्या दिया हुआ है, स्पीकर का डिस्क्रीशन कहां तक जाता है, यह आप सुन लें ...

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठें । मैंने तो यह कहा था कि प्राइमाफेसी केस के बारे में अगर मैंने देखा कि जिस विषय में मुझे निर्णय देना है उस विषय में मुझे कुछ जानकारी हासिल करने की आवश्यकता है तो मुझे जानकारी हासिल करनी चाहिये क्योंकि आप जितना प्रश्न उठायेंगे उसी तक मैं सीमित प्रश्न नहीं रखूंगा । जिस शख्स के बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं वह तो यहां मौजूद नहीं है, यानी गोविन्दनारायण जी । उनकी प्रतिष्ठा का अगर आपको खयाल नहीं है तो मैं तो खयाल रखूंगा । यह बात नहीं है कि एकान्त में बुला कर इस विषय में आपसे चर्चा न की हो कि आप इस बात को सोच लें। अगर कोई उनके साथ ज्यादती होती है या उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है तो मुझे कोई और कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मुझे केवल एक ही निवेदन करना है कि आपने जब यह कह दिया कि कल आप इस प्रश्न पर अपना निर्णय देंगे तो यह प्रश्न आज समाप्त हो जाना चाहिये, लेकिन आपने चूंकि गोविन्दनारायण जी का नाम ले लिया इसलिये इस संबंध में मुझे भी जो जानकारी विश्वस्त सूत्र से मिली है वह आपकी नोटिस में ला देना चाहता हूं कि प्रश्न केवल यहीं नहीं है बल्कि इससे बहुत आगे बढ़ गया है। एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी के सदस्य का विक्टिमाइजेशन करने का सवाल है। इसलिये कल आप इस संबंध में अपना निर्णय दे देने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—इस संबंध में तो निर्णय दूंगा, लेकिन विक्टिमाइजेशन का प्रश्न अगर उठाया गया तो वह दूसरा प्रश्न होगा ।

श्री गौरीशंकर राय—मेरा व्यवस्था का प्रश्न इससे अलाहिदा है। मेरा जो प्रश्न है उसका कारण आप सब से ज्यादा जानते हैं क्योंकि यह पहला मामला नहीं है। उरई का मामला दो बार आया और दोनों बार आपके कमरे में जाने पर आप पहले ही गरम हो जाते हैं। तो मैं कैसे उठाऊं ? और आप ही अगर तैयार रहेंगे चीजों को दबाने के लिये तो वह पार्टी तो तैयार है ही दबाने के लिये ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उस पार्टी ने सदन की प्रतिष्ठा को छोड़ा नहीं है, वह प्रतिष्ठा को समझती है । आप यह कहते चले जा रहे हैं कि जब आप ही इस तरह से अन्याय करेंगे, जब आप ही पक्षपात करेंगे और वह पार्टी चुप बैठी है । अगर उस पार्टी में शक्ति होती तो वह प्रश्न उठाती । आप जो चाहें कहते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप दिल में इस बात को रखते हैं तो गरम पहले आप होते हैं। मैंने तो इतना ही कहा था कि आज निर्णय नहीं लूंगा । आपके दिल में यह भावना बनी हुई है कि अमुक आदमी का सवाल है इसलिये अमुक चीज होगी ही नहीं, तो इस तरह से यह चीज नहीं चल सकती । मैंने तो यह कहा कि गृह मंत्री

का ऐसा पत्र मेरे पास आ गया है कि "मैं कल उत्तर दूंगा" इसलिये कल इस विषय में निर्णय होगा। आपको जो कुछ प्राइमाफेसी केस के बारे में कहना हो उसकी भी मैं कल आपको इजाजत दे दूंगा। चूंकि उन्होंने यह लिख कर भेज दिया कि मैं कल जवाब दूंगा तो इससे बढ़ कर और कोई बात नहीं है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस सिलसिले में केवल यह निवेदन करूंगा कि जहां तक इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना का सवाल है इसमें बहुत थोड़ा समय लगना चाहिये। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि प्रथा यह है कि यदि कुछ विचारने की जरूरत हो, किसी मामले में विशेष प्रकार सोचकर कोई यदि निर्णय दिया जाय तो प्राइमाफेसी केस नहीं हो पाता है। यह निर्णय करने के लिये समय नहीं लेना चाहिये। किन्तु साधारण तौर पर जब जब प्रश्न उठते हैं तब सदन की प्रथा है कि अध्यक्ष महोदय कुछ समय ले लिया करते हैं। मेरी तुच्छ बुद्धि में समय लेना ही प्रमाण है कि प्राइमाफेसी केस नहीं बनता है और हाउस आफ कामन्स में भी इसके प्रमाण मौजूद हैं। मैं कहूंगा कि कोई ऐसी बात नहीं है और मुझे दुख है यदि आपके दिल में कोई शंका उत्पन्न हुई हो कि आपके बारे में लोगों को संदेह है कि इस मामले में पक्षपात हो रहा है। मुझ से बलिया जिले के माननीय सदस्य से बातचीत हुई थी और केवल जरूरत इस बात की है कि जल्दी से जल्दी निर्णय हो जो नियमों में भी लिखा है। मैं निवेदन करूंगा कि यह बात श्रीमन्, अपने ध्यान से निकाल दें कि आपके ऊपर हमें संदेह है कि आप इस मामले में निष्पक्षता से निर्णय नहीं देंगे। केवल निवेदन यह है कि इस पर आप कल निर्णय दें और जब कभी ऐसे प्रश्न उठाये जायं तो तत्काल निर्णय देने की कृपा करें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, समय तो काफी लग गया है और यदि आप आज ही निर्णय दे दें तो सभी को सब्र हो जायगा। इसलिये इसको आप आज ही ले लें।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---मान्यवर, एक निवेदन यह करना है कि आपने कहा कि गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है और वह उत्तर देंगे। जो प्रश्न गौरीशंकर राय जी ने उठाया है वह यह है कि बजट अधिवेशन में माननीय चरणसिंह जी ने यह यह चीजें कही हैं। अब बजट स्पीच भी आपके पास है और अखबार भी आपके पास मौजूद है और डाकूमेंटरी प्रूफ पर मामला बेस करता है तो फिर किसी बात की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष---आप फिर वही क्वैश्चन कर रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, क्या असेम्बली प्रोसीडिंग्स से काम नहीं चल सकता है ?

श्री अध्यक्ष---जी नहीं।

श्री प्रतापसिंह---कैसे ?

श्री अध्यक्ष---वही तो मैं कल बताऊंगा जब उठाने की इजाजत दूंगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, मुझे तो इतना ही निवेदन करना है कि वादविवाद बेकार का चल गया है। कुछ शंकायें भी उठाई गई हैं जो उचित नहीं मालूम पड़तीं। मेरा इतना निवेदन है कि कल के लिये जैसी कि आपने व्यवस्था दी है, उससे पूर्व कि आप कोई निर्णय दें ऐसी परिस्थिति में अच्छा नहीं होगा कि और लोगों को कहने का मौका न रहे। इसलिये मैं समझता हूं कि सब को कहने का मौका दिया जाय। यह न हो कि उनके मन की बात मन में ही रह जाय और गौरी शंकर राय जी को भी मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---ऐसी कोई बात नहीं है और उनको मौका दिया जायगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बारूद पकड़े जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—माननीय गोविन्दसिंह विष्ट ने एक प्रश्न उठाया है जिसको मैंने स्वीकार किया है। वह इस प्रकार है कि—"पुलिस के विशेष दल (स्क्वाड) ने मई के आरम्भ में उत्तर प्रदेश के कई पश्चिमी जिलों में जिनमें खुर्जा, हापुड़, सहारनपुर व बुलन्दशहर भी हैं, में छापा मारकर १५,००० पौण्ड बारूद पकड़ा है और ५ आदमियों को गिरफ्तार किया। अब्दुल हामिद नाम का एक व्यक्ति दिल्ली में ९ बमों के साथ पकड़ा गया था जब कि राजधानी में हुए बम के विस्फोटों के संबंध में जांच की जा रही है। ये बम देने एक पाकिस्तानी नागरिक बिना प्रवेश पत्रों के आया था जो पकड़ा गया है, हामिद के सुराग देने पर यह बारूद पकड़ा गया। अभी कुछ समय पूर्व सीतापुर में दो बार बारूद की दर्जनों पेटियां पकड़ी गई थीं। इस प्रदेश व देश की आंतरिक सुरक्षा खत्म करने को यह पंचमांगियों व एक विदेशी राष्ट्र में श्रद्धा रखने वाले लोगों ने उत्तर प्रदेश भर में हथियार, बारूद आदि खतरनाक चीजें जमा की हैं। इससे हमारी सुरक्षा को सख्त खतरा पैदा हो गया है।"

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—श्रीमन्, यह प्रश्न चार स्थानों से संबंधित है। पूरी सूचना मंगाने में देर लगती है, लेकिन चूंकि विधान सभा १२ मई तक ही बैठ रही है इसलिये १२ मई को वक्तव्य दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—ठीक है।

सीतापुर, सिविल लाइन्स में नजूल के प्लाट, राजा महमूदाबाद द्वारा बिक्री किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब राजा साहब, महमूदाबाद द्वारा कुछ प्लाटों आदि का बयनामा करने और उन पर तामीर कराने के संबंध में सर्वश्री देवनारायण भारतीय तथा अवधेशकुमार सिनहा द्वारा दिनांक ५ मई, १९६१ को नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वायत्त शासन मंत्री का वक्तव्य होगा।

*स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—अध्यक्ष महोदय, सीतापुर में सिविल लाइन्स में कुछ नजूल प्लाट हैं जो राजा अमीर हसन खां साहब को दिये गये थे। यह नजूल की भूमि है और राजा साहब के इसमें नान-आकूपेंसी राइट्स हैं। सन् १९४७ में इन प्लाट्स को उन्होंने बेंचने की कोशिश की और कुछ नजराना भी लिया। किन्तु नगरपालिका ने इस बात में एतराज किया और उस एतराज करने पर वह बेंचने का सवाल रुक गया। इसके पश्चात नजूल भूमि में से कुछ जमीन सरकार को एक्वायर करने की जरूरत पड़ी जो कि रेपयूर्जीज के लिये आवश्यक थी। जब इसका कम्पेन्सेशन जांचा गया तो कम्पेंसेशन रेट्स वह दिये गये जो नान-आकूपेंसी टेनेंट्स के होते हैं। इसमें राजा साहब को एतराज हुआ। एतराज होने पर वह सिविल कोर्ट में गये। सिविल कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इनको हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं है। वह हाई कोर्ट में अपील में गये। अभी हाल ही में उस अपील का भी फैसला हुआ। उसके जजमेंट की कापी तो नहीं मिली है किन्तु इतनी जानकारी हो पायी है कि उनकी वह अपील भी स्वीकार नहीं हुई।

पिछले वर्ष में, १९६० में कुछ प्लाट्स राजा साहब ने कुछ लोगों को बेंच दिये। उन्होंने इन प्लाट्स में जो खरीददारी थी अपने नाम दर्ज करवाने के लिये दरख्वास्त दी नगरपालिका में। नगरपालिका ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेजा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इस बात की जांच करवाई और जांच करवाने पर तथा यह हाईकोर्ट का फैसला आने पर यह समझा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया कि वह हस्तांतरित नहीं कर सकते। इसलिये म्युनिसिपल बोर्ड को यह आदेश दे दिया गया है कि वह उसमें, जो खरीददारी उनके नाम से है न दर्ज करें। हाई कोर्ट का फैसला मंगवाया जा रहा है और जो पुराना उनका ऐग्रीमेंट है, उसको भी लिया जा रहा है और उस पर कानूनी राय ली जा रही है। फिलहाल कार्यवाही स्थगित है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट जो कि अखिल भारतीय ऐक्ट है उसमें "बोनाफाइडी परचेजर" और "वेल्यूएशन इन गुड फेथ" जो काम करता है उसके खिलाफ कुछ हो नहीं सकता, तो जिन लोगों ने बोनाफाइडिली खरीद डाला और इमारतें बनवा डाली हैं उनके हक सरकार कैसे खत्म करने जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि ये सब कानूनी प्रश्न हैं और इस चीज की जांच हो रही है । कानूनी तरीके से जांच होगी, तभी किसी फैसले पर पहुंचा जा सकेगा।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---मान्यवर, राजा साहब महमूदाबाद ने सन् १९५० से पहले, अभी मंत्री जी ने जैसा कहा कुछ आराजी नजूल की बेच दी थी कुछ लोगों के हाथ और जब उस पर चुंगी ने एतराज किया तब उन्होंने डिक्लेरेटरी सूट सिविल कोर्ट में फाइल किया और सन् १९५० में राजा साहब के खिलाफ उस पर फैसला हो गया। मैं पहले यह जानना चाहता हूं कि जितनी आराजी उन्होंने पहले बेंच दी थी उस पर उस डिक्लेरेटरी सूट के फैसले का क्या असर पड़ा और क्या म्युनिसिपल बोर्ड ने उन बैनामों को मंसूख मानकर के उस आराजी पर कब्जा कर लिया ?

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, स्थिति यह नहीं है । मैंने निवेदन किया था कि सन् १९४७ में उन्होंने कुछ जमीन बेची थी जिसमें नजराना भी ले लिया था। म्युनिसिपल बोर्ड ने उस बात पर एतराज किया तो वह चीज रुक गई और नजराना वगैरह वापस हो गया। यह सिविल सूट इस बात के ऊपर हुआ कि जब सरकार ने रिपयूजीज के लिए जमीन एक्वायर की तो उसका कम्पेन्सेशन उस शरह पर न था जो शरह नान-आक्यूपेंसी राइट्स वालों की होती है। इसमें उनको एतराज हुआ कि हमारे नान-आक्युपेंसी राइट्स नहीं बल्कि पूरे मालिकाना राइट्स इस पर हैं। इस पर फैसला हुआ।

श्री देवनारायण भारतीय---सन् १९५० में सिविल जज, सीतापुर से एक फैसला राजा साहब महमूदाबाद के खिलाफ हो गया, फिर सन् १९६० में उन्होंने नजूल की आराजी कैसे बेंच दी और क्या ऐसा करके उन्होंने कंटेम्प्ट आफ कोर्ट नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष---वे कंटेम्प्ट आफ कोर्ट के सम्बन्ध में राय यहां नहीं दे सकते।

श्री देवनारायण भारतीय---मैं यह जानना चाहता हूं कि जब एक फैसला उनके खिलाफ सिविल कोर्ट से सन् १९५० में हो चुका था तब उन्होंने सन् १९६० में और आराजी कैसे बेंच दी और वह बैनामे कैसे जायज समझे गए ?

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, यह तो एक प्राइवेट ट्रांजेक्शन था। राजा साहब उसको बेचा और खरीदार ने उसको खरीदा। जिस वक्त यह चीज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और नगरपालिका की नोटिस में आयी तभी से इस पर कार्यवाही शुरू हो गई।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सन् १९६० में जमीन राजा साहब ने बेंची है और सन् १९६१ में उसका इन्दराज वगैरह हुआ है वह जनसंघ कार्यालय के लिए ली गई है, ऐसी कोई सूचना है माननीय मंत्री जी के पास ?

श्री कैलाशप्रकाश--कोई इन्दराज सन् १९६१ में हुआ है इसकी तो सूचना मुझको है नहीं, लेकिन यह सूचना है कि कुछ जमीन इसमें से हाइडिल विभाग के लिए ली गई है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि यह जो बंगले इस जमीन में बने हुए हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी रहते हैं, सिविल सर्जन भी रहते हैं और और भी दूसरे बड़े-बड़े अधिकारी रहते हैं? क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन बंगलों का नक्शा म्युनिसिपल बोर्ड ने ही पहले पास किया था?

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, जो भूमि राजा साहब क्लेम करते हैं उसमें ये बंगले बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का भी बंगला उसी में है, जज साहब का भी बंगला उसी में है और यह मैं कह नहीं सकता हूं कि बहुत पुरानी बात होगी कि उस वक्त म्युनिसिपल बोर्ड ने नक्शा पास किया या नहीं, म्युनिसियल बोर्ड ने कोई आज्ञा दी या नहीं दी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सिविल सर्जन का बंगला है यह नजूल की जमीन में है या राजा साहब की निजी जमीन थी जिसको उन्होंने बेंचा है और उसमें वह बंगले बने हुए हैं?

श्री कैलाशप्रकाश-- जिस जमीन का जिक्र है, यह जमीन बहुत पहले राजा अमीर हसन खां ने खरीदी थी। यह नजूल की जमीन थी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जिलाधीश और सिविल सर्जन के बंगले किस सन् में बने?

श्री कैलाशप्रकाश--इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो नान-प्राफुपेन्सी पट्टा था वह किस सन् में दिया गया और उसकी शर्तें क्या थीं यानी मुहल्ला बनाने के लिये या जरात के लिये?

श्री कैलाशप्रकाश--मैं अभी निवेदन कर चुका हूं कि जो अल्प समय था उस अल्प समय में वह एग्रीमेन्ट अभी निकाला नहीं जा सका है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि यह बंगले सरकार की तरफ से बनाये गये थे या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अपनी ओर से बना लिये थे बिना सरकार से पूछे या बिना राजा साहब से पूछे?

श्री कैलाशप्रकाश--इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री अवधेशकुमार सिनहा--क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि यह सारी बातें जिलाधीश की नोटिस में आ गई थीं और जिलाधीश ने इस मामले में कोई उचित कार्यवाही नहीं की? इसका क्या कारण है?

श्री कैलाशप्रकाश--मैंने निवेदन किया कि जिस समय यह बातें जिलाधीश के सामने म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से पहुंची तो उन्होंने इस बात की इन्क्वायरी की कि यह मामला हल हो सकता है या नहीं। इसी दौरान में हाई कोर्ट का फैसला आया तो उन्होंने म्युनिसिपैलिटी को यह आदेश दिया कि इसमें अभी कोई इन्दराज न किया जाय।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि राजा अमीर हसन खां को यह जमीन जो मिली, वह किसके जरिये से मिली, किस गर्ज से मिली और कब मिली?

श्री अध्यक्ष--वह कहते हैं कि वह पर अभी निकल नहीं पाये हैं।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि राजा साहब, महमूदाबाद कुछ समय पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मंत्री थे और उसी जमाने में यह नजूल की आराजी इत्मिनान से उन्होंने अपने नाम करा ली थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—अखबारों के जरिये से यह जानता हूं कि वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मंत्री थे। यह जमीन उसी समय या किस समय अपने नाम कराई, यह मैं नहीं बतला सकता।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि यह सब अधिकारी, जिन मकानों में रहते हैं, उसका किराया राजा साहब को देते हैं या सरकार को ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह भी जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब हाई कोर्ट ने ७ अप्रैल, १९६१ को राजा साहब के क्लेम को नहीं माना है और उनके खिलाफ फैसला दिया है ? यदि हां, तो वे इस नजूल की आराजी को जनहित में लेने की कृपा करेंगे और उसमें उन लोगों को बसाने की कृपा करेंगे जिनके पास बसने के लिये सीतापुर में कोई जगह नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—पिछले हिस्से का उत्तर दीजिये।

श्री कैलाशप्रकाश—मैं निवेदन कर चुका हूं कि हाई कोर्ट का फैसला हुआ। उस फैसले की कुछ बातें मालूम हुई, लेकिन अभी रा जजमेंट दस्तयाब नहीं है। जजमेंट मंगाया गया है। जो पुराना एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट को दस्तयाब करने की कोशिश की जा रही है। इन दोनों चीजों के होते हुये भी कानूनी राय ली जायगी। कुछ राय ली गई है। इस प्रकार से कानूनी राय लेने के बाद तथा इन चीजों को देखने के बाद इसका फैसला हो सकेगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह राजा साहब, जिनके बारे में बात हो रही है, भारतीय राष्ट्र के नागरिक हैं या किसी दूसरे राष्ट्र के नागरिक हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, यह तो मुझे नहीं मालूम कि वह किस राष्ट्र के नागरिक हैं, बाकी वह रहते पाकिस्तान में हैं।

श्री सुरथबहादुर शाह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि राजा साहब, महमूदाबाद इस जमीन का सालाना कितना लगान अदा करते हैं और क्या सरकार आज तक उन पर लगान न अदा करने के लिये कोई मुकदमा भी चलाया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह तो जाहिर है कि कोई मुकदमा नहीं चलाया।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो राजा साहब हैं वह पाकिस्तान चले गये हैं और उनकी अदम मौजूदगी में यह जगहें कौन बेंच रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह सब सूचना मंगवाने के लिये यह दो-चार रोज का समय इतना कम था कि मैं यह सब बात नहीं पता कर सका। इस समय इस बात की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—सूचना पूछने का मतलब यह है कि जब आप जांच करें तो जो प्रश्न किया गया है उससे संबंधित जितनी बातें हों उनका आप पता कर लें। यह कोई उम्मीद नहीं करता कि आप सारे प्रश्नों का ही उत्तर दे दें।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सूचना सरकार के पास है कि इस नज़ूल लैंड का कितना हिस्सा बेचा गया है और कितने रुपये में बेंचा गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, जो रिपोर्ट मैंने आप के सामने पेश की उससे प्रतीत होता है कि सन् १९६० में यह बेंची गयी है, लेकिन आगे की जांच में यह बात देख ली जायगी।

श्री जितेन्द्रप्रतापसिंह का विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

श्री अध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २७९ के अन्तर्गत विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्रप्रतापसिंह, सदस्य, विधान सभा के प्रार्थना-पत्र पर विचार होगा।

उनका प्रार्थना-पत्र इस प्रकार है :

"सेवा में,

माननीय अध्यक्ष,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश,

लखनऊ।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचना देनी है कि मैं गत डेढ़ महीने से बीमार हूं। १९ मार्च, १९६१ को दिल्ली में मुझे उच्च रक्त चाप का दौरा हुआ और मैं डा० सेन के नर्सिंग होम में दाखिल हुआ। घर आने के बाद भी मैं रुग्ण ही रहा। १७ अप्रैल, १९६१ को मुझे दिल का दौरा हुआ। डाक्टर ने मुझे कम से कम ३० मई, १९६१ तक आराम करने की सलाह दी है। मैंने कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक श्री मंगलाप्रसाद को सूचित कर दिया है जिन्होंने मुझे बताया है कि डाक्टरी प्रमाण-पत्र के साथ मेरा पत्र उन्होंने आपकी सेवा में भेज दिया है।

मुझे कृपया १९ मार्च से ३० मई, १९६१ तक गम्भीर रुग्णावस्था के कारण अवकाश दान करने की कृपा करें। सादर।

आपका विश्वासपात्र,

(ह०) जितेन्द्रप्रतापसिंह,

एम० एल० ए०,

कांठ हाउस बारादरी, मुरादाबाद।"

यह मैं समझता हूं कि प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाय।

(सदन की अनुमति से प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया।)

कार्यक्रम में परिवर्तन पर आपत्ति

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)---श्रीमन्, हमारे सामने जो संशोधित कार्यक्रम आया है उसमें उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक १० और ११ के लिये रखा गया है। मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १५३

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमान् जी, हमारी प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १५३ में यह लिखा हुआ है—

"(१) यदि यह प्रस्ताव कि संशोधन विचारार्थ लिया जाय, स्वीकृत हो जाय, तो अध्यक्ष संशोधन को इस प्रकार सदन के समक्ष रखेंगे जिससे वे उस पर विचार करने के लिये ठीक समझें।

(२) यदि परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार न किया जाय, तो परिषद् द्वारा किये गये संशोधन के विषय में सुसंगत संशोधन किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा, किन्तु विधेयक में कोई और संशोधन तब तक प्रस्तुत नहीं किया जायगा जब तक कि वह परिषद् द्वारा किये गये संशोधन का आनुषंगिक या वैकल्पिक न हो।

अब इस समय परिस्थिति यह है कि यह जो विधेयक हमारे सामने है उसमें करीब १०० संशोधन हैं। हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम ९८ के अनुसार ३६ घंटे का समय देना चाहिये। अब हमारी समझ में यह नहीं आता है कि इस नियम १५३ (२) के अनुसार हम संशोधन रखें तो कैसे रखें? फिर अगर कोई संशोधन स्वीकार हो जाता है तो उसके बाद स्थिति क्या होगी? इस समय जो विधेयक है वह बहुत समय पहले से आया हुआ विधेयक है और यह सदन उसको पास कर चुका है। अंतरिम जिला परिषद् का विधेयक जब आया तो उसके बारे में भी मैंने अपनी आपत्ति उठाई थी।

श्री अध्यक्ष—पहले आप जो संशोधन भेजना चाहें, वे भेज दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, यह विधेयक कल पेश होने वाला है और इसमें १०० संशोधन के करीब हैं। इसमें ३६ घंटे की बात भी नहीं रखी गयी है। फिर आप देखें कि नियम १३५ (२) में यह लिखा है कि 'यदि परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार न किया जाय, तो परिषद् द्वारा किये गये संशोधन के विषय से सुसंगत संशोधन किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा' तो मैं आपसे इस रूल की व्याख्या चाहता हूं। ऐसी सूरत में जबकि यह विधेयक हमारे सामने है और उसमें इतने संशोधन हैं, तो हमको कुछ उन पर सोचने का मौका भी तो मिलना चाहिये। अगर एक भी संशोधन पारित हो गया तो स्थिति विषम हो जायगी। उस परिस्थिति को आप कैसे हल करेंगे, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आपको संशोधन मेरे पास भेज देना चाहिये, फिर मैं उसको देखूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं श्रीमन्, नियम १५३ (२) की व्याख्या आपसे चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—इसमें यह लिखा है कि "यदि परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार न किया जाय, तो परिषद् द्वारा किये गये संशोधन के विषय से सुसंगत संशोधन किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा"। आप संशोधन भेज दीजिये, बाद को मैं उसको देखूंगा....

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मेरी यह आपत्ति जब अंतरिम जिला परिषद् विधेयक आया था उस समय भी थी और अब भी है। इसमें करीब १०० संशोधन हैं और यह हो सकता है कि एक भी संशोधन सदन स्वीकार कर ले। तो उस सूरत में परिस्थिति क्या होगी....

श्री अध्यक्ष—जो संशोधन उनके हैं अगर आप उनसे एग्री करते हैं तो संशोधन मत दीजिये, नहीं तो भेज दीजिये....

श्री मोतीलाल अवस्थी—अगर एक भी संशोधन स्वीकार हो जाता है तो क्या स्थिति होगी? फिर आप शब्द "सुसंगत संशोधन" की तो परिभाषा कर दें कि वह किसके द्वारा प्रस्तुत होगा और अगर वह स्वीकार होता है तो क्या परिस्थिति होगी?

श्री अध्यक्ष---जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे तब तक "सुसंगत" है या नहीं, कैसे बता पाऊंगा ? ऐकेडेमिक डिस्क्शन मैं नहीं करता हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मेरा कहना यह है कि प्रक्रिया नियमावली में जो शब्द है वह स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम पोजीशन को नहीं समझ पाते ।

श्री अध्यक्ष---आप जो चाहे संशोधन उपस्थित कीजिए, जैसा आपको लगे ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---प्रश्न यह नहीं है कि सुसंगत हो या न हो, लेकिन इसमें संशोधन १०० से ऊपर हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि दो दिन में तो संशोधन पेश नहीं हो सकते, कम से कम ५ दिन का समय तो चाहिए। अगर इसको वास्तव में पास होना है तो ५ दिन का समय अवश्य होना चाहिए, १०० संशोधन दो दिन में कैसे पेश हो सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---आज वह उपस्थित नहीं होंगे। जब तक वह विधेयक उपस्थित नहीं होता तब तक कैसे बहस हो सकती है ?

एक सदस्य---वह बता दें कि कितने दिन दिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---उनके कहने पर सदन बाध्य नहीं है। सदन चाहेगा तो वह १० दिन बैठ सकता है, दो रोज ही बैठे इसके लिए बाध्य थोड़े ही है। पहले तो ये छोटे-छोटे विधेयक हैं, उनके पारित हो जाने के बाद जब वह तीसरे नम्बर वाला चले तो आप शंकाएं, कुशंकाएं जो हों उनको उपस्थित करें, पहले से शंकाएं सवाल उठाना भूल है ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

*श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---श्रीमान जी, मैं ४ वर्ष में ५३ कार्य-स्थगन प्रस्ताव दे चुका हूं, लेकिन आपने एक भी स्वीकार नहीं किया। भीखमपुर में ४ हजार गाय मार डाली गयीं, उसको दफा ५२ में नहीं लिया। महाशय रामलाल के सम्बन्ध में प्रस्ताव दिया, मैंने यह सूचना दी कि ४ सांडों को एक मुसलमान ने मार दिया, अठकोनवां ग्राम में हिन्दू मुसलमान दंगा होने की सम्भावना है, लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं लिया आपने। आप बतलाइये कि मैंने क्या गलती की थी जो एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव मेरा नहीं लिया जाता, अब इस सम्बन्ध में आप क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---मैंने आपसे कहा कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछ लें, परसों आपको जवाब मिल जायगा ।

श्री बंशीधर शुक्ल---गायों के सम्बन्ध में रोज अखबारों में निकलता है, १५ रोज हो गये हैं, अभी तीसरा दिन नहीं आता। अब नहीं लेते तो कल इसको लीजिये। यह मामूली बात नहीं है। वहां दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---दूसरा प्रश्न यह है कि आज दो बार अजनबी लोग आये हैं, आपको बार-बार व्यवस्था करनी पड़ती है। तो जैसे मैंने उस रोज पढ़ा था, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के नियम १०३ के अनुसार उसमें मार्शल को आदेश दे दें कि वह स्ट्रेंजर को न आने दें ।

श्री अध्यक्ष---मैं इस विषय में आदेश दे दूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (बनाये रखने का) विधेयक, १९६१†

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)----अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (बनाये रखने का) विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh storage Requisition (Continuance) Bill, 1961] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, जहां तक इस विधेयक का संबंध है, सरकार इसमें ५ साल की इजाजत चाहती है, वह इस बात के लिए कि हमारे प्रदेश में जहां तक अन्न की समस्या का सम्बन्ध है, कई स्कीमें सरकार की चल रही हैं और सरकार को अन्न स्टोर करना पड़ता है। तो जहां तक इस विधेयक की अवधि का संबंध है, वह ३१ जून, १९६१ को समाप्त हो रही है। जहां तक अन्न और उसके स्टोरेज का सम्बन्ध है, उसकी स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी भारत सरकार से जो अन्न आता है या यहां पर जो लेवी स्कीम के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसके लिये कभी-कभी गोडाउन्स को रिक्वीजिशन करना पड़ता है। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, यूं तो इस बात की आवश्यकता नहीं पड़ती कि इसका प्रयोग किया जाय, लेकिन कभी-कभी, जिनके पास गोडाउन्स होते हैं वह ज्यादा दाम मांगने लगते हैं और सरकार उतने दाम देने में मजबूर होती है तभी इस ऐक्ट के द्वारा सरकार जो अधिकार मांग रही है उसका प्रयोग करना पड़ता है . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं आप संक्षेप में ही कहिये क्योंकि इसमें सिर्फ तारीख बढ़ाने की ही बात है। इस विधेयक पर बहस तो पहले हो ही चुकी है।

श्री धर्मसिंह—जी हां, इसपर कोई ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है। इस संशोधन विधेयक के द्वारा सरकार ५ साल के अधिकार और चाहती है। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह इसको पारित करने की कृपा करे।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (बनाये रखने का) विधेयक, १९६१ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो विधेयक की परिधि को भी विस्तृत कर सके और अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत कर दे।

श्रीमन्, यह कोई साधारण सा विधेयक नहीं है बल्कि इसमें एक नीति निहित है जिसके सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा प्रकाश डालना चाहूंगा। इसके साथ अन्न संग्रह करने की नीति भी सन्निहित है। माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ थोड़ा सा स्पष्टीकरण करने की कोशिश की, लेकिन आपने चाहा कि संक्षेप में ही हो इसलिये हम लोग उनकी बहुत सी बातों को सुनने से वंचित रह गये। उन्होंने अधिग्रहण करने की दिक्कतें बतानी चाही थीं और उनको भी दूर करने के लिये सरकार को जो अधिकार मिले हुए हैं उनकी आवश्यकता भी बतानी चाही थी। मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहूंगा कि इसमें दो बातें सम्मिलित हैं। मैंने अपने संशोधन में रखा है कि प्रवर समिति को परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो जिसका अर्थ यह है कि यह उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, जो सन् १९५५ का है, उसके अन्दर विशेष बातों को लाने का प्रयास किया जाय। श्रीमन्, सन् १९५५ में यह अधिनियम बना था, सन् १९५६ में इसकी अवधि एक साल के लिये बढ़ाई गई और फिर १९५८ में इसकी अवधि ३ साल के लिये बढ़ाई गई और अब १९६१ में पांच साल के लिये इसकी अवधि बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। श्रीमन्, सन् १९५५ में यह आवश्यकता समझी गई थी कि कुछ खाद्यान्न भांडारों का अधिग्रहण किया जाय। उसके बाद उसकी अवधि बढ़ाकर अब यह ११ साल तक पहुंचने वाला है। सरकार ने अपने उद्देश्य और कारणों में लिखा है—

"इस समय यद्यपि खाद्यस्थिति सन्तोषजनक है फिर भी वह अस्थिर है ....."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†५ मई, १९६१ की कार्यवाही में छपा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अब तो एक बज गया है।

श्री उग्रसेन—अभी तो १–२ मिनट बाकी हैं।

(इस समय १ बजे अधिष्ठाता, कुंवर श्रीपालसिंह, पीठासीन हुए।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि उद्देश्य और कारणों में यह बात लिखी हुई है—

"इस समय यद्यपि खाद्य-स्थिति सन्तोषजनक है फिर भी वह अस्थिर है। सस्ते गल्ले की दूकानों के जरिये खाद्यान्नों के वितरण की योजना अभी चालू है और कमी वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये तथा प्राकृतिक आपदाओं की दशा में आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भी सुरक्षित भांडार (बफर स्टाक) रखने की नीति का अनुसरण करते हुए उद्ग्रहणप्रणाली (levy system) के अधीन चावल खरीदे जा रहे हैं।"

इससे ऐसा विदित होता है कि इसमें सरकार की राज्य व्यापार की नीति निहित है तथा उन्होंने इसमें थोड़ा सा संदेह पैदा किया है कि खाद्य स्थिति अस्थिर है जिसके कारण भांडार अधिनियम की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा सस्ते गल्ले की दूकानों का जो जाल फैला हुआ है और उसके द्वारा प्रदेश में कन्ट्रोलों से जो भ्रष्टाचार फैला है, वह भी इस विवाद में आ जाता है। सरकार ने कुछ आकस्मिक विपत्तियों की बात भी कही है। उसका कहना है कि सरकार बफर स्टाक बनाना चाहती है और लेवी सिस्टम भी वह रखने जा रही है।

सरकार ने खाद्यान्न स्थिति को असन्तोषजनक क्यों बना रखा है और उसके फलस्वरूप सस्ते गल्ले की दूकानों में भ्रष्टाचार को उत्पत्ति क्यों कर रखी है और लेवी सिस्टम, जिसके द्वारा सरकार ने किसानों के अधिकारों का उल्लंघन किया है, उसको सरकार क्यों बढ़ाना चाहती है? इनके लिये ही सरकार ५ साल तक मियाद बढ़ाने वाला विधेयक ला रही है।

पहले मैं सरकार की अन्न ग्रहण करने की नीति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे सामने बजट में जो आंकड़े मौजूद हैं उनके अनुसार १९५९–६० में २३ करोड़ रुपये का अन्न खरीदने की जरूरत हुई और उससे आय हुई १८ करोड़ २८ लाख रुपये। इस तरह से १९५९–६० में करीब ५ करोड़ रुपये की हानि हुई। १९६०–६१ में सरकार ने चाहा कि २३ करोड़ के बजाय ३६ करोड़ हो जाय, लेकिन बीच ही में अपनी योजना को उसे बन्द कर देना पड़ा और केवल १३ करोड़ रुपये का ही खाद्यान्न खरीदा। इस वर्ष भी, जैसा कि विधेयक में कहा गया है, खाद्यान्न की स्थिति अस्थिर है इसलिये सरकार १८ करोड़ ४७ लाख रुपये का खाद्यान्न प्राप्त करना चाहती है और उससे सरकार ने लाभ भी बताया है। सरकार को १९ करोड़ ६४ लाख रुपये की आमदनी होगी।

हमारे सामने जो आंकड़े मौजूद हैं उनसे मालूम होता है कि सरकार का वेतन आदि में ९१ लाख रुपया व्यय होता है। अब देखना यह है कि ९१ लाख रुपया व्यय करने के बाद भी सरकार सचमुच जनता को, उपभोक्ताओं को, कोई लाभ पहुंचा भी पाती है या नहीं। इस साल की योजना को हम देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि कहां-कहां क्या-क्या है, उसमें क्या-क्या दोष हैं तथा उनका सुधार करने के लिये हमें क्या-क्या प्रयास करना चाहिये। और इसीलिये मैंने इसकी परिधि को बढ़ाने की बात कही है। हमारे सामने जो सन् १९५५ का मूल ऐक्ट है उसके हर पहलू का हम अवलोकन करना चाहते हैं ताकि उस की जो त्रुटियां हैं उन को हम वहां सुधार सकें। अगर हम इसे इसी तरह से इस समय भी रहने देते हैं तो जो दोष ५ साल तक चले आये है वह अब आगे भी बने रहेंगे। इस ऐक्ट में वैसे तो केवल १६ ही दफायें हैं, लेकिन इसकी मूल दफायें यह हैं कि पहले तो कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि वह अगर जरूरत

समझे तो उन भांडारों को जहां अन्न संग्रह होता है अधिगृहीत कर ले और वह जितनी अवधि तक उचित समझे उसे अपने अधिग्रहण में रखे। अब आगे जो अधिग्रहण का तरीका होगा वह भी दिया हुआ है। इसमें है कि पहले एक नोटिस की तामीली की जायगी। उस में भी यह है कि अगर उसके मालिक का पता लगे तो लगे, और अगर न लगे तो नोटिस उस स्थान पर चिपका दिया जायगा और तामील की कार्यवाही पूरी समझी जायगी। इस का मतलब यह है कि अगर कोई स्थान अधिग्रहण करना है तो उस की सूचना मालिक को न भी मिले तब भी उसका भांडार अधिग्रहण किया जा सकता है। श्रीमन्,आप का तो जमींदार वर्ग से सम्बन्ध रह चुका है। आपको मालूम होगा कि अदालतों से जो नोटिस निकलते हैं उनकी तामील का क्या तरीका होता है .....

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—श्रीमान जी का जमींदार वर्ग से सम्बन्ध जरूर रहा है, लेकिन उन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत काम किया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—ठीक है वह न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, वह तो न्याय का पालन करते ही हैं। मैं यह कह रहा था कि नोटिसों की तामीली का आम तौर पर तरीका यह रहा है कि पहले से २–४ रुपए नोटिस तामील करने वाले को दे दिये जाते हैं। वह वहीं बैठकर दो तीन आदमियों के दस्तखत बनवा लेता है कि वह मिले नहीं और मौके पर नोटिस चिपका दी जाती है या अदम तामीली लिखा दी जाती है कि वह मिले नहीं। वही तामील समझी जाती है और उसी पर डिग्री हो जाती है। मैं पढ़ दूं। इसमें है कि—

> "अधिग्रहण आज्ञा की तामील भांडारिक आवास के स्वामी अथवा अध्यासी पर, यदि कोई हो, अथवा यदि स्वामी अथवा अध्यासी अविलम्ब प्राप्य न हो अथवा स्वामित्व विवादग्रस्त हो, तो भांडार आवास के किसी प्रमुख स्थान पर नोटिस चिपकवा कर तथा सरकारी गजट में आज्ञा से प्रकाशन द्वारा, की जायगी।"

इसके बाद में आप देखें कि कलेक्टर को क्या अधिकार हैं, वह पांचवीं धारा में है कि "यदि कलेक्टर ने भांडारिक आवास अधिगृहीत कर लिया हो तो वह उसे ऐसी रीति से प्रयुक्त अथवा व्यवहृत करेगा जो उसे खाद्यान्नों एवं खाद्य-सामग्रियों को भांडार में रखने के निमित्त इष्टकर प्रतीत हो।"

यानी अगर कलेक्टर चाहे तो किसी रूप में भी, दूसरों को किराये उठाकर या यों ही लेकर उनका उपयोग कर सकता है। इसमें बहुत से व्यापक अधिकार दिये गये हैं, जिस तरह से कि पहले भी बहुत से अधिनियमों में उनको, जनता के अधिकारों पर कुठाराघात करके बहुत से अधिकार दिये जाते रहे हैं। उनके द्वारा अक्सर अधिकारों का दुरुपयोग होता है। यहां भी उसी तरह के अधिकार दिये गये हैं। इसमें आगे अधिकार है कि किसी भी समय अधिकारियों द्वारा इन स्थानों में प्रवेश किया जा सकता है और उनका निरीक्षण किया जा सकता है और उनके ऐसा करने में कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं कर सकता। यह अवश्य है कि जिनके भांडार लिये जायेंगे उन को कुछ प्रतिकर देने की बात भी इस में कही गई है, लेकिन प्रतिकर का फैसला भी उसी अधिकारी पर छोड़ा गया है। लेकिन ऐसी हालत में जब प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई वादविवाद हो तो वह न्यायालय में जा कर रिफ्रेन्स कर के फैसला करा सकता है। एक तरह से उनको यह डिक्टेटोरियल पावर है, वह चाहे रुपये के आठ आने दें या रुपये के १७ आने दें। इस में यह है कि किसी को उस पर उज्र हो तो वह अदालत में जा कर चाराजोई करे और अदालत में जा कर रुपया बर्बाद करे। इस के बाद जो कुछ वहां होता है वह सब को मालूम है। वहां किसी को एतराज करने का और सांस लेने तक का अधिकार नहीं रखा गया है। और कहा गया है कि इसके विपरीत किसी प्रकार की कार्यवाही न्यायालय में करने का कोई हक नहीं रहेगा। तो सरकार ने एक मानोपोलेस्टिक अधिकार सन् १९५५ में उस समय लिया था जब अन्न के बारे में एक बड़ी विषम अवस्था प्रदेश में थी।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

आज जो बजट भाषण वगैरह में यह बताया जाता है कि हमारी स्थिति संतोषजनक होती जा रही है और पिछले साल जो अन्न संग्रह करने की योजना थी उसको बीच साल में ही जो खत्म कर दिया गया, इससे यह साबित होता है कि अन्न संग्रह की बात अब ऐसी आवश्यक नहीं है जैसी कि पहले थी। तब भी इसकी अवधि ५ साल बढ़ाने की बात कही गई है। पहले १ साल बढ़ाई जाती है, फिर २ साल और इस समय जब कि स्थिति संतोषजनक समझी जा रही है तो ५ साल बढ़ाने की बात की जाती है ताकि सरकार चादर तान कर सो सके और मनमाना काम किया जा सके। इसका मैं विरोध करता हूं। ये जो डिक्टेटोरियल पावर्स हैं इनका मैं सख्त विरोधी हूं। किसी विशेष परिस्थिति में ऐसे अधिकार भले ही दिये गये हों, लेकिन जब खाद्यान्न की स्थिति सम्हलती हुई जाहिर हो रही है तो इन विशेष अधिकारों को सरकार को देना मैं उचित नहीं समझता हूं।

श्रीमन्, यही नहीं कि केवल भांडार अधिग्रहण करने की ही बात है बल्कि इसके अन्दर खाद्यान्नों के स्टेट ट्रेडिंग की बात भी निहित है। हम देखना चाहते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग कहां तक उचित है। जब इसके बारे में सरकार ने कुछ इच्छा जाहिर की या प्रयास किया तो हमने इसका विरोध किया क्योंकि इस स्टेट ट्रेडिंग के साथ-साथ जो ब्योरोक्रेसी का कारवां है, जिससे हमेशा शंकित रहना पड़ता है और उसमें तमाम भ्रष्टाचार भरा हुआ है। शंका होती है कि वह कारवां फिर एक नये रास्ते से गुजर रहा है।

आज अन्न संग्रह की योजना हमारे सामने लाई जा रही है। जैसा कि उद्देश्य और कारण में बतलाया गया है, सस्ते गल्ले की दूकानों के द्वारा खाद्यान्न के वितरण की बात है। यह सस्ते गल्ले की दूकानें क्या हैं? यह केवल कांग्रेस को चुनाव में जिताने का रास्ता है, और कुछ नहीं है। जितनी भी दूकानें खुलीं वह कांग्रेस के मंत्री, उपमंत्री, और एम० एल० एज० के एजेन्टों को खाने पीने की जगह मिलीं। श्रीमन्, पहले नेगी जी इस विभाग के मंत्री थे। उनके दफ्तर में मुझे जाने का मौका मिला। कानपुर के बारे में मैंने उनसे चर्चा की तो जवाब दिया गया कि गल्ले की दूकानें तो सब निश्चित हो चुकी और उस दिन किसी जिले के कुछ कांग्रेस मैन उसी गल्ले की दूकान के लिये बैठे थे और उन्हें वह दी भी गई। मैं इसलिये नहीं गया था कि किसी को दूकान दिलाऊं और कोई बेजा काम करने के लिये कहूं, लेकिन मैं पर्दा उठाकर देखने के लिये जरूर गया था कि क्या नाटक मंत्रियों और उपमंत्रियों के कमरों में हुआ करता है और वह मैंने देखा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस तरह की बात को रोकें। इस पर्दे के अन्दर बड़ा भ्रष्टाचार और अनाचार हो रहा है और मैं अपने अनुभव और उम्र के तकाजे के अनुसार कह सकता हूं कि कांग्रेस सरकार में अगर कीड़ा और घुन लगा है तो इसी कारण से लगा है कि जो सस्ते गल्ले की दूकानों को खोलने के सम्बन्ध में ऐसे तरीके अख्तियार कर रखे हैं। और आज इसको सरकार खुले आम, सिद्ध हस्त बांटती है चन्द लोगों को जो उन्हीं के हैं और रहेंगे। तो यह विधेयक क्या है? यह तोफा लाने वाली टोकरी है और सरकार को यह टोकरी मिल गई ५ साल के लिये तो तोफे बटेंगे और वह लोग चुनाव में मदद देंगे। ठीक चुनाव के पहले यह विधेयक हमारे सामने आता है कि इस टोकरी का ढक्कन न खोलें, चुपचाप इसको निकल जानें दें कहीं ऐसा न हो जो शिवाजी उसके भीतर छिपे हुये हैं वह निकल न जायं और मुगल साम्राज्य विध्वंस न हो जाय।....

श्री अधिष्ठाता—आप मुगल साम्राज्य के सैनिक हैं?

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं चिंतित हूं और इतिहास का विद्यार्थी हूं। इतिहास अपने आपको दोहराता है। इसलिये मैंने कहा जिससे नये उपमंत्री जी सचेत हो जायं।

इसके साथ श्रीमन्, बफर स्टाक कायम करने की भी बात है। यह बफर स्टाक क्या है? यह एक प्रकार से अपने देश के और विदेश से आये हुये अन्न का भंडार होता है। विदेश

से अन्न लेने का सरकार को मर्ज हो चुका है। कोई समय था जब यहां अन्न की कमी थी और कहीं कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि अरबों रुपये का अन्न अमरीका से लिया जाय। आज हमारी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है कि अमरीका से अब भी अरबों रुपये का अन्न मंगाते चले जायं? साथ ही कहेंगे कि अन्न का उत्पादन देश में बढ़ रहा है तो इन दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है ।

पाटिल साहब कहते हैं कि हमारी खाद्य की समस्या हल हो चुकी है और अब गल्ले की कोई कमी नहीं है। यहां तक उन्होंने कहा कि शायद खाद्य मंत्रालय के रहने की भी आवश्यकता नहीं है। एक तरफ तो वह यह कहें कि इस विभाग की आवश्यकता नहीं है और दूसरी तरफ हमारी सरकार कहे जाय कि ५ साल के लिये हमें भांडार को कायम रखने की आज्ञा दी जाय ताकि खाद्य के मामले में जो अस्थिर स्थिति है उसको ठीक रख सकें। आज सरकार ने हमको नहीं बताया कि लेवी सिस्टम और बफर स्टाक कायम करने तथा कंट्रोल की सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने तथा खाद्य उत्पादन करने में कितनी कायमयाबी हुई। इस आवश्यकता को सरकार को बताना चाहिये और उसके पीछे जो पालिसी है, जो वर्किंग की बातें हैं उनको भी हमको बताना चाहिये था बजाय इसके कि अवधि बढ़ा दी जाय। इससे प्रदेश के लाखों किसान एफेक्टेन्ड हैं, मजदूर और गरीब आदमी एफेक्टेड हैं, जो बेचारे सुबह ७ बजे से सस्ते गल्ले की दूकान पर बैठे रहते हैं और फिर भी उनको शाम के ७ बजे तक गल्ला नहीं मिलता है। उन्हीं को मिलता है जो उस दुकान वाले से मिले होते हैं, लेकिन उन लाचारों को नहीं मिलता। कोई भी स्वाभिमानी आदमी वहां से अन्न लेना नहीं पसन्द करता, कोई भी जिम्मेदार आदमी उतना अपमान सह कर अन्न नहीं लेगा। हमारी मातायें, बहनें जिनको दरवाजे से निकलने में मुश्किल है उनको ७,८ घंटे ग्रूप में बैठे हुये देखा है और उनको देरी होने पर इंस्पेक्टर वगैरह जो दुकानदार से मिले हुये होते हैं, उन सब को मिल कर समझाते हुये देखा है।

मैं कानपुर की हालत जानता हूं और वहां के मजदूरों की स्थिति भी जानता हूं। सरकार अगर कहती है कि अन्न भंडार रख कर हम उनकी समस्या को हल कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि नहीं कर रहे हैं। आज लोग सस्ते गल्ले की दूकानों पर जाकर अन्न लेना पसन्द नहीं करते हैं और बाजार से मंहगा गल्ला ले कर अपना समय बचाते हैं तथा काम पर जाते हैं। कम से कम उनको समय से रोटी तो मिल जाती है वह अच्छा है बजाय इसके कि कंट्रोल की दूकान पर वहां खड़े रहें और मिट्टी का मिला हुआ सड़ागल्ला लें। कौन सा ऐसा जिला है, जहां से यह शिकायत न आयी हो अमरीका की लाल ज्वार यहां सदन में अध्यक्ष महोदय को दिखायी गयी कि यह लाल ज्वार हमको खिलायी जाती है। क्या यह प्रदेशीय सरकार चाहती है कि ५ साल तक वही प्रबन्ध चले ?

आज यह कहा जाता है कि हमें फारेन एक्सचेंज चाहिये इसलिये कि उसके द्वारा आपको औद्योगीकरण करना है, उसके द्वारा आप बड़ी-बड़ी मशीनरी खरीदेंगे। लेकिन अगर आप इसी तरह से गल्ला विदेशों से मंगाते जायेंगे तो फारेन एक्सचेंज आवेगा कहां से ? आप लाल ज्वार और दूसरे अनाज विदेशों से, अमेरिका से मंगाते रहेंगे तो फारेन एक्सचेंज पाने के हकदार कहां रहेंगे ? यह तो एक बड़ी पालिसी से सम्बन्धित बात है जो हमारे देश के बनाव और बिगाड़ के साथ लगी हुई है। हमारे देश के उद्योग नहीं पनप सकेंगे जब तक सरकार इसी प्रकार की स्थिति बनाये रखेगी।

चाहे उद्योग की बात हो, चाहे खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होने की बात हो, सरकार क्या कर रही है यह हम जानना चाहते हैं। सरकार के कृषि मंत्री होते तो बताते कि रबी और खरीब के अभियानों द्वारा हमने इतना अन्न पैदा किया। लेकिन मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि अन्न का उत्पादन पिछले साल से इस साल कम है। चने का कम है और टोटल में भी कम है, गेहूं का कुछ अवश्य अधिक है और चावल के बारे में तो सरकार का कहना है कि वह उगाही उसकी करते जाते हैं और करते रहेंगे। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि हम किस अन्न में आत्म निर्भर हो पाये हैं। यदि उनका अन्न का उत्पादन सफल नहीं हो पाया

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

और यदि वे मुद्रा को विदशों से प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके तो वह किसान जनता को गल्ला दे सकने में भी सफल नहीं हो सकेंगे । फिर किस मुंह से वे कहते हैं कि हमको अवधि बढ़ाने दीजिये ५ साल के लिये ; ५५ लाख रुपये का जो खर्चा हर साल का है विभाग के कर्मचारियों का वह ५ साल तक बरदाश्त करते रहिये ।

श्रीमन्, सरकार गल्ले का रोजगार करती है । कभी यह गुड़ का रोजगार करती थी । यह रोजगार कितनी सफलता के साथ सरकार ने किया है यह मैंने अभी बताया है । १९५९-६० में ६ करोड़ का नुकसान दिखाया गया है । इस साल बताया जाता है कि लाभ होगा । १९६०-६१ में कुछ लाभ बताया गया है, लेकिन बीच में आधा चला है और आधा नहीं चला है । सरकार कभी भी व्यापार करने में सफल नहीं होगी क्योंकि इनका तरीका इतना खर्चीला है कि जिसके कारण व्यापार में सफलता नहीं हो सकती । कुछ मुलाजिमों को बढ़ाने, अपने कुछ रिश्तेदारों को रखने के लिये 'टु क्रियेट जाब्स' वाला मसला है और उन लोगों को संतुष्ट रखने के लिये, जिनको चुनाव में वादा किया गया है कि तुमको नौकरी दी जायगी, यह व्यापार आज चल रहा है । मंत्री जो शायद यह कहें कि सभी परिस्थितियों के लिये हमें तैयार रहना चाहिये । मैं जानना चाहूंगा कि क्या उसके लिये यही तरीके हैं और दूसरे तरीके नहीं हैं । सरकार ने २ साल पहले स्टेट ट्रेडिंग की बात कही थी कि हम प्रदेशों में स्टेट ट्रेडिंग के लिये खड़े हो रहे हैं और बड़े जोरदार शब्दों में हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हमको अब स्टेट ट्रेडिंग करने की बड़ी आवश्यकता है । आज वही सरकार डेढ़ साल बाद स्टेट ट्रेडिंग को बिलकुल अनावश्यक समझती है और केन्द्र के खाद्य मंत्री कहते हैं कि इस व्यापार को अब कायम रखने की आवश्यकता नहीं रह गयी है । मैं तो कहता हूं कि सरकार को खाद्य के व्यापार के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, और श्रीमन्, आपका तो किसानों से बहुत संबंध है, आप जानते हैं अक्सर किसान लोग कहा करते हैं :—

'भाव, जोग और पानी, दैवो न जानी ।'

ऐसी एक बात किसानों की जबान पर हमेशा चढ़ी रहती है, आप क्या जान पायेंगे ? इस स्टेट ट्रेडिंग से आप क्या देश का हित कर पायेंगे ? हां, यह बात जरूर है कि सरकार को सतर्क रहना चाहिये और ब्लैक मार्केट के जो तरीके हैं उनको हर प्रकार से कुचलने की व्यवस्था करनी चाहिये और व्यवस्थित रूप से उपभोक्ताओं के पास अन्न का वितरण हो इसका प्रबन्ध करना चाहिये । लेकिन इस सब को करने के जो सरकार के तरीके हैं वह इतने गलत हैं कि यह विधेयक किसी रूप में भी उचित नहीं है और अब सरकार की ओर से हम से यह कहा जाता है कि सन् १९५५ में भी जो विधेयक पास हुआ उसको ज्यों का त्यों बिना एक कामा और फुलस्टाप भी बदले हुये, हम पास कर दें तो हम उसे किसी तरह से भी स्वीकार नहीं कर सकते । ६ साल पहले बना हुआ अधिनियम आगे और पांच साल चलने वाला है यह हम कैसे जानें । उसमें कोई त्रुटि नहीं आयी होगी इसको जानने का क्या तरीका है ? इन सब बातों पर हम प्रवर समिति में ही विचार कर सकते हैं कि इसमें कहां त्रुटि है, किस अंश में हमको इसे तब्दील करना है, कौन से ऐसे निरंकुश अधिकार इसमें अधिकारियों को मिल गये हैं जिनका उन्होंने दुरुपयोग किया है और उससे जो लोगों में असन्तोष है उसको दूर करने के लिये हम क्या करें । तो फिर सरकार इसे प्रवर समिति में भेजने का क्यों विरोध करती है ?

आज जो विधेयक हमारे सामने मौजूद है सरकार ने उसको बिलकुल एक रोटीन वर्क समझ कर यह कोशिश की है कि सदन भी इसकी कोई विशेष नोटिस न लें और घंटे, दो घंटे के अन्दर ही इसको पास कर दे ताकि एक लम्बी चादर सोने को उसे मिल जाय । लेकिन ऐसा है नहीं । इसमें नीतियां निहित हैं । इसमें स्टेट ट्रेडिंग की नीति निहित है । वह नीति सफल हुई या नहीं, सस्ते गल्ले की दुकानें कितनी उचित है, खाद्यान्न के उत्पादन में सरकार ने कितना हाथ बंटाया और कितनी सफलतापूर्वक बंटाया, ये सब बातें इसके अन्दर निहित

हैं । फारेन एक्सचेन्ज की पालिसी भी इसके अन्दर निहित है कि फारेन एक्सचेंज को किस तरह से और कैसे खर्च किया जाना उचित होगा । मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इन सब बातों को मद्देनजर रख कर इस पर विचार करे, केवल यह न सोचे कि यह एक मामूली सा विधेयक है । सरकार को जब कभी अपने अधिकारों को बनाये रखने की आवश्यकता पड़ती है तो वह केवल एक आंशिक संशोधन ले आती है और यह तर्क पेश करती है कि इसमें कोई विशेष संशोधन है नहीं, केवल अवधि बढ़ाने की बात है इसलिये ज्यादा विवाद की जरूरत नहीं है यहां ऐसी बात नहीं है ।

शायद हमारे मंत्री जी यह भी एतराज पेश करें कि प्रस्तावक ने कोई सुझाव नहीं दिये, क्योंकि हमारे न्याय मंत्री जी का यह एक तरीका-सा बन गया है कहने का कि वे सुझाव सुनने के उत्सुक रहते हैं । मैं इसलिये उनकी बात दोहराना चाहता हूं कि इस मंत्रिमंडल के चाहे न्याय मंत्री विराजमान हों, चाहे वित्त मंत्री की जगह हमारे उप-मंत्री जी विराजमान हों, लेकिन इधर से आये हुये संशोधनों की वह कितनी कद्र करते हैं यह तो आप जानते हैं । श्रीमन्, विरोधियों द्वारा उपस्थित किये गये संशोधन, जिनको इस सरकार ने अस्वीकार किया था, बाद मे उसे स्वीकार करने पड़े । आगे जाकर सरकार की आंखें खुलीं और उसने देखा कि उसने गलती कर दी और दूसरे भवन में जाकर सरकार अपनी गिड़गिड़ाहट के द्वारा उन गलतियों को सुधारने का प्रयत्न करती है । मैं दूसरे सदन का हवाला देना नहीं चाहता हूं, लेकिन यह सरकार इस तरह का प्रयास करती है और यह सरकार का रोजमर्रा का काम है ।

श्रीमन्, एक विधेयक अंतरिम जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति का आया है । उसमें भी यहां से पारित होने के बाद संशोधन लौटकर आते हैं और हमसे कहा जाता है कि इसको एक हफ्ते के अन्दर ही पास कर दो । यह सरकार सालों सोचती है, विचारती है, फिर पलटती है और अपनी जगह पर वापस आ जाती है । श्रीमन्, इसमें सदन का समय औ जनता का धन व्यय होता है इस ओर ध्यान जाना चाहिये और आप सरकार को सुझाव दें कि वह किसानों के पैसे को इस तरह से बर्बाद न करें ।

आज हमारे सामने भांडार अधिग्रहण का विषय है । यह सीधा किसानों से ताल्लुक़ रखने वाला है । हमारी सरकार चावल खरीदती है, गेहूं खरीदती है और सरकार ने कहा था कि वह ५० फीसदी चावल और ४० फीसदी गेहूं को अधिग्रहण कर लेगी । लेकिन लेवी सिस्टम द्वारा इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ वह कहा नहीं जा सकता है । मैं कानपुर मंडी की बात कहता हूं और यह मंडी हमारे प्रदेश में दूसरे-तीसरे नम्बर की मंडी है । यहां पर सरकार ने खूब खुलकर खेल खेला है । एक-एक मार्केटिंग आफिसर जो गल्ले के अधिग्रहण का काम करते हैं उनके लिये मैं यह कह सकता हूं कि वह किसी लखपती से कम नहीं हैं । इनकी शादी विवाहों में कोई देखे तो मालूम होगा कि बीस-बीस हजार रुपया व्यय होता है ।

श्री अधिष्ठाता—पुनरावृत्ति हो रही है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं इस विषय पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि कानपुर की बात कह रहा हूं । इसलिये कह रहा हूं कि वहां पर सरकार का बहुत बड़ा गल्ले का स्टोरेज है । इसी के लिये विरोधियों की ओर से प्रयास किया गया कि इसके ताले खोल दिये जायं और गरीब किसानों को गल्ला सस्ती क़ीमत पर दिया जाय । इसके लिये इस प्रदेश में सैकड़ों नागरिकों ने और सदन के माननीय सदस्यों ने प्रयास किया, सत्याग्रह किया, जेल गये और अन्य प्रकार की यातनायें सहीं । हमारी यह मंशा थी कि इन भांडारों में जो तालाबंदी है और जिनसे सरकार की इच्छा के अनुसार ही लोगों को गल्ला मिल सकने की सम्भावना है और ग़रीबों को मिलने की सम्भावना नहीं है इसलिये ताले खोलने का प्रयास किया गया, चाहे उसमें हम पर लूटने और डाका डालने की दफ़ाओं को लगाया गया और ऐसा कार्य भी इस सरकार द्वारा हुआ । लेकिन बात यह थी कि सरकार ने यह कह कर गल्ला संग्रह किया था कि यह जरूरतमंदों को मिलेगा, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है । लिहाज़ा हम इसके लिये प्रयास करेंगे कि जरूरतमंदों को

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

मिले, चाहे इसके लिये हमें जेल यातनायें सहनी पड़ें। हमारी भावना भी यही थी और इसी भावना में ओतप्रोत हो कर लोगों को अनेक प्रकार की यातनायें सहनी पड़ीं। यह सारी बातें इसी अधिनियम के द्वारा हुई हैं, इसी के फलस्वरूप भांडार बने और अनियमित रूप से गल्ले का वितरण करने की कोशिश की गई और इसी के अन्तर्गत लोगों को जेल जाना पड़ा।

आज फिर यह काला कानून हमारे सामने आता है तो फिर क्यों न हम कहें कि हम इसका विरोध करेंगे चाहे हमारी आवाज कितनी ही कम क्यों न हो। मैं अपनी आवाज बुलन्द करता हूं ताकि यह काले कानून पास न होने पायें। उनके द्वारा सरकार मनमानी करती है और सरकार वास्तविकता तक नहीं पहुंचती है। जड़ के कीड़े को सरकार दूर नहीं कर पाती है जिससे सारा वृक्ष खोखला हो जाता है। मैं आप का संकेत मान कर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आपके द्वारा सदन के सदस्यों से मैं अपील करूंगा कि इसे केवल पांच साल की अवधि बढ़ाने वाला विधेयक न समझा जाय बल्कि इनमें जो सन्निहित नीतियां हैं उन पर भी ध्यान दिया जाय और अपने स्पष्ट मंतव्यों को सरकार जाहिर कर दे। सरकार माने या न माने, यह तो हमारे वश में नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य तो है कि हम सरकार को जाहिर कर दें। मैं आशा करता हूं कि अन्य सदस्य भी इसको इसी लाइट में लेंगे और नीतियों का विश्लेषण करते हुए सरकार से आग्रह करेंगे कि वह इस विधेयक को वापस लें या प्रवर समिति में भेज दें।

श्री रघुराजसिंह चौधरी (जिला बुलन्दशहर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, अब हमारी इस कमसिन और नादान सरकार का इनहसार सिर्फ इन्हीं बातों पर रह गया है। अगर किसी को बन्दूक की ख्वाहिश है, चाहे उसका जायज इस्तेमाल करे या नाजायज, उसका इस्तेमाल जानता हो या न जानता हो, बस दो, चार, छः वोटों का वादा कर दे, तो वह उसे मिल सकती है। इसी तरह से लारियों के परमिटों का हाल है, ठेकों के परमिटों की भी यही सूरत है, सीमेंट भी अब परमिट से मिलता है, ईंटों को भी अब कंट्रोल में ले आया गया है, तो यह स्टोरेज और एक-मोडेशन को अपने हाथ में रखने का सवाल क्यों न आये, जरूरत है। सन् १९६२ बहुत करीब है। हो सकता है कि इसकी तह में यह हो—लेकिन :

क़रीब है यार रोज़े महशर, छिपेगा कुश्तों का खून क्यों कर ?
जो चुप रहेगी ज़बाने खंजर, तो खूं पुकारेगा आस्तीं का।

बहरहाल कुदरत भी अपना कुछ करिश्मा रखती है। हालांकि यह विधेयक छोटा-सा है और उसमें बजाय एक के छः बना दिया गया है। एक में सिर्फ छल्ला डाल दिया गया है। उस छल्ले के ही माने पांच साल हो जाते हैं। जहां बन्दूक और नौकरियों का वादा होता है, परमिटों का वादा होता है, वहां थोड़ी-सी धमकी भी होनी चाहिए, अगर किसी की कोई ऐसी इमारत हो और थोड़ा बहुत पैसा भी रखता हो वह कूद कर आपके खिलाफ मैदान में खड़ा हो जाय, तो उसको धमकाया जा सकता है कि तुम्हारे मकान की गल्ले के लिये उसको जरूरत है। यह अजीब बात है कि दूसरे मुल्कों में डेमाक्रेसी में कानून घटते चले जायं और हमारे मुल्क में जम्हूरियत के साथ कानूनों में इजाफा हो। मुजायका नहीं मिनिस्टरान, डिप्टी मिनिस्टरान, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के नम्बर में इजाफा हो जाय। इसमें खतरे की बात नहीं है। रुपया बहुत है हमारे पास। इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वह तो किसान तक किसी तरह तकसीम कर ही लिया जाता है, लेकिन यह अख्तियार एक गलत अख्तियार लिया जा रहा है। जो लोग ऐसी बातों से बच कर आजाद रहना चाहते हैं, जो आजादाना खयालात रखते हैं, उनके जमीर पर बोझ डालना है।

इसके अलावा सभी को मालूम है कि गल्ले का रेट घटता चला जा रहा है। गंदुम का भाव जो १८–२० रुपये था वह गालिबन १०, ११, १२ या १३–१४ पर ज्यादा से ज्यादा आ गया है। इसी तरह से और गल्ले का भाव भी गिरता जा रहा है। ऐसी हालत में क्या जरूरत है सरकार

को इस गल्ले को जमा करने और खरीदने की ? सरकार ने तिजारत की, उस तिजारत में भी नाकामयाबी हासिल हुई। एक माननीय सदस्य ने अभी फरमाया कि जिस कानून की मुद्दत में इजाफा किया जा रहा है असल में उस कानून को देखना चाहिये कि उसमें है क्या। उसमें जैसा आप ने बताया कि मसलन तरीके इत्तिलायाबी या कि तरीके सर्विस समन या कि स्टाक की खरीदारी, वगैरह यह सारी चीजें इस कानून में शामिल हैं और जिस कानून से या जिन कानूनों से लोगों के मफाद के खिलाफ असर पड़ता हो, लोगों का जमीर दबाया जाता हो उन कानूनों की जरूरत हरगिज नहीं है। सरकार जो कहती है उसमें उसके लफ्ज ऐसे होते हैं, बल्कि उसके लफ्ज के माने ही यह हैं कि जैसा मौका हो उसका वैसा ही तर्जुमा कर दिया जाय ताकि सुनने वाले लोग सन्तुष्ट हो जायं कि वाकई बात तो ठीक ही कही है। अगर गिरफ्त की जाय कि गल्ले की हालत खराब है तो फौरन् दिखा दिया जाय आब्जेक्ट्स ऐन्ड रीजन्स में कि नहीं 'दि फूड पोजीशन इज आलदो सैटिस्फैक्ट्री'। और जहां यह कहा जाय कि इस कानून की क्या जरूरत है तो फौरन जवाब मौजूद है कि 'दि पोजीशन इज स्टिल अनस्टेबिल' तो मतलब यह कि 'ब्लाइंग हॉट ऐंड कोल्ड इन दि सेम ब्रेथ'। यह तो बदायूं के लला की शहादत हो गई। जैसे उनसे पूछा गया कि आपने फलाँ को देखा था तो कहा, हां देखा था। पूछा कि गोरे थे या काले थे तो कहा कि जब कभी थके होते थे तो सांवले नजर आते थे वैसे गोरे तो थे ही। तो इस किस्म के कानून हमारे सामने बेकार पेश किये जाते हैं।

अब इसमें एक बात और है, आब्जेक्टस ऐंड रीजन्स में, जहां अवधि बढ़ाई गई है वहां उसका सम्बन्ध जोड़ दिया गया है फाइव ईयर प्लान की अवधि से। मैं इस सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इसका उससे क्या सम्बन्ध है ? क्या फाइव ईयर प्लान में कोई ऐसी स्कीम है गल्ले के मुताल्लिक कि जिसके लिये इस कानून की अवधि आप ५ साल बढ़ा रहे हैं और अगर आप ५ साल के लिए बढ़ा रहे हैं और उसके साथ-साथ कोई स्कीम विलेज में हैं तो उसको बतलायें, कितनी एकोमोडेशन की उसके लिए जरूरत होगी, और कितना गल्ला आप चाहेंगे, इसको भी तो साफ करना चाहिए था। यह बात यहां मोहमिल रह गई, साफ नहीं हुई। इसलिए मैं तो इस विधेयक की ही मुखालिफत करता हूं और पुरजोर मुखालिफत करता हूं और कहता हूं कि इस किस्म के कानून और इस किस्म के सहारों पर सरकार खड़ी नहीं रह सकती। सरकार के अन्दर तो कोई वह ठोस बात होनी चाहिएकि जिस पर वह खड़ी हो। हां, एक जमाना था कि जब इस शामियाने की हर चोप फौलाद की थी। लेकिन आज तो सिर्फ एक ही चोप बाकी रह गई है, खुदा उसे बरकरार रखे और हजार वर्ष की उसकी उम्र हो, हम और आप सब उसी के पीछे तैर रहे हैं। वह सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर है, जिनकी ही चोब रह गई है इस शामियाने को कायम रखने के लिये, तो ऐसी हालत में इनका सहारा लेना मैं कोई ज्यादा अकलमन्दी नहीं समझता। इसलिये शुरू में मैंने कहा कि हमारी कमसिन और नादान सरकार--कमसिन तो है ही, पैदा होना और फिर पैदा होना, आवागमन यह हर एक के साथ लगा हुआ है, बड़ी पुरानी हिन्दू मजहब की थ्योरी है, वही इस सरकार के साथ भी लागू होती है। जन्म हो, पुनर्जन्म हो और अगर कहीं-कहीं मिन्नत समाजत से, मरे हुये भी जिन्दा हो जाते हैं। इन सब सहारों के बीच सरकार का आर्जी वजूद कायम है कि जो किसी जरा से झोंके में उखड़ जायगा। वेलफेयर स्टेट में यह उनकी दानिशमन्दी होगी कि जितने भी कम से कम कानून हो सकें रखें और बकिया के जाल से मुल्क को बरी करें। आज तो हर चहार तरफ ऐसा जाल बिखरा हुआ है कि जिधर भी कदम रखिये, उधर कानून मौजूद है, जिधर करवट लीजिये उधर कानून, जिधर नजर डालिए उधर कानून, यह क्या तमाशा आखिर हो रहा है ? आखिर यह क़िस्सा क्या है ? कहानी क्या है और यह हालत कब तक चलेगी ?

अगर इसकी अवधि बढ़ानी थी तो इस हाउस की जिन्दगी तक ही बढ़ाते। पता नहीं कि दूसरा जन्म कैसा हो। सन १९६२ में इधर के उधर चले जांय और उधर के इधर आ जांय यह कौन कह सकता है। यह जम्हूरियत का जमाना है जिसमें हर तब्दीली की उम्मीद की जा सकती है। अगर आपका १५ साल का इतिहास देखा जाय तो यही मालूम होगा कि

[श्री रघुराजसिंह चौधरी]

उधर कमी होती चली जा रही है। इजाफा नहीं हो रहा है। यह बात छिपी नहीं रही है कि दाल जूती में बट रही है । अब नकाब उठ चुका है और दुनिया की आंखों ने देख लिया है। इतने आरजी पट्टे पर खुश न होइये। यह कुदरत है। सन् १९३७ को हम याद करते हैं। मुमकिन है इस सन् १९६२ को आप याद करें। अगर इसकी मियाद को बढ़ाना है तो इसको अपनी जिन्दगी के साथ तक ही रखिये। उसके बाद आप इस कानून को क्यों विरासत में देना चाह रहे हैं? पता नहीं आगे आने वाली सरकार आपकी सरकार होगी या नहीं? मैं तो इस कानून की मुखालिफत करता हूं और अगर सरकार किसी भी तरीके से इस कानून को वापस नहीं लेना चाहती तो अवस्थी जी के प्रस्ताव को मन्जूर कर ले। मैं उस प्रस्ताव की पुरजोर हिमायत करता हूं। कम से कम कुछ लोगों को इतना मौका दिया जाय कि इस के अन्दर कोई जरूरी तरमीम हो या इसको कुछ ठीक किया जा सके तो वह ठीक कर दिया जाय। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार आज राहे दानिशमन्दी इस कानून को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दे।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने चौधरी साहब के भाषण को बहुत गौर से सुना। जहां तक इस कानून की मियाद बढ़ाने का सवाल है, वह सरकार बड़ी लोककल्याणकारी मानी जाती है जो सरकार अपने पास अन्न का भंडार रखे और जिस सरकार के पास अन्न का भंडार मौजूद हो। जिस सरकार के पास अन्न का भंडार नहीं है और दूसरी तरह का भंडार नहीं है वह सरकार सरकार कहलाने लायक नहीं है और वह जनता का हित नहीं कर सकती। परन्तु आज यह देख रहे हैं कि इतने विद्वान लोग, मोतीलाल जी अवस्थी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति जो गुरू कहलाते हैं, जो सदैव विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं कि सरकार को लोक कल्याणकारी होनी चाहिये जिसके पास अन्न का भंडार हो, जो अपने देश की रक्षा कर सके, समय आने पर जनता को अन्न दे सके, वह इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं और इसको जनमत के लिये भेजने की बात करते हैं। श्रीमन्, हमारे प्रदेश में प्रतिवर्ष पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्खिन कहीं न कहीं बराबर आपत्ति आया करती है। कभी बहिया आती है तो कभी अकाल पड़ता है, जहां पर अन्न के भेजने की आवश्यकता होती है.....

श्री रघुराजसिंह चौधरी—श्रीमन्, मैं रिक्वीजीशन के बारे में कह रहा था।

(इस समय १ बजकर ४५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव, पीठासीन हुये।)

श्री हरीसिंह—इसके अन्दर अन्न के भंडार कहा गया है। यहां पर हिन्दुस्तानी सरकार है जो हिन्दी में बात करती है जिसके लिये प्रजासोशलिस्ट पार्टी बड़ा जोर देती है। हमारे प्रदेश की भाषा हिन्दी है। हिन्दी के शब्द में स्पष्ट यह बताया गया है कि "अन्न भंडार"। मैं नहीं जानता कि पंडित जी उन शब्दों का प्रयोग करते हैं या नहीं। श्रीमन्, हमारे प्रदेश में और हमारे देश में अन्न की कमी हुई और कमी होने के बाद इस देश के विद्वान लोगों ने यह तय किया कि अन्न का संग्रह किया जाना चाहिये। कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और सारी पार्टियां प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, स्वतन्त्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी—आदि सब कांग्रेस से ही निकली हैं और मैं उन्हें कोई अलग पार्टी नहीं मानता। एक कम्युनिस्ट पार्टी ही ऐसी है कि जिसे मैं एक पार्टी मानता हूं, जो बराबर का अधिकार रखती है। मेरे दृष्टिकोण से अन्य सब पार्टियों के सिद्धान्त और उद्देश्य प्रायः एक हैं और वे सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। इधर या उधर बैठने में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता। १९३० में, इन किसी भी पार्टियों का नाम आपको सुनाई नहीं पड़ता था, हां, कम्युनिस्ट पार्टी का नाम हम जरूर सुनते थे। भले ही वह विदेशों से आई हो, रूस की देन हो, लेकिन वह एक पार्टी है। और लोग इधर से उधर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आ जायं या उधर से इधर, कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता। उससे इस देश का कल्याण नहीं होता। केवल विचारों का हेर-फेर आपस में हो सकता है। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि मोतीलाल जी, जिनका हम मान और इज्जत करते हैं, उन्हें कैसे हर विधेयक का विरोध करना पड़ता है भले ही वह जनहित में हो या नहीं।

श्रीमन्, वह राजा सच्चा और अच्छा कहलाता है जिसके राज्य में अन्न के भंडार हों और इसलिये भंडारों की व्यवस्था करना अनिवार्य है। इस संशोधन का यही ध्येय है और इसलिये इसकी मियाद पांच साल और बढ़ाने की इसमें बात कही गई है। इसे तो एक मिनट की देर लगाये बिना पास कर देना चाहिये। पिछले दस सालों में इस प्रदेश की जनता को अनेक कष्ट हुये हैं और उसे समय-समय पर अन्न का कष्ट उठाना पड़ा है। अमीर जो किसानों से अन्न लेकर अपने भंडार भरते हैं, उससे मुनाफा कमाते हैं और उनका शोषण करते हैं। सरकारी भंडारों से गरीब और किसान को सस्ते में अनाज मिल जाता है। अगर आपके पास अन्न के भंडार नहीं रहेंगे तो पूर्वी जिलों में बहिया आने पर किस प्रकार आप गरीबों की, किसानों की मदद कर सकेंगे ? जो जनता का शोषण करने वाले हैं उनके हितों की रक्षा के लिये क्या आप इसका विरोध करना चाहते हैं ? आज सरकार को भंडार बनाने और बढ़ाने अनिवार्य हैं और उसी से गरीबों का भला होने वाला है। अमीरों ने सदा ही अन्न जमा करके उसे ज्यादा दामों पर बेचा है, उनसे गरीबों और किसानों को अन्न नहीं मिल पाता। मेरी समझ में नहीं आया कि चौधरी साहब और मोतीलाल जी कैसे इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उनको भी १९६२ में उन गरीबों से वोट मांगना है। अब जब अपने सामने यह बिल है तो आप उसका विरोध करते हैं ? यदि आप विदेशों से अन्न मंगवाते हैं तो आप उसे रखेंगे कहां ? उसके लिये आपको भंडारों की तो जरूरत होगी ही। अगर आप उसके लिये भंडार नहीं खोलेंगे तो आप फिर सरमायादारों को ही उसको दे देंगे और फिर होगा क्या, वे ही गरीब जनता का खून चूसेंगे। उससे जनता का कल्याण नहीं होगा, जनता का कल्याण हमारे चन्द्रभानु गुप्त जी की सरकार द्वारा ही हो सकेगा। प्रदेश की जनता आपकी बातों में आने वाली नहीं है। वह उसको खूब समझती है। वह इतना अन्न भरेगी कि अगर किसी भी समय देश पर आपत्ति आ जाय तो अन्न की कमी न हो सके और वह काम आ सके। आज देश में चारों तरफ से काले बादल छाये हुये हैं, अन्न को एकत्रित करने की आवश्यकता है और उसके लिये भंडारों का होना निहायत जरूरी हो जाता है। हमें भविष्य के लिये सचेत रहना चाहिये और हर बुद्धिमान व्यक्ति उससे सचेत रहता है। उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये यह सब किया जा रहा है। इसलिये मैं मोतीलाल अवस्थी जी से निवेदन करूंगा कि वे इसका विरोध न करें और अपना संशोधन वापस लेने की कृपा करें। इसका विरोध करके ऐसा मालूम होता है मानों वह गरीब जनता के हिमायती नहीं हैं क्योंकि अगर उनको गरीब जनता का थोड़ा-सा भी खयाल होता तो वे उसका विरोध न करते।

आज भी, श्रीमन्, आप जानते हैं कि १६ रुपये मन गेंहूं खरीदा जाता है और २५ रुपये मन तक बेचा जाता है। अगर आप गरीब किसान को उसकी चीज की उचित कीमत दिलाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि अन्न का भंडार हो। फिर सस्ते गल्ले की दूकानों को अगर खोलना है तो उसके लिये भी यह जरूरी है कि अन्न का भंडार हो। और भंडार, श्रीमन्, जभी होंगे जब सरकार उसके लिये कोई कानून बनायेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो जिस प्रकार अंग्रेजी शासन काल में गरीबों का शोषण होता रहा उसी प्रकार आज भी होता रहेगा। आज जो चीज किसान पैदा करता है क्या उसको उसी हिसाब से कीमत मिल जाती है जितनी कि एक सरमायादार को अपनी पैदा की हुई चीज की कीमत मिलती है ? माननीय मोतीलाल जी सरमायेदारों के सपोर्टर हैं, वे इसको जानते होंगे कि एक सरमायादार अपनी चीज का दुगना और तिगुना मूल्य तक किसान से ले लेता है। मैं तो यह चाहता हूं कि अन्न के ही भंडार न हों, बल्कि सब चीजों के भंडार हों, और जिस तरह से विदेशों में सरकारी दूकानें हर चीज की होती हैं, वैसी ही यहां पर भी हों ताकि जनता को उचित मूल्यों पर सामान मिल सके।

[श्री हरीसिंह]

मैं इस बात को मानता हूं, श्रीमन्, कि कुछ गलतियां हैं, किन्तु हमारी सरकार उनको भी दूर करने का प्रयत्न करती है। माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि यह जनता की सरकार है और जनता के हित में जो भी काम होगा उसे सरकार करेगी। जहां हमारी गलतियां होंगी उन्हें हम ठीक भी करेंगे। हमारे देश के नेता हर बात से सचेत हैं और बहुत सोच-विचार कर हमारी सरकार ५ वर्ष की अवधि बढ़ाने के लिये इस विधेयक को लायी है। इसलिये हमें इसको तुरन्त मियाद बढ़ाने के लिये उसको सपोर्ट करना चाहिये, सेलेक्ट कमेटी में भेजने की जरूरत नहीं है। दो शब्दों का हेर फेर है कि ५ साल मियाद और बढ़ा दी जाय जिसके लिये इतनी बात कही जा रही है। श्रीमन्, मैं इस विधेयक को सपोर्ट करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको पारित करगा।

*श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—अधिष्ठाता महोदय, यह जो माननीय हरी सिंह जी की तकरीर हुई तो मैं कहता हूं कि सरकार को दाम-बांधो स्कीम लागू करनी चाहिये। गवर्नमेंट ने जो यह गल्ले का रोजगार खोल रखा है, इसमें १९५८-५९ में २३ करोड़ का सामान लिया और १६ करोड़ का बेचा, घाटा उठाया। १९६०-६१ में १३ करोड़ का खरीदा और १६ का बेचा, तीन करोड़ का मुनाफा उठाया। यह मुनाफे और घाटे का सौदा सरकार करती ही क्यों है। सरकार दाम बांध दे, गल्ला घर-घर जमा रहे। पहले करोड़ों मन जमा रहता था और एक आने से ज्यादा नफा नहीं लेने दे, तब कोई नफे नुकसान की बात नहीं रहेगी। सोशलिस्ट पार्टी का यही कहना है कि एक आने सेर से ज्यादा का भाव में अन्तर न हो और १६ फीसदी से ज्यादा नफा न दें तो आपको १३ करोड़ और १६ करोड़ खर्च करना न पड़े। आप तो इस नीयत से रोजगार करते हैं कि घाटा रहे तो हमारी बला से और नफा हो जाय तो नफा कमाये सरकार।

बिल में लिखा है कि "हम अब गल्ले में आत्म-निर्भर हो रहे हैं"। तो यह करोड़ों रुपया भंडार के लिये क्यों मांग रहे हो? वहां तो तरक्की बता रहे हैं, हमारे बड़े मकान बन गये, हम ऊंचे जा रहे हैं, दुनियां को दिखा रहे हैं कि बड़े तरक्की पर हैं और खाते में दिखा रहे हो कि अनाज नहीं है। बाहर तो तरक्की और कागज में नुकसान। कहते तो यह हैं कि हम इसलिये यह काम कर रहे हैं कि कहीं पब्लिक भूखों न मर जाय....

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजायी गई, इस समय २ बजकर ३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री राम-नारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये। गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री टीकाराम—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि सरकार अगर दाम बांधो नीति कायम कर ले तो फिर वेयर हाउस रखने और करोड़ों रुपया खर्च करने की आवश्यकता न पड़े। आज फसल का वक्त है तो गेहूं १४, १५, १६ रुपया मन बिक रहा है। फसल पर अनाज सस्ता होता है, लेकिन बनिया के घर पहुंच कर वह गरां हो जाता है। अगर कांग्रेस सरकार दाम मुकर्रर कर दे कि इस वक्त १६ रुपये मन जो गेंहूं खरीदा जाय वह १७ रुपये मन से ज्यादा न बिके तो १६ करोड़ रुपया जो आप रख रहे हैं वह न रखना पड़े और यह जो मुहकमा और पूरा अमला इन्सपेक्टर से लेकर बड़े-बड़े अफसरों तक रख छोड़ा है, जिन पर लाखों रुपया खर्च होता है और लाखों रुपया किराया मकान में देना पड़ रहा है वह बच जाय। या फिर यूं कहा जाय कि आपने अपने आदमियों की परवरिश करने के लिये यह मुहकमा खोल रखा है जिसके जरिये से लाखों आदमी नौकर रहकर पलते रहेंगे और उसका भार पब्लिक पर पड़ेगा। जैसा मैंने कहा अगर सरकार इस नीति को मान ले और गल्ले के भाव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्धारित करके दाम बांधो नीति कायम करे और उससे ज्यादा न बिकने दे तो सरकार को और कुछ करने की जरूरत ही न रह जाय। जब सरकार गन्ने का भाव निश्चित कर सकती है, अफीम का भाव निश्चित कर सकती है तो फिर कौन सी कठिनाई है कि सरकार गेंहूं, चना और जौ का भाव निश्चित नहीं कर सकती ? सरकार अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। लेकिन चूंकि सरकार को अपने आदमियों की परवरिश करनी है इसलिये उसने वेयर-हाउस खोल रखे हैं और स्टाफ रख छोड़े हैं। सरकार हुकूमत की मालिक है, वह अपनी पालिसी चला सकती है। पिछले समय में गल्ले की कमी आई तो सरकार ने कितना गल्ला जब्त किया ? चंदौसी में सरकार ने तीन दिन पहले कह दिया था कि हम गल्ला जब्त करेंगे तो फिर इस तरह से कहीं गल्ला जब्त हो सकता है। आप कहीं भी गल्ला जब्त नहीं कर सके क्योंकि आप तो पहले ही एलान कर देते हैं।

जहां तक व्यापार की बात है, सरकार को हमेशा घाटा रहा। सरकार उसमें पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग करती है। इसलिये मेरी राय से सरकार इस वेयर हाउस के निजाम को रोक दे और दाम बांधो नीति पर अमल करे ताकि लेवा या बेचा, किसी को तकलीफ न हो।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मोतीलाल अवस्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उनके संशोधन के समर्थन करने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि सरकार ने शायद यह समझ लिया कि इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है। मोतीलाल अवस्थी जी का मतलब केवल इतना है कि इसमें जो कमी है उसको दूर करने के लिये उसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय। हमारे हरीसिंहजी ने कहा उपाध्यक्ष महोदय, आप थे नहीं, हरीसिंह जी ने बड़ी जोर से कहा कि सरकार यह बिल जनता के लाभ के लिये लाई है। सन् १९३७ से यह सरकार जनता द्वारा यहां बैठाई जाती रही है, कुछ थोड़े से समय को छोड़कर। और १३ वर्ष का जमाना तो इसे पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद से हो गया है।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गई।)

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, सरकार का बिल है, उसका फर्ज है कि कोरम पूरा रखे।

श्री उपाध्यक्ष---पुजारी जी ठीक कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कोरम रखने की। यदि बारबार कोरम नहीं रहेगा तो इसके मानी यह लगा लिये जावेंगे कि सदन आज बैठने के मूड में नहीं है। इसलिये सावधानी बरतनी चाहिये।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी---उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह देखना है कि जिस परिस्थिति-वश यह बिल लाने की आवश्यकता हुई क्या वह ५ वर्ष में समाप्त हो जायगी या वह हमेशा रहेगी। हरी सिंह जी ने कहा कि वह कल्याणकारी राज्य है जिसके पास भंडार हो। देहात में एक कहावत है, गीत हमारा, राग दादा का। अगर सरकार समझती है कि नौकर-चाकरों को खिलाना जरूरी है तो केवल उतना अनाज इकट्ठा कर ले। उनके लिये इतना अधिक अन्न जमा करने की जरूरत नहीं है कि वह सड़ जाय और बाद में देहातवालों को खाने के लिये दिया जाय। नहीं तो सरकार सारी चीजों पर अधिकार और बटवारे का नियम ठीक रखे। उन्होंने यह भी कहा कि एक पार्टी है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसके रूल भिन्न हैं और बाकी ये सब कांग्रेस से निकले हैं। मुझे मालूम है कि १८८५ का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

जन्म कांग्रेस का है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी १९३३ में लेबर पार्टी के नाम से चली और फिर वह नाम बदल गया। दूसरे दल उसके बाद बने और वे सब कांग्रेस के लोग हैं। मैं नहीं समझता कि माननीय हरीसिंहजी का संबंध कांग्रेस को राजनीति से कुछ रहा है या नहीं, या वह सीधे हरिजनों के लिये रिजर्वेशन होने के कारण इस सदन में चले आये। अगर मुझे मालूम हो जायगा तो मैं अपने को ठीक कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप उनकी दलीलों का जवाब दीजिये।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, अगर उनका संबंध कांग्रेस की राजनीति से रहा हो तो उन्हें यह समझना चाहिये कि जिस जनता ने इस सरकार को गद्दी पर बैठाया है वह इसे पटक कर नीचे भी गिरा सकती है। आज जनता कांग्रेस से अलग होती जा रही है। विरोधियों का वोट मिलाकर कांग्रेस के वोटों से अधिक होता है। सब विरोधी इकट्ठा होने पर यह सरकार दूर हो सकती है। ऐसा शायद उन्हें ज्ञान नहीं है। समाजवादी और कल्याणकारी राज्यों के लिये जरूरी है कि अन्न का भंडार रहे और उसका इस्तेमाल गरीबों के लिये किया जाय। ५ साल ही क्यों? अगर सरकार समझती है कि उत्तर प्रदेश की जनता पूरे साल भर उत्तर प्रदेश की पैदावार नहीं खा सकती है, हमको बाहर से अन्न मंगाना ही पड़ेगा, तो फिर ५, ७ वर्ष का प्रतिबन्ध हटाकर इसे कानून का रूप दे देना चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारी स्थिति ५ साल बाद भी अच्छी नहीं होगी। इस सरकार का जैसा रवैया है, पूंजीपतियों से इसका गठबन्धन है, जिस सरकार का मिल वालों और बड़े-बड़े पैसे वालों से संबंध हो, उस सरकार से इस देश की भुखमरी, गरीबी और अन्न का अभाव कभी दूर नहीं हो सकता। तो जरूरी है कि इसे कानून का रूप दे दिया जाय वरना एक प्रवर समिति में भेज दिया जाय जिसमें इसकी कमियां दूर होकर यह सदन में फिर से प्रस्तुत हो।

उन्होंने कहा कि सरकार सस्ते गल्ले की दूकानों से गरीबों को अन्न देना चाहती है, इसलिये इसे कायम रखना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, देहातवालों को खाने के लिये बजड़ी, लाल बजड़ी, यानी मिल्लों खाने को दी जाती है। उनसे कहा जाता है कि चावल लेना चाहते हो तो वह तभी मिलेगा जब इतनी मिल्लों लोगे, जैसे पहले कपड़े के लिये था कि मारकीन के साथ छींट भी लेनी होगी चाहे उसकी जरूरत हो या नहीं। वही हालत सस्ते गल्ले की दूकानों की है। जरूरत तो है किसान को गेहूं, चने और चावल की, लेकिन कहा जाता है उससे कि मिल्लो खाओ। मुझे याद आ गया। हमारे यहां के एक पुराने कांग्रेसी नेता ने लेक्चर दिया था कि हम तुमको खिलाने के लिये अमरीका से मक्का मंगाते हैं जो सुअर के दांत की तरह से है। लोग अचम्भे में पड़ गये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि एक कमेटी बैठे कि उस मिल्लो में कौन-सी तत्व है जो यह सरकार उसे खरीदती है। सरकार के पास खेत नहीं है। न सरकार के खेत में वह पैदा होता है। न वह पुष्टिकारक है। जिसकी न रोटी बने, न भात बने, न सतुवा बने, किसी काम का वह नहीं है। तो देहात और शहर में जो भेद है वह दूर किया जाय अगर सरकार इसको कायम रखना चाहती है तो।

इसी के सिलसिले में, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। एक बार एक प्रश्न इसी सदन में किया गया था। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश जिला देवरिया का रहने वाला हूं। आज से एक साल पहले देवरिया के कुछ लोग नैपाल राज्य से धान ला रहे थे। गोरखपुर जिले में लेवी एरिया है। वहां पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अन्न के जाने के लिये प्रतिबन्ध है। अक्षयवरसिंह जो, जो इसी सदन के सदस्य हैं, उनको मालूम है। उन लोगों का कसूर केवल इतना था कि नैपाल से धान ला रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। नैपाल से धान लेकर गोरखपुर आते हैं या उत्तर प्रदेश से दक्षिण गोरखपुर में धान लाते हैं। लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं। कुछ लड़ने-भिड़ने के बाद रास्ता निकला। लेकिन उसमें भी दिक्कत यह हो जाती है कि बिना दक्षिणा के गाड़ीवान

पास नहीं हो पाता है। मैं इस सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि आखिर उनका कसूर क्या है। जब व नैपाल स अन्न खरीद कर गोरखपुर या देवरिया लाते हैं तो क्यों उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है। जब यहां अंग्रेज थे तो लोग बेरोकटोक नैपाल, बिहार और ब्रह्मा से अन्न खरीद कर लाते थे, लेकिन अब जब कि जनता की सरकार है तो चम्पारन और लठ्ठा से भी चावल नहीं ला सकते। इनका एक कोरीडोर एरिया होता है उसके इधर या उधर धान नहीं जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं वह अन्न के उत्पादन में बहुत पीछे है। वहां गन्ने का उत्पादन बहुत होता है। इसलिये बाहर से अन्न मंगाना पड़ता है तब हमारा गुजारा होता है। लेकिन आपने वहां प्रतिबन्ध लगा रखा है कि कोरीडोर एरिया के ५ मील के इधर उधर धान नहीं ले जाया जा सकता। मेरी प्रार्थना है कि जो लोग चम्पारन और नैपाल से धान लाना चाहते हैं उनको लाने दिया जाय। इससे हमारे जिले का ही नहीं, प्रदेश का भी भला होगा। उधर से इधर लाने का जो आपका प्रतिबन्ध है उसको उठा लिया जाय और अगर जरूरत हो तो इधर से उधर जाने के प्रतिबन्ध को जारी रखा जाय और उसका कड़ाई से पालन किया जाय। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की जो खेती नैपाल में है, गाजीपुर या गोरखपुर दक्षिण के भाग के लोगों की खेती नैपाल या आजमगढ़ में है, उनको अपना अन्न लाने से क्यों रोका जाता है? प्रदेश का जो किसान दूसरे प्रदेश में या दूसरे छोर पर अगर खेती करता है तो वह इसलिये नहीं करता कि वह अपना अन्न ही न ला सके। अपना अन्न घर को न ला सके और बच्चे भूखों मरें। इसलिये उनको उनकी खेती से लाभ उठाने देना चाहिये।

श्री टीकाराम पुजारी--श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी--तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो यहां के किसान नैपाल या चम्पारन में जा कर खेती करते हैं उन को प्रदेश के अन्दर अपना अन्न लाने की व्यवस्था होनी चाहिये। इसके अलावा कुछ ऐसा नियम है कि जो लेवी क्षेत्र है वहां से धान बाहर नहीं ले जा सकते, चावल ले जा सकते हैं। लेकिन एक बार प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी की तरफ से बताया गया था कि यह बात नहीं है, चावल नहीं ले जा सकते और गेहूं ले जा सकते हैं। तो मेरे खयाल से सरकार की नीति इस संबंध में स्पष्ट नहीं है। सरकारी कर्मचारी सरकार को जो रिपोर्ट दे देते हैं उसी के आधार पर सूचना दे दी जाती है। यह साफ मालूम होना चाहिये कि लेवी क्षेत्र में अगर कोई प्रतिबन्ध है तो वह चावल पर है या गेहूं पर है।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार जो लेवी क्षेत्र में किसानों का गल्ला खरीदती है वह बाजार भाव पर नहीं खरीदती, अगर सरकार खरीदे तो बाजार भाव पर खरीदे और उस के बाद उस गल्ले को अपने भांडार में जमा रखे और उसके बाद कमी वाले क्षेत्रों में सस्ते रेट पर जनता को दे। लेकिन सरकार का नियम ऐसा है कि वह किसानों का गल्ला अपने निश्चित भाव पर खरीदती है और इसी कारण से सरकार को गल्ला खरीदने में भी परेशानी होती है। जब दूसरे लोग, आम जनता, बाजार भाव पर गल्ला खरीदती है तो सरकार को उसी बाजार भाव पर लेने में क्या कठिनाई है? इस से लोग नाराज होते हैं और गल्ला भी सरकार को आसानी से नहीं मिलता।

अन्त में, मैं कुछ वितरण के बारे में निवेदन करूंगा। जो भी समाजवादी देश हैं वहां पर जनता को खिलाने के लिये अन्न संग्रह किया जाता है। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि यहां अनेक बार कहा गया कि देहातों में सस्ते गल्ले की दुकानों पर गला-सड़ा अन्न न बंटवाया जाय और जो इनके बांटने की व्यवस्था है वह भी गलत है। हम चाहते हैं कि जो अनएकोनामिक होल्डिंग वाले किसान हैं या जिन की बाजार से गल्ला खरीदने की आय नहीं है केवल उन्हीं को अन्न दिया जाय; लेकिन सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की है कि जिस से केवल

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

गरीब लोगों को ही अन्न मिले, जिन के पास खेती नहीं है, जो मजदूरी करते हैं, जो अन्न खरीद कर खाते हैं उन को ही वह सस्ता गल्ला मिले। वहां पर वह गल्ला इन गरीब लोगों को नहीं मिलता बल्कि वह व्यापारियों और बड़े लोगों के हाथ में पहुंच जाता है। देहात का मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, शाम को थोड़ी सी मजदूरी पाता है जिस को लेकर वह अपना खाने का सामान खरीदने बाजार जाता है। वह इतनी मेहनत करने के काबिल शाम को नहीं रहता कि वह ५–७ मील दूर देहात की सस्ते गल्ले की दूकान पर पहुंचे और अगर पहुंच भी जाता है तो कभी दूकान बन्द मिलती है, कभी कह दिया जाता है कि आज गल्ला नहीं है। इस कठिनाई के कारण वह इतनी दूर अक्सर जाता ही नहीं। फिर इन दूकानों का कायदा यह है कि इनटीरियर में वह दूकानें नहीं खोली जातीं, वह तो जहां सड़क है, जहां आसानी से सामान दूकान में पहुंचाया जा सके वहां खोली जाती हैं। मैं चाहता हूं कि हर जगह से २ मील पर या अधिक से अधिक ३ मील की दूरी पर दूकान होना चाहिये या जितनी दूरी पर बाजार लगता है वहां वह दूकानें होनी चाहियें। बाजार के करीब दूकानें होने से यह सहूलियत हो सकती है कि अगर कोई चीज किसी वक्त दूकान पर नहीं मिलती तो खुले बाजार से आदमी उस चीज को ले सकता है, लेकिन अगर ५ मील दूर पर दूकान होगी तो उस को बहुत परेशानी होगी। होता यह है कि गरीब मजदूर वहां पहुंच ही नहीं पाता और दूसरे बड़े लोग, व्यापारी सारा गल्ला ले जाते हैं। आटा मिलों पर ज्यादातर वह गेहूं पीसा जाता है कि जो सस्ते गल्ले की दूकानों का है। वह उन को मिलता है, उनको अच्छा अन्न नहीं दिया जाता। जो एक बार इन दूकानों से गल्ला ले लेता है वह फिर नहीं आता। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन इसलिये करता हूं ताकि प्रवर समिति में पुनः इस की तमाम बातों पर विचार हो जाय और इस को एक मुस्तकिल रूप दिया जाय। ५ साल बढ़ाने का क्या मतलब है, उसके बाद फिर सवाल होगा। इधर-उधर के सभी लोगों ने इसका समर्थन किया है कि परिधि बढ़ाई जाय और यह प्रवर समिति में भेजा जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, यह एक मामूली-सा बिल है जो इस सदन के सामने पेश है। न तो इसका ताल्लुक इस बात से है कि इस बिल के जरिये से कोई ऐसी योजना बनाई जाय जिससे इस प्रदेश का प्रोडक्शन बढ़ जाय और न इसका ताल्लुक इस बात से है कि हम गल्ले के मामले में तरक्की कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या तरक्की की कोई योजना बनाने जा रहे हैं। इसका ताल्लुक तो सिर्फ इस बात से है कि सरकार जो गल्ला खरीदती चली आई है और उसका वितरण करती चली आई है उस कार्य को कुछ अर्से के लिये और आगे चालू रखा जाय। लेकिन इस बहस के दौरान में कई किस्म की बातें अपोजीशन की तरफ से सामने आईं।

एक साहब ने कहा कि गल्ले का रेट मुकर्रर होना चाहिये और उसी भाव पर गल्ला बिकना चाहिये। उन्होंने इससे यह नतीजा निकाला कि सरकार को जो अवसर घाटा होता है वह नहीं होगा और सरकार को जो फायदा होगा उसको करने की भी जरूरत नहीं है, वह फायदा भी नहीं होगा। अगर इस बात को हम देखें ....

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, कोरम फिर नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गई।)

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, कई बार ऐसा हो चुका है और आपने निर्देश भी दे दिया है कि कार्यवाही स्थगित करनी पड़ेगी।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री खूबसिंह---हमें इस बात को देखना है कि जो सुझाव माननीय सदस्य की तरफ से पेश हुआ है वह मुमकिन भी है या नहीं। जो इकानामी आज हमारे देश और प्रदेश में चल रही है उसमें मेरा विचार है कि यह बात मुमकिन नहीं है कि हम गल्ले के निर्ख को नियत कर दें और ऐसा कर दें तो वह नियत किये हुए निर्ख चालू रहें।

उपाध्यक्ष महोदय, गल्ले के भाव का जहां तक ताल्लुक है, वह सिर्फ इस बात पर ही कायम नहीं रह सकता है कि किसी देश या प्रदेश की सरकार ऐसे हालात में जो हमारे देश और प्रदेश के हैं, उसकी कीमत को नियत करे क्योंकि ऐसी इकानामी में, जो हमारी है, जब कि हम चारों तरफ विकास की ओर बढ़ रहे हैं और जब किसी देश के सामने कोई विकास का बड़ा कार्यक्रम होता है तो उस देश की करेंसी के एक्सपेंशन पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है और उसके एक्सपेंशन के साथ साथ रुपये की कीमत पर भी उसका असर होता है। और उससे यह नामुमकिन है कि गल्ले के भाव को नियत किया जा सके और अगर कोई गलती से नियत कर भी दे तो वह नियत नहीं रह सकता, ऊपर उठेगा या नीचे गिरेगा। ऐसी स्थिति में एक दूसरा सिस्टम है जिसे सरकारें अमल में लाया करती हैं और जिसके जरिये से यह चाहा जाता है कि गल्ले के भाव न ज्यादा नीचे गिरने पायें और न ज्यादा ऊपर उठने पावें और ऐसे भाव कायम रहें जो आम जनता के हित में हों। वही यह कार्य है जिसके लिये आज का बिल पेश है। इसके जरिये से भावों को कंट्रोल करने की एक स्कीम गवर्नमेंट के सामने आई है और ऐसी स्कीम को चालू रखने का इस सरकार का इरादा है। तो आज का बिल जो है, जिसके जरिये से सरकार यह अधिकार चाहती है कि गल्ले को खरीदा जाय और स्टोर किया जाय तथा आम जनता में गल्ला तकसीम करने का ऐसा इंतजाम किया जाय जिससे फ्री मार्केट में जो गल्ले के रेट्स होते हैं उनमें ज्यादा उथल-पुथल न हो। मैं कहता हूं यह स्कीम सेफ्टी वाल्व की तरह से है जो सामान्य भावों को प्रदेश और देश में बनाये रखती है और यह उचित है ऐसी हालत में।

एक बात है उपाध्यक्ष महोदय, जो बात मेरे दोस्त ने कही है वह कम्पलीट कंट्रोल्ड इकोनामी में पासिबिल है। लेकिन हमारे देश की इकोनामी में जो सुझाव उन्होंने दिये हैं यह इम्पासिबिल है।

जहां तक कंट्रोल्ड इकोनामी का ताल्लुक है उसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि वह ओवर प्रोडक्शन में तो मुमकिन है, जहां दस्तकारी के जरिये से इतना प्रोडक्शन हो जाय कि जरूरत से ज्यादा हो जाय, गल्ला ज्यादा पैदा कर सकें, आलराउन्ड प्रोडक्शन बढ़ जाय। ऐसी हालत में कंट्रोल्ड इकोनामी से कुछ फायदा हो सकता है। पर ऐसी हालत में, जो आज है जब देश में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है हमारी जरूरत के मुताबिक, तो कंट्रोल्ड इकोनामी नहीं चल सकती है। इसके अलावा कंट्रोल्ड इकोनोमी के लिये राष्ट्र का चरित्र इतना ऊंचा होना चाहिये जिससे आपकी स्कीम्स को लागू करने के लिये चरित्रवान आदमी हासिल हो सकें। जैसा आज हमारा चरित्र है इसमें आलराउन्ड कंट्रोल की बात सोचना प्रोडक्शन, वितरण पर नियंत्रण तथा मूवमेंट पर नियंत्रण लगायें तो फिर जाहिर है कि चरित्रवान आदमी अगर नहीं होंगे तो हमारी स्कीम्स को इतनी कामयाबी हासिल नहीं होगी जितनी हम चाहते हैं। प्रोडक्शन का कम होना और करेंसी का इधर-उधर होना और अच्छे आदमियों का उपलब्ध न होना, यह तीन कारण हैं जिनकी वजह से हम कंट्रोल्ड इकोनोमी की पालिसी को अख्तियार नहीं कर सकते हैं। हालांकि जहां तक मेरा निजी विचार है मैं समर्थक हूं अगर आलराउन्ड स्टेट ट्रेडिंग की शक्ल में हम गल्ले की स्कीम मंजूर कर लें, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यह किन हालात में हो सकता है यह देखना पड़ेगा। मेरे खयाल से आज की हालत में यह नामुमकिन है। इसके लिये दूसरे हालात होने चाहिये तभी स्टेट ट्रेडिंग की स्कीम अमल में आ सकती है।

एक साहब ने कहा कि पहले गल्ला बरमा से, नैपाल से खरीदते थे, और आगे चले जाइये तो कहिये कि इंडोनीशिया से, लंका से भी खरीदा जा सकता है। सरकार बड़ी मूर्ख है जो ऐसा कायदा बनाती है कि खरीद नहीं सकते हैं। मेरे दोस्त को मालूम होना चाहिये कि अगर हम

[श्री खूबसिंह]

किसी दूसरे मुल्क से कोई तिजारत करते हैं तो स्टेट लेविल पर कुछ एमाउन्ट का इधर-उधर तय होना जरूरी है और जितनी चीज हम देंगे उतनी अपनी जरूरत के मुताबिक उस मुल्क से लेंगे। और अगर यह सिद्धांत शिथिल कर दिया जाय कि मन चाही चीज मंगा लें तो हमारी जरूरत पूरी नहीं हो सकेगी। हमें स्टील की जरूरत है, हमारे यहां कपड़ा ज्यादा आ जायगा। हमारे यहां से खाद जाने की जरूरत है तो चमड़ा ज्यादा चला जायगा।

उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय में ऐसा होता था, लेकिन वह भूल गये कि उस वक्त कोई प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग के समय में ऐसा नहीं होता। अंग्रेज तो चाहता था कि किसी तरह से हिन्दुस्तानियों को गल्ला लाकर खिलाओ और यहां जो कच्चा पदार्थ है वह दूसरे देशों को भेजा जावे, सिर्फ इतना-सा काम अंग्रेजी जमाने में था। अगर उसकी तुलना आज से करने लगें और नतीजा निकालने लगें तो मैं समझता हूं कि जितना वक्त अंग्रेजी जमाने के खत्म होने में और आज के बीच में गुजरा है उसके अन्दर जितनी बढ़ोत्तरी लोगों के ज्ञान में होनी चाहिये थी ऐसे लोगों के ज्ञान में वह बढ़ोत्तरी बिलकुल नहीं हुई है और वे आज भी वहीं हैं जहां पहले थे। आज हम कहीं आगे निकल चुके हैं, आज हमारी समस्यायें दूसरी हैं और हालात दूसरे हैं। आज प्लान किये हुये विकास के युग में हम चल रहे हैं और उसमें यह चीज पासिबिल नहीं है। हमें कुछ रुपया निर्धारित करना पड़ेगा और जो देश ऐसे हैं जहां हमारी करेंसी से डाइरेक्ट परचेज नहीं हो सकती क्योंकि वहां दूसरे सिक्के हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, उसके लिये एक स्कीम बनानी पड़ती है कि हम कितना स्टर्लिंग, कितना डालर दे सकते हैं और जितना ले सकते हैं, यह सभी बातें ध्यान में रखना पड़ती हैं।

मैंने यह अर्ज किया कि जहां तक इस बिल की बात है, इसका स्कोप बहुत छोटा-सा है, लेकिन देखना यह है कि अगर जरूरत है खरीदने की तब तो ठीक है, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो फिर इस बिल को लाने और इसके पास होने की जरूरत नहीं है और अगर ऐसी हालत मौजूद हैं, सरकार को जरूरत है कि खरीदे और खरीदकर आम लोगों को दे तो फिर यह बिल पास करना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि देश में अनाज की कमी है। इसके कहने में कोई इज्जत नहीं गिरती है। असली बात को छिपाने से आबरू गिरती है। हम कहते हैं कि देश में और देश के बहुत से प्रदेशों में अनाज की कमी है और हम इतना नहीं पैदा कर पाते हैं कि हमारी जनता के लिये यह काफी होगा। जब यह बात अपनी जगह पर सही है, और जब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इतना पैदा करें कि हमें बाहर से न मंगाना पड़े, जब हम इस लायक हो जायेंगे कि बाहर से मंगाने की जरूरत न रहेगी तब हम क्यों मंगायेंगे। लेकिन जब तक जरूरत है तब तक तो मंगाना ही पड़ेगा और बाहर से न भी मंगावें, लेकिन जितनी पैदावार है उसके वितरण के लिये कोई कानून बनाना पड़ेगा ताकि बीचवाले आढ़ती अपनी मनमानी न कर सकें।

एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने यह है कि जब कंट्रोल्ड एकोनामी हमारे यहां नहीं है और यहां सरकारी तौर से भी काम होता है और कुछ प्राइवेट इनीशियेटिव पर भी काम होता है, जब दोनों तरह से काम होता है तो फिर ऐसे कार्य, ऐसे कानून, ऐसी योजनायें, ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि जो लोग स्वेच्छाचारी ढंग से काम करते हैं अपनी इनीशियेटिव पर काम करते हैं उनको भी किसी तरह से कंट्रोल में रखा जाय। वरना यह हो सकता है कि बीच वाले जो लोग हैं उन्होंने गल्ला इकट्ठा किया, जमा कर लिया है या भाव बढ़ा दिया है यह सब हो सकता है और उनको चेक करने के लिये सरकार गल्ला खरीदती है। यह हाउस इस बात को भूला नहीं होगा ९,१० या ११ साल पहले की बात है जब गेहूं का भाव ८ रुपये मन हो गया था और गेहूं के अलावा जो दूसरी चीजें प्रयोग की थीं उनका भाव ऊंचा चढ़ा हुआ था, गुड़ का भाव गिर गया था और सरकार ने इस बात का उचित उपाय करने के लिये कि जो लोग गल्ला पैदा करते हैं या गुड़ बनाते हैं उनकी माली हालत जरूरत से ज्यादा नीचे न गिर

जाय सरकार ने एक एजेंसी कायम की थी और मार्केट रेट से ज्यादा रेट कायम करके उस रेट पर गल्ला और गुड़ खरीदा गया और यह इसलिये किया गया था कि समाज के एक भाग की माली हालत दूसरे भाग के मुकाबले में नीचे न गिर जावे और वह स्कीम कामयाब रही। ज्योंही सरकार ने तेज़ भाव पर गुड़ और गेहूं खरीदा, देखा यह गया कि जो आज़ादाना तरीके से खरीदने वाले आदमी थे उन्हें भी अपने रेट्स बढ़ाने पड़े और इस तरीके से इस प्रदेश के किसानों को जो एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था उससे उनको बचा लिया गया। तो यह स्कीम डबल एज्ड सोर्ड है। यह भाव को नीचे गिरने से भी रोकती है, ऊपर बढ़ने से भी रोकती है और इस तरह से काश्तकारों को और जो दूसरे व्यापार करने वाले लोग हैं उनको बीच में ला कर खड़ा करती है। अगर ऐसा न किया जायगा तो मेरा खयाल है कि जो नियंत्रण एक तरह से लोगों की आमदनियों को कायम रखने में सरकारें किया करती हैं वह नहीं रहेगा और जो पैदा करने वाला आदमी है, जो काश्तकार हैं, जो मजदूर हैं, उनकी माली हालत गिर भी सकती है और बढ़ने के चांसेज़ कम हैं, गिरने के चांसेज़ ज्यादा हैं। इसलिये इस बिल की ज़रूरत है और इस बिल के सिलसिले में जो तरमीम हमारे मोअज्जिज़ दोस्त ने यहां पर पेश की है मेरे खयाल में वह गैरज़रूरी है। उससे क्या होगा? उसमें परिधि बढ़ाने की भी बात है। मेरी समझ में नहीं आता कि परिधि में वे क्या चीज़ लाना चाहते हैं। उससे इसके पास होने में देर लगेगी और पैसा भी ज्यादा खर्च होगा। इन हालात में जो अमेंडमेंट है मैं उसकी मुखालिफत करता हूं और जो विधेयक हमारे सामने पेश है उसकी ताईद करता हूं।

श्री ऊदल---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जो विधेयक पेश किया है वैसे तो वह बहुत ही छोटा सा विधेयक है और जैसा कि उन्होंने कहा, सिर्फ पांच साल अवधि बढ़ाने की बात है, लेकिन इसके अन्दर जो नीतियां छिपी हुई हैं वह जन विरोधी हैं और उनके ऊपर विचार करना मैं समझता हूं बहुत ही ज़रूरी है। मंत्री जी ने अपने भाषण के शुरू में दो-तीन बातों का ज़िक्र किया पहले उन्होंने यह बताया कि भारत सरकार से जो अन्न मिलता है उसको रखने के लिये गोडाउन्स की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उन्होंने लेवी स्कीम के बारे में कहा। तीसरे उन्होंने यह बताया कि कुछ प्राइवेट लोगों के गोडाउन्स हैं। उनकी जब सरकार को ज़रूरत पड़ती है तो ज्यादा पैसा मांगते हैं इसलिये सरकार को ज्यादा पैसा देना पड़ता है, जिसकी वजह से सार्वजनिक धन का काफी नुकसान होता है। लेवी की स्कीम को अगर आप देखें तो जाहिर हो जायगा कि इसी अधिनियम के अन्तर्गत वह नीति है और उस नीति के कारण हमारे प्रदेश के हजारहां किसान परेशान होते हैं।

अभी एक दिन सवाल के उत्तर में माननीय मंत्रीजी ने बताया कि गोरखपुर ज़िले में गरीब दस हज़ार किसान नैपाल की तराई और ट्रांस-राप्ती क्षेत्र में खेती करते हैं। वहां की मुख्य पैदावार धान है। लेकिन वे वहां से धान और चावल इधर नहीं लाने पाते। मंत्री जी ने बताया था कि प्रतिबन्ध सिर्फ चावल के ऊपर है। मैंने पूछा था कि धान ही से चावल पैदा होता है। हो सकता है कि कानून के अन्तर्गत सरकार ने यह प्राविधान कर दिया हो कि धान किसान ले आ सकता है, लेकिन अधिकारी उस कानून को वहां लागू करते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि वे किसान धान भी इधर नहीं लाने पाते और यह असर हजारों किसानों के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा आप बस्ती में देखें, बनारस में भी यह लागू है। हमारे क्षेत्र में एक हवाई अड्डा बना। उसमें बहुत से किसानों की ज़मीन की चली गयी और कुछ किसान मिर्जापुर जिले में राबर्ट्सगंज में जाकर बस गये। वहां भी जो किसान खेती करते हैं वे भी न तो धान लाने पाते हैं और न चावल लाने पाते हैं। अगर लेवी की स्कीम सरकार लगाना चाहती है तो लगावे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसमें यह भी देखना ज़रूरी है कि जो किसान दूसरी जगहों से आकर खेती करते हैं उनके घर में और लोग भी हैं, वे अगर वहां की फसल नहीं ले जाने पायेंगे तो उनके परिवार के लोग कैसे गुज़र कर सकेंगे। लेकिन सरकार ने कोई विचार नहीं किया। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन सब बातों का विरोध सदन को करना है और हर माननीय सदस्य को करना चाहिये।

[श्री ऊदल]

दूसरी बात मंत्री जी ने यह बताई कि अन्न की हालत हमारे प्रदेश में काफी संतोषजनक है। अगर सरकार इस बात को मानती है तो फिर गोदाम बनाने की ओर लैवी सिस्टम कायम रखने की क्या जरूरत है ? सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने का क्यों फैसला किया गया है ? इसलिये मैं समझता हूं कि ऐसी हालत नहीं है। यह विधेयक इस बात की ताईद करता है कि हमारे यहां अन्न की हालत ठीक नहीं है, इसीलिये मंत्री जी अगले पांच साल तक के लिये इसकी मियाद बढ़ाना चाहते हैं।

हर साल करोड़ों रुपये का गल्ला विदेशों से आता है और सरकार लेवी सिस्टम की बात सोचती है और वितरण में भी काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं कि गोदाम नहीं होने चाहिये, उनमें अन्न न रखा जाय क्योंकि किसी समय कोई आपत्ति आये तो कम से कम हम खाने का प्रश्न तो हल कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी मियाद बढ़ाकर ही संतोष नहीं करना है बल्कि जो मर्ज है, जो बीमारी है उसको देखना है, १३ साल से ज्यादा हो गये हैं लेकिन हम खाने की समस्या हल नहीं कर सके हैं। इसके ऊपर सरकार ने कभी गम्भीरता से विचार नहीं किया है।

मुझे कानपुर जाने का मौका मिला। सरकार मिल वालों से आटा पिसवाती है। मिल मालिक गेहूं में धूल, कंकड़ तथा चोकर मिलाकर पीसते हैं। मैंने स्वयं देखा और बहुत से कर्मचारियों ने भी मुझे दिखाया। क्या सरकार ने कभी देखा है कि वहां क्या हालत है ? खाद्य को अखाद्य बनाकर बेचा जाता है। इन दोषों पर विचार करने की जरूरत है।

इसी तरह से, श्रीमन्, जहां लेवी सिस्टम है वहां पर बैरियर्स लगे हुए हैं और उन पर एक-एक इंस्पेक्टर रखा गया है। वह लोग, जो व्यापारी बाहर से खाद्य पदार्थ लाते हैं उनको परेशान करते हैं। मैंने दो एक के खिलाफ रिपोर्ट भी की है और कुछ को निकाला भी गया है। यह हालत है कि रिश्वत लेकर लोगों को छोड़ दिया जाता है इसलिये सरकार की यह स्कीम कामयाब नहीं हो पाती है। इसलिये सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। जब तक सरकार की दोष पूर्ण नीति को ठीक नहीं किया जायगा तब तक समय बढ़ाने से प्रदेश की जनता का कुछ लाभ नहीं हो सकेगा। इसके जरिये जो हम सार्वजनिक सम्पत्ति पर खर्चा करते हैं उसका दुरुपयोग होता है। सस्ते गल्ले की दूकानों पर भी इसी विभाग का नियंत्रण है। सड़ा गल्ला उन दूकानों पर जाता है। कोई जांच करने वाला नहीं है। सरकार को इन सब बातों पर विचार करना चाहिये और विभाग में जो दोष आ गये हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये।

इसके अलावा सरकार ने एक ऐलान किया था, जब माननीय जगमोहन सिंह नेगी थे तो उन्होंने ऐलान किया था, और नागपुर कांग्रेस ने भी स्टेट ट्रेडिंग का प्रस्ताव पास किया था। लेकिन सरकार की कमजोरी है। उसने बड़े-बड़े आढ़तियों और खत्ती वालों के सामने घुटने टेक दिये। मैं सरकार से जवाब तलब करना चाहता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग क्यों नहीं की गयी ? सरकार का ऐलान होते हुये, और नागपुर कांग्रेस का प्रस्ताव होते हुये सरकार की पूरी पूरी मंशा बदल गयी। आज हमारे देश का किसान लटा जाता है, उसकी पैदावार को आढ़तिये सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं और उसके बाद उसी पैदावार को मंहगे दामों पर बाजार में बेचते हैं और वही किसान उसको जा कर मंहगे दामों पर खरीदता है। इन्हीं बातों को सोच कर कांग्रेस पार्टी ने स्टेट ट्रेडिंग का प्रस्ताव मंजूर किया था और सरकार ने घोषणा की थी ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर अनाज मिले। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की स्टेट ट्रेडिंग की नीति का क्या हुआ ? वह विफल हो गयी या लागू करने का विचार छोड़ दिया गया या क्या हुआ ? मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसका जवाब दें। मैं इस बात का समर्थक हूं कि सरकार को स्टेट ट्रेडिंग करनी चाहिये।

इसके अलावा जैसा कि माननीय हरीसिंह ने बताया, और भी चीजें हैं--जैसे मिल की बनी हुई चीजें हैं और दूसरी चीजें हैं जो कि उपभोक्ताओं को काफी मंहगी मिलती हैं। अन्न के भावों

चीज़ों के भावों में समानता नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार इनकी समानता के बारे में सोचे और स्टेट ट्रेडिंग की नीति को अपनाये। मैं उसका समर्थन करूंगा और मेरी पार्टी समर्थन करती है। इसका पांच साल समय बढ़ाने में मुझे ऐतराज नहीं है क्योंकि आवश्यकता इस बात की है। क्योंकि सरकार चाह इस बात को न माने लेकिन आज हमारे देश और प्रदेश में अन्नसंकट है, हमारी पैदावार सवा गुनी ही बढ़ी है। इसलिये खाद्यान्न को गोदामों में रखने की ज़रूरत है। लेकिन विभाग में जो दोष आ गये है और जो दोषपूर्ण नीतियां हैं उन पर सरकार विचार करे और उनका सही हल निकाले। मैं उनका समर्थन करूंगा और मेरी पार्टी इन सब नीतियों को समर्थन करेगी।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज एक छोटा सा विधेयक माननीय मंत्री जी ने उपस्थित किया है। उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। यह छोटा सा विधेयक है लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश की जनता को भुखमरी से बचाने की एक बहुत बड़ी भावना निहित है। माननीय ब्रजनारायण तिवारी ने इस विधेयक का विरोध किया। लेकिन आज से कुछ समय पूर्व पूर्वी क्षेत्र से संबंधित रोजमर्रा इसी सदन में कामरोको प्रस्ताव और भुखमरी से मरने की सूचनायें पेश होती थीं। जब से सरकार ने सस्ते गल्ले की दूकानें, बीज भंडारों और गोदामों की बाढ़ सी लगा दी है तब से इस भुखमरी का नामोनिशान नहीं रह गया है। अब हालत यह है कि पार्टी के स्तर पर तो चाहे जितना विवाद किया जाय लेकिन देहातों में कहीं भी जाकर देखा जा सकता है कि हर अदालती पंचायत के अन्दर एक सस्ते गल्ले की दूकान खुली हुई है जहां से खेतिहर मजदूर या किसी भी पेशे में लगा हुआ मजदूर चाहे वह रोडवेज में काम करता हो या पी०डब्लू०डी० में काम करता हो, कहीं भी काम करता हो, गल्ला सस्ते दामों पर खरीद सकता है और उसे अब कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से यह बहुत सी चीजें मजदूरों के हितार्थ हो गई हैं और उनके लिये बहुत ही सुविधाजनक हुई हैं। आज इन बीज भण्डारों के ज़रिये से जो कालाबाज़ार था उसका भी नामोनिशान मिटता जा रहा है। मैं तो सरकार को यह प्रस्ताव लाने के लिये बधाई दूंगा कि देहातों में मनमानी ढंग से पहले लोग गल्ले का जो व्यापार करते थे, वह किसानों का गल्ला चैत और कार्तिक में इकट्ठा कर लिया करते थे और .....

श्री टीकाराम पुजारी—कोरम नहीं है, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष (श्री टीकाराम पुजारी से)—आप बैठिये। कोरम है।

श्री गंगाप्रसाद—तो आज जिस तरीके से वह लोग किसानों का गल्ला लेकर इकट्ठा कर लेते थे और वह गल्ला, दूसरे प्रान्तों को भेज देते थे उससे यह होता था कि अपने प्रान्त में गल्ला मंहगा हो जाता था और छोटा किसान जब फिर गल्ला खरीदना चाहता था तो उसे दुगुना और डेढ़ गुना तक दाम देना पड़ता था। लेकिन जब से यह भांडार कायम हुये हैं वह किसान बड़ी आसानी से गल्ला पा जाता है और हर अदालती पंचायत के अन्दर दो दो तीन तीन मील के अन्दर सस्ते गल्ले की दूकानें खुली हुई हैं। कालाबाजार पर भी इससे बन्दिश हो गई है।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां गोंडा जिले में ट्रांस राप्ती में, उस पार चावल का बहुत बड़ा क्षेत्र है और ज्यादातर इस पार के लोग ही उस पार खेती किये हुये हैं। उनका अपना गल्ला वहां से लाने मे बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है, जहां आपने ट्रांस राप्ती से गल्ला लाने पर एक रोक लगा दी है वहां आप इस पर भी विचार करें कि जिनके उस पार खेत में अगर वह वहां से अपना गल्ला लाते हैं तो रास्ते में जो आपके अधिकारीगण हैं उनकी पूजा चढ़ानी होती है। अगर वह उनको पूजा नहीं चढ़ाते तो अपना गल्ला नहीं ला पाते हैं। इसलिये उनको छूट मिलनी चाहिये जिससे कि जिनके उधर खेत हैं जिनकी पाही उधर लगी हुई है उनको अपना गल्ला लाने के लिये सुविधा प्राप्त हो। अगर आप यह सुविधा नहीं देते हैं तो आपके मार्केटिंग विभाग के लोग उनसे हर तरीके से रिश्वत लेते हैं। एक लारी अगर आप उधर से धान लायें उस पार से तो करीब-करीब २५ रुपया उनको नज़राना देना पड़ता है। इसलिये आप चाहे तहसीलदार से चाहे एस० डी० एम० से दरियाफ्त कर लें कि उनके खेत उस पार हैं या नहीं हैं, और उसके बाद उनको

[श्री गंगाप्रसाद]

आप परमिट दें कि वह ४०,५० या ६० मन जो भी आप निर्धारित कर दें, उतना चावल या दूसरा गल्ला जो भी वहां पैदा हो वह वहां से ला सकें। इससे जो ब्लैक मार्केटिंग में आपके अधिकारीगण उनसे पैसा वसूल करते हैं उससे उनको छुटकारा मिल जायगा।

आज इन्हीं गल्ला गोदामों के जरिये से गांवों में जब बीज का सवाल आता है तो यहां से बीज सप्लाई हो जाता है और वह भी बड़ी आसानी से किसानों को मिल जाता है जिनके पास कि खेत हैं। लेकिन जो बीज दिया जाता है उस बीज का आप सवाई लेते हैं। पर उस बीज में कुछ अंश ऐसा होता है कि जो उगता नहीं है। यह भी आप दरियाफ्त कर लें अपने मार्केटिंग विभाग से और जिनके बीज उगे नहीं हैं उनसे बीज के दाम नहीं लिये जाने चाहिये। यह चीज आप कर सकें तो बड़ी कृपा होगी। और बीज खरीदते समय यह भी देखना चाहिये कि वह अच्छा बीज हो। कहीं-कहीं ऐसा होता है कि बीज खराब निकल जाता है।

एक बात मैं सरकार से और कहना चाहता हूं। सरकार गल्ला इकट्ठा करती है यह खुशी की बात है। इससे काला बाजार का नामोनिशान दूर होता जाता है। वह बनिया अब जनता को आतंकित नहीं कर सकेगा कि गल्ला नहीं है। साथ ही साथ आपको अपने अधिकारियों पर कंट्रोल भी रखने की जरूरत है जिससे गल्ला गोदामों में ठीक ढंग से रहे। अभी सहकारी बीज गोदामों के बारे में कहा गया कि गल्ला रखा हुआ है लेकिन यह कह दिया गया कि चूहे खा गये। उन्होंने चूहों की मिट्टी लाकर रख दी और वह गल्ला बेच दिया गया। उस गल्ले को समय-समय पर आपके अधिकारियों को देखना चाहिये और महीने दो महीने में उसका निरीक्षण होते रहना चाहिये। नहीं तो करोड़ों रुपये का आप गल्ला रखेंगे और वह लोग चूहे की मिट्टी लाकर रख देंगे और उस गल्ले को निकालकर बाजार में बेच देंगे। इस चीज की आशंका है और इस आशंका को दूर करने के लिये ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति होना जरूरी है जो हमेशा जाकर देखें कि गोदाम ठीक हालत में हैं और गल्ला सुरक्षित रूप से है। इससे अधिकारियों में जो लूट खसोट की बीमारी चलती है वह दूर हो सकेगी।

अभी अवस्थी जी ने एक संशोधन रखा कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। मैं इसका विरोध करता हूं। सरकार तो इसकी मियाद ५ साल के लिये बढ़ाने को कहती है लेकिन मैं यह उचित समझता हूं कि जब तक देश में अन्न की कमी है और लोगों में ब्लैक मार्केट की मनोवृत्ति है तब तक के लिये यह कानून रहे तो बेहतर होगा। इससे यह भी होगा कि एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को गल्ला इकट्ठा होने पर समय पड़ने पर हम भेज सकेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रान्त में अरहर का भाव बहुत तेज हो गया था। यहां से दाल मद्रास भेज दी गई थी। यहां से उन्होंने खरीदा और मद्रास भेज दिया। इस वजह से दाल तेज हो गई। अगर इस प्रकार से गल्ला इकट्ठा कर लेंगे और वह हमारे यहां गोदामों के अन्दर रहेगा तो यह आशंका दूर हो जायेगी कि वह यहां से गल्ला खरीदकर दूसरे प्रान्त को भेज सकें। इस तरीके से यहां के किसानों को और यहां की जनता को आराम से गल्ला मिल सकेगा। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यदि सरकार ने गल्ला इकट्ठा नहीं किया और गल्ले के गोदामों को मजबूत नहीं किया तो यहां पर वही दशा हो जायगी जो बंगाल में हो गई थी कि बड़े-बड़े लोग ब्लैक मार्केटिंग करते रहे और सरकार उन पर कब्जा नहीं कर सकी और हजारों और लाखों आदमी मृत्यु की गोद में चले गये। इसलिये मैं सरकार से अपील करूंगा कि सरकार गल्ले को मजबूती के साथ गोदामों में रखे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पर गोदाम खोलने का प्रयास करे।

जहां तक मकानों का सवाल है कि मकानों को किराये पर लिया जाय, मैं मंत्री जी से आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि इस बात की उसमें देखने की जरूरत है कि मकान की हालत अच्छी हो जिसमें गल्ला ठीक ढंग से रखा जा सके। कभी-कभी ऐसे मकान ले लिये जाते हैं कि जिनमें नीचे से पानी या सीलन पहुंच जाती है। इससे गल्ले का नुकसान होता है और सरकार का भी नुकसान होता है और साथ ही जनता के धन का भी दुरुपयोग होता है। उन अधिकारियों को यह हिदायत हो कि वह मकान देखें और ऐसे मकान ले जिनमें सीलन न पहुंच सके। खराब

मकानों में पुराना रखा हुआ गल्ला भी बरबाद हो जाता है । कभी-कभी ऐसी बात होती है कि इन्क्वायरी की बात करते हैं । जिसका मकान अच्छा होता है उसको अधिकारी देखकर परेशान करते हैं और फिर कुछ रिश्वत की बात चलती है । इसलिये अधिकारियों को यह देखना चाहिये कि वे मकान अच्छे ढंग के हों जिसमें गल्ला रख सकें और उनको भांडार बना सकें तो बेहतर होगा जिससे वहां पर गल्ला सुरक्षित रह सके और समय पर हमारे काम आ सके ।

अवस्थी जी ने एक हफ्ते की बात रखी कि वह संशोधन इसमें हो जाय । अगर अवस्थी जी इसमें यह संशोधन न रखते तो अच्छा होता । यह एक ऐसी चीज है जिससे किसी पार्टी का खास सम्बन्ध नहीं है । इसमें जनता के हित की बात कही गई है । ऐसा करने से हम जल्द से जल्द ब्लैक मार्केटिंग दूर कर सकेंगे । मैं माननीय मंत्री जी से आप के द्वारा एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि गल्ले का भाव दस दिन बाद बढ़ जाने वाला है । इसलिये सरकार उसकी कीमत निर्धारित करने के लिये कुछ न कुछ उपाय सोचे या इसके लिये कोई कमेटी बिठाये ताकि कीमतें निर्धारित हो जायं । इससे किसान का लाभ होगा, कंज्यूमर का लाभ होगा और सरकार को भी लाभ होगा । इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अवस्थी जी के संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, . . .

एक सदस्य—कोरम नहीं है ।

श्री टीकाराम पुजारी—कोरम नहीं है तो बैठ जाऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—आप बोलिये । कोरम है ।

श्री टीकाराम पुजारी—कोरम तो इस सरकार का पूरा होना मुश्किल है । श्रीमन्, मैं गल्ले की दूकानों की बात सुन रहा हूं । जो सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जाती हैं वह सब शहरों और कस्बों में खोली जाती हैं । अगर छोटे कस्बों को भी मिला लिया जाय तो ७० परसेंट जनता ऐसी रह जाती है जिसके लिये सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया । जिसके बल पर यह सरकार बनी बैठी है, हम एम० एल० ए० बने बैठे हैं, उन गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिये इन सस्ते गल्ले की दूकानों से कोई फायदा नहीं होता । फायदा सस्ते गल्ले की दूकान खोलने वाले को होता है । उसका कुछ कनेक्शन होता है एम० एल० ए० से, एम० पी० से, मिनिस्टर से और उसमें एक सौदेबाजी होती है । अगर इसको १०० मन गल्ला दिया जाता है जनता को बांटने के लिये तो उसमें से ५० मन तो जनता को मिलता है और ५० मन गायब हो जाता है ।

गरीब की कोई सुनने वाला है नहीं । उसको कोई मौका ही नहीं है । एक मैं ही गरीब हूं, मुझे ही देख लीजिये । २५, २५ बार बैठकी करता हूं तो कभी मौका मिल जाय तो मिल जाय । सब कहते हैं कि यह बुड्ढा सबको सच्ची सुनाता है, क्या करूं, मेरी तो आदत ही यह है और यह बिगड़ने वाली है नहीं । १९ साल पेश्तर की आदत है । और मैं तो कहता हूं कि यह सारा अन्याय कांग्रेस वाले ही कराते हैं, यह सही नहीं है । मैं तो कहता हूं कि सन् ६२ के चुनाव के लिये जिम्मेदार विरोधी होंगे और ये कांग्रेस को जितायेंगे । इसको कोई रोक नहीं सकता । सरकार को जिन्दा रखने वाले, पानी लगाने वाले विरोधी हैं । जनता ने तो इस सरकार को १९५२ में हरा दिया, ४५ परसेंट वोट कांग्रेस को मिले और ५५ परसेंट विरोधियों को मिले । श्रीमन्, १९५७ में इन्हें ३७ परसेंट मिले और हम लोगों को ६३ परसेंट मिले, लेकिन हमने बांट लिये, और इसमें कोई जनसंघी है, कोई रंगी है और कोई भंगी है, कोई रामराजी है, कोई प्रजा सोशलिस्टी है, कोई सोशलिस्टी है और कोई कम्युनिस्ट है, बोलो ठाकुर जी की जाय ।

[श्री टीकाराम पुजारी]

सरकार को इस तरह जिताने वाले हमी विरोधी हैं, हम हैं। हम जनता पर टैक्स लगाते हैं, हम जनता पर अन्याय करते हैं, हम ही जनता को सस्ता गल्ला नहीं मिलने देते और हम ही भ्रष्टाचार कराते हैं। यह सब जिम्मेदारी विरोधियों की है और जब तक विरोधी जिन्दा हैं तब तक यह सरकार जिन्दा है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि मैं भी कांग्रेसी था। आज की यह कांग्रेस बापू की कांग्रेस नहीं रह गयी है। श्रीमन्, एक तो रामचन्द्र जी वह भगवान रामचन्द्र थे जिन्होंने लंका को तोड़ा था और एक आज गांव का आदमी भी रामचन्द्र नाम का व्यक्ति होता है। तो गांव के उस व्यक्ति से जिसका नाम रामचन्द्र लिया जाता है यह आशा नहीं की जा सकती कि वह भी लंका को तोड़ सकेगा और वही काम कर सकेगा। आज यह कांग्रेस पहले वाली कांग्रस नहीं रह गयी है और इसको गरीबों का तो तनिक भी खयाल नहीं है।

श्रीमन्, मटरा उसने १७ रुपये मन खरीदा और आज उसका भाव ९ रुपये है। चने का भाव आज १० रुपये है और उसने उसको १८ रुपये मन खरीदा था। गेहूं आज १३ और १४ रुपये मन बिक रहा है जब कि किसान ने उसको २० और २२ रुपये मन खरीदा था। जौ आज साढ़े ८ रुपये मन है जबकि उसने १७ रुपये मन खरीदा था। तो किसान की हर चीज की कीमत घट रही है जब चीनी का वही भाव है, कपड़े का वही भाव है, लोहे का वही भाव है, किसान की जरूरत की हर चीज का वही भाव है। आबपाशी का भी वही रेट है। जब और चीजोंके वही भाव हैं और किसान के गल्ले का भाव कम हो रहा है तो सरकार को आबपाशी का रेट भी घटाना चाहिये। जो और चीजें हैं किसान की जरूरत की हैं उनका भाव भी घटना चाहिये। आज सोना १४५ रुपये तोला बिक रहा है, जबकि अनाज का भाव घटता जा रहा है।

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं एक बात और सुनाना चाहता हूं—

किये वायदे थे जनता सों, भूल गये करनी कथनी है।
लिया १० गुना कर चकबन्दी, नये टैक्स की और ठनी है॥
आबपाशी में छूट कराई, सही मुसीबत बहुत घनी है।
राहु-केतु और चौथी वृहस्पति, गुप्ता की सरकार बनी है॥
साम्प्रदायिक विष फैलेगा, छआछत की बेल बढ़ेगी।
राहु-केतु और चौथी वृहस्पति, किसान ऊपर असर करेगी॥
मई के महीना सो लेकर के, अक्तूबर तक असर करेगी।
कहें पुजारी सन् ६२ में, मार्च महीने में उतरेगी॥

तो श्रीमन्, अगर यह सरकार अपना भला चाहती है तो उसे किसानों का भला करना चाहिये। यह कह कर मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उग्रसेन—श्रीमान्, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। मैं ४–५ बार उठ चुका हूं, हमें बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है, आपका प्रश्न तो है ही, माननीय उग्रसेन बोल लें, उसके बाद आपका प्रश्न लिया जायगा।

श्री उग्रसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अवस्थी जी ने जो संशोधन प्रस्तुत विधेयक में रखा है, उसके समर्थन में मैं कुछ निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, अभी उस पार्टी की ओर से बहुत से माननीय सदस्य जो इस पर अपने विचार प्रकट कर रहे थे, उनकी बातें सुनने से ऐसा कुछ आभास मिला कि प्रश्न क्या है और क्या बोल गये। वह हमारे संशोधन को सही रूप में समझते नहीं हैं? श्रीमन्, संशोधन के लिए कहते हैं कि बहुत अच्छा

है, लेकिन मजबूरी इतनी ही है कि भाण्डार अधिग्रहण का अधिकार जो सरकार अब तक सन ५५ से लेती आ रही है वह दूसरी जून को समाप्त हो जायगा, इसलिए एक साथ ५ वर्ष के लिए अधिकार लेना चाहती है। माननीय अवस्थी जी ने यह संशोधन उपस्थित किया है कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय। १९५५ से, जब से यह विधेयक लागू हुआ तब से आज तक जो प्रतिक्रिया हुई है, जो उससे हानियां और लाभ हुए हैं उन पर उस समिति में विवेचन किया जाय और उसकी परिधि को बढ़ा करके पुनः सदन के समक्ष लाया जाय। सरकारी पक्ष की ओर से ऐसा व्यक्त किया गया जैसे हम इसका विरोध कर रहेहों। हम तो इतना ही चाहते हैं कि सन् ५५ में सरकारी आंकड़ों से यह दिखलाया गया कि खाद्य स्थिति अब संतोषजनक है, स्थिर भी है। आज भी कहा जाता है कि खाद्य स्थिति बड़ी संतोषजनक है, इसलिए सरकार ५ साल के लिए अधिकार लेना चाहती है। यह सही है कि जब चीजों का अभाव होता है तो देश में ऐसी स्थिति आ जाती है कि कंट्रोल किया जाता है, जो कि एक क्रान्तिकारी कदम है जिसके द्वारा उस स्थिति का मुकाबला किया जाता है। लेकिन ऐसा कंट्रोल का जमाना ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। लड़ाई के जमाने में वस्तुओं का अभाव हुआ, सीमेंट, लोहे इत्यादि पर कंट्रोल लगा। आज ईटों की कमी है, उन पर भी कंट्रोल कर दिया गया, लेकिन आप यह कहें कि ऐसी स्थिति हमेशा रहेगी तो वह बिलकुल प्रति क्रान्तिकारी और गैर-जनतांत्रिक कदम हो जायगा।

आपने वेयर-हाउस की स्कीम और भाण्डार अधिग्रहण की स्कीम बनायी, अब तक काम करते रहे, आपको नफा नुकसान क्या हुआ, मैं एक ही आंकड़ा देना चाहता हूं। १९५९–६० में गल्ले की लेविल के अनुसार गल्ला लिया गया। ५,२४,९५४ रुपया वेतन और भत्ता कर्मचारियों को दिया गया और गोदामों का किराया ८४ लाख से अधिक था। २२ करोड़ का गल्ला खरीदा गया था और एक करोड़ के करीब उसका खर्चा हुआ। इसी सदन में कुछ दिन पहले एक सवाल आया था कि मेरठ जिले में जब गल्ले की उगाही की गयी—शायद गत वर्ष से पहले साल की बात है—तो जितने गल्ले की उगाही की गयी उसके प्रतिशत से बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया गया। सरकार ने दलील दी कि स्टेट ट्रेडिंग में बड़ा खर्चा पड़ता है इसलिये इसको रोक दो। वह एक क्रान्तिकारी कदम था लेकिन सरकार ने ३० करोड़ रुपया लगाने के बाद जब हर वर्ष रुपया ब्लाक होता गया और नफे के बदले नुकसान उठाना पड़ा तो उसको रोक दिया।

मैं कहना चाहता हूं, प्रस्तावक महोदय ने भी कहा है और दूसरे सदस्यों ने भी कहा है और मुझे खुशी है कि माननीय गंगा प्रसाद जी भी चलते-चलते हल्के तरीके पर कह गये कि मूल्यों का नियन्त्रण होना चाहिये। मैं कहता हूं कि सरकार दाम बांधे, सोशलिस्ट पार्टी की जो नीति है उसको मान ले कि दो फसलों के बीच में एक आना सेर से ज्यादा फर्क दाम में नहीं होगा और दाम पहले से निश्चित कर दे तो मैं समझता हूं कि सरकार की बहुत सी बीमारियां दूर हो सकती हैं। क्रान्तिकारी और प्रगतिशील देशों में वहां की सरकारों ने पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूपों में वायदा किया कि पहले चीजों के भाव घोषित करेंगे क्योंकि उससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और वह ज्यादा फसल उपजायेंगे। मगर यह सरकार उस चीज को नहीं करती है और कहती है कि हम गल्ला स्टोर करेंगे। आप किस लिये स्टोर करेंगे? राशन की दुकानों पर देने के लिये। मैं मन्त्री जी से पूंछूं कि राशन की दुकाने क्यों चलाई गई हैं। यह दुकानें इसलिये नहीं चलाई गई हैं कि जिनको खाने को नहीं मिलता उनको खाने को दिया जाय। राशन की दुकानों का कतई यह मंशा नहीं है कि जिनके पास खाना नहीं है उनको खाना दिया जाय। उसका मंशा यह है कि चूंकि गल्ले के दामों में फ्लेक्चुएशन है, उतार चढ़ाव होता रहता है उसको रोकने के लिये राशन की दुकानें खोली जायं। भूखों को वहां से खाना नहीं मिलता।

माननीय गंगा प्रसाद जी ने कहा कि पहले भुखमरी की खबरें आया करती थीं लेकिन जबसे ज्यादा गोदाम खुल गये तब से वह खबरे नहीं आतीं। मैं समझता हूं गोंडा के बारे में उनको

[श्री उग्रसेन]

जानकारी नहीं है। श्रीमन्, एक तरफ तो गल्ले की कीमतें चढ़ती गईं और दूसरी तरफ राशन की दुकानों को खोलने के लिये जो भाडार बनाये गये उन पर करोड़ों रुपया हर साल खर्च किया गया। लेकिन उससे मंशा हल नहीं हुआ, अनाज के भाव कम नहीं हुये। हापुड़ के मार्केट में जब गेहूं का भाव २२ रुपया मन था तो गोरखपुर में गेहूं का भाव साढ़े २४ रुपया मन था। उस समय माननीय नेगी जी खाद्य मन्त्री थे, उन्होंने, ही सारे आंकड़े दिये थे। इसलिये मैं सरकार को चार्ज करता हूं कि वह यह करोड़ों रुपया क्यों खर्च कर रही है? भूखा तो भूखा ही रहा और पूर्वी जिलों में सैकड़ों आदमी मर गये। कोई भी मंशा पूरी नहीं हुई। तो निहायत आर्ज मिन्नतों के साथ मैं आदरणीय सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब अभी तक इस स्कीम के द्वारा कोई भलाई नहीं हो सकी है तो फिर इस संशोधन विधेयक को एक प्रवर समिति में ले जाया जाय और परिधि बढ़ाते हुये इस पर विचार किया जाय। सरकार कहती है कि हम विचार नहीं करेंगे। अब श्रीमत्, इसमें हमारा क्या गुनाह है अगर हम सरकार से यह कहते हैं कि वह इस पर पुनर्विचार कर ले। जब सन् ५५ से इसमें कोई संशोधन नहीं किये गये और पांच साल तक फिर कोई चर्चा नहीं हो सकेगी तो फिर सरकार इस पर विचार या पुनर्वीक्षण करने के लिये क्यों नहीं तैयार है?

श्रीमन्, मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि सरकार यह कहेगी कि इसमें कोई खास बात नहीं है। केन्द्रीय से सरकार या लेवी स्कीम के द्वारा जो गल्ला मिलेगा उसको स्टोर करने के लिये गोदाम चाहिये। लेकिन श्रीमन्, इसके पीछे क्या राज है? किन बातों के लिये यह किया जा रहा है वह पीछे की बातें नहीं आई हैं।

श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि प्लानिंग कमीशन ने कहा कि हमारी मूल्य नीति होनी चाहिये। सेकेन्ड प्लान जब बना था तो उसके प्रारूप में लिखा हुआ है कि हमारी मूल्य नीति होनी चाहिये। लेकिन श्रीमन्, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना भी चालू हो गई है और सरकार के पास कोई भी मूल्य नीति नहीं है। कोई प्राइस पालिसी नहीं है। जिस जनतंत्री सरकार की मूल्य नीति नहीं है वह सरकार किसी भी तरह से जनतांत्रिक नहीं हो सकती, वह हिटलर या मुसोलिनी की सरकार हो सकती है। फिर कैसे यह सरकार अपने को वेलफेयर स्टेट कहती है, हमारे दिमाग में तो आता नहीं है।

सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक फूड इंक्वायरी कमेटी बैठायी अशोक मेहता साहब के सभापतित्व में, उसने एक रिपोर्ट भी दी। माननीय मंत्री जी ने पढ़ा होगा, उसमें यह लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया प्राइस कमीशन बैठा दे। गवर्नमेंट आफ इंडिया के एक्सपर्टस् की भी यह राय है कि यह देखा जाय कि प्राइस कमीशन लाभदायक होगा या नहीं। आगे की कार्यवाही डेवलपमेंट कौंसिल में क्या हुई, कहां तक बात चली, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। सरकार को प्राइस कमीशन बैठाना चाहिये और यह तय कर देना चाहिये कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या अन्तर हो? लेकिन यह तो आप करते नहीं हैं और करोड़ों रुपया इन वेअर हाउसेज पर खर्च कर रहे हैं। अगर आप प्राइस पालिसी निश्चित कर दें तो आपका यह रुपया बच जायगा। इसलिये इस पर आपको गौर करना चाहिये।

अब केन्द्र की कुछ बात कह दूं। सरकार समझती है कि उसकी हर समस्या भांडार रखने से सुलझ जायगी। जब खाद्य मंत्री अमेरिका से दावतें खाकर आये तो उन्होंने एक नया शिगूफा छोड़ा कि अब हिन्दुस्तान में अमेरिकी व्हीट बैंक खुलेगा और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से उसका वितरण होगा। रुपये पैसे का बैंक तो सुना था लेकिन पाटिल साहब ने यह नया बैंक सुना दिया। अमेरिका से मालूम नहीं कितना गेहूं मिला लेकिन इन भांडारों पर न जाने कितना रुपया खर्च हो गया और इन भांडारों को दिखा कर माननीय पाटिल भूखों को ललचाना चाहते हैं। आपके यहां बहुत सा गल्ला भरा पड़ा है लेकिन वहां लोग भूखों मर रहे हैं। मऊ रानीपुर के मार्केट में सड़ गया और पता तब चला जब आस-पास के मकानों में बदबू आयी और गल्ला सुखाया गया।

बाढ़ के समय पश्चिमी जिलों में तमाम गल्ला सड़ गया। लेकिन पाटिल जी चाहते हैं कि वे इन भाण्डारों को दिखाकर भुखमरों को ललचाना चाहते हैं।

प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम अन्न के मामले में हिन्दुस्तान को आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं। लेकिन ५१ में उन्होंने कह दिया कि अन्न की आत्मनिर्भरता तो हमारा सपना ही सपना रहा लेकिन अब फिर सरकार यह नारा लगा रही है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम इतना गल्ला पैदा कर लेंगे कि बाहर से बिलकुल गल्ला उनको न मांगना पड़ेगा। लेकिन आप बाहर से मंगा रहे हैं बजरी जिसको अमेरिका के सूअर भी खाते नहीं है, वह आप अपनी जनता को खिला रहे हैं।

आप कहते हैं कि हमारे पास बहुत सी बंदूकें और तोपें हैं लेकिन १२ हजार वर्गमील स्थान पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है।

श्री उपाध्यक्ष—यह इस विषय से संबंधित नहीं है।

श्री उग्रसेन—तो सरकार अपने गोदामों में गल्ला दिखा कर लोगों को ललचाना चाहती है। मैं तो इस बात के पक्ष में हूं कि आप इस करोड़ों रुपये के खर्चे को बन्द कर दीजिये। आप इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजिये और वहां बैठकर ठंडे दिल से विचार कीजिये और विचार करने के बाद जो खामियां अब तक इसमें रही हैं उनको दूर कीजिये। आपने स्टेट ट्रेडिंग इसलिये छोड़ा कि आपने कहा कि उसमें आपको घाटा रहा। आप कहेंगे कि यह तो केन्द्र की बात है। आप केन्द्र को लिखें, आप अपने सुझाव दें और आप केन्द्र से कहें कि हमारे कानूनी सलाहकार इसमें एतराज करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह आप के लिये गर्व की बात होगी और यह समझा जायगा कि आप ने एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है। जबतक आप पूरे तौर पर एक सही व्यवस्था न करेंगे तबतक आप को लाखों रुपया हर साल व्यय करना होगा और हर ४–५ साल बाद आप को भाण्डारों पर अधिकार बनाये रखने का कानून लाना होगा। इन शब्दों के साथ में चाहता हूं कि माननीय अवस्थी जी के सुझाव को मंत्री जी मान लें, इसी में कल्याण होगा वर्ना न अन्न के भाव नीचे आयेंगे और न भूखों को खाना मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं अवस्थी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस आवश्यक विषय पर जो लम्बी बहस हुई और जिसमें दोनों पक्ष के बोलने वालों ने भाग लिया उसके लिये मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि मैं आरम्भ में ही निवेदन कर चुका हूं कि आज का यह विधेयक केवल इसलिये ही नहीं है कि इसकी अवधि ५ साल की बढ़ा दी जाय बल्कि इसके अन्दर बहुत सी खास नीतियों की बात सन्निहित है और विशेष रूप से स्टेट ट्रेडिंग, खाद्य की समस्या, सस्ते गल्ले की दूकानों, अन्न वितरण की नीति के तमाम प्रश्न इसी में सन्निहित हैं। इसलिये इन तमाम विषयों को ध्यान में रख कर आप अपने विचार दें। मुझे खुशी है कि इस पक्ष के और उधर कांग्रेस के पक्ष के लोगों ने भी सभी नीतियों को ध्यान में रखकर अपने विचार प्रकट किये हैं और दोनों पक्ष के लोगों ने अपने विचारों से यह बताने की कोशिश की है कि अधिग्रहण या स्टोरेज क्यों किया जाय ?

मैं इस समय केवल दो एक बातों की ओर संकेत करूंगा। दोनों ओर के वक्ताओं ने जो विचार व्यक्त किये उन सब ने एक मत होकर कहा कि गल्ले के भावों में घटबढ़ बराबर होती रही है और होती जायगी और इस का कारण दोनों पक्ष के लोगों ने बताया कि बीच का जो व्यापारी वर्ग होता है वह बीच का लाभ उठाने की कोशिश करता है और सरकार इस चीज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

को दूर करने के लिये अपनी बुद्धि के अनुसार कदम उठाती रही है। सरकार ने इसके लिये सब से पहले कंट्रोल की नीति अपनाई और महायुद्ध के बाद लेवी सिस्टम भी आया और जबरदस्ती किसानों का गल्ला संचित किया गया। राज्य व्यापार की योजना लागू की गई और सरकार ने समझा कि जब तक सरकार अपना अन्न संग्रह न करेगी तबतक वह अन्न का वितरण सफलतापूर्वक जनता में न कर सकेगी। सरकार ने विदेशों से मंगाकर अन्न संग्रह की नीति भी अपनाई। इन तीन चार सरकारी कदमों के कारण देश में जो विदेशी कर्जा बढ़ा इन तीन चार कदमों के कारण देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ा और जो भावों की घटबढ़ बढ़ी, इस सब को देखकर हम कह सकते हैं कि आजतक जो कदम भावों को संतुलित करने के लिये उठाये गये वह सभी असफल रहे। मेरी मंशा यह है कि भावों में अधिक असंतुलन न रहे, एक संतुलन रहे जिस से बीच के लोग अधिक लाभ न उठा सकें और उनकी हविस और प्यास कम हो।

मैं चाहता हूं कि सरकार जरा अपने दायरे से ऊपर उठकर, कछुए के दायरे से ऊपर उठकर ऊंचे स्तर पर विचार करे और इसमें हठ की कोई बात नहीं है। अगर वह सोचने की कोशिश करे कि फलक्चुएशन आफ प्राइस या भावों की घटबढ़ को दूर करने के लिये वह कौन सा कदम उठाये? श्रीमन्, मैं आपसे ही अपील करूंगा, आपने अभी हाल में जो दाम बांधों आयोजन कानपुर में हुआ उसमें योगदान दिया और उस आयोजन में जो केन्द्रीय समिति बनी उसमें भी आप निर्वाचित हैं और आपने उसमे पूरा-पूरा हाथ बटाया है। मैं आपके द्वारा सरकार को इस बात का ज्ञान हासिल करने के लिये अपील करूंगा कि वह समझे कि आज जो अर्थ के विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर ज्ञानचन्द्र वगैरह, और दूसरी जो पार्टीज हैं, जो देश में सम्पन्नता चाहती हैं, उन्होंने मिलकर एक प्रारम्भिक कदम उठाया, चाहे कानपुर में वह कदम उठाया गया, चाहे वह राममनोहर लोहिया के द्वारा पहले से उठाया गया हो, लेकिन वह उठाया गया और अगर सरकार प्रदेश में सम्पन्नता चाहती है और ग्रामीण क्षेत्र में सम्पन्नता चाहती है और उन सभी बातों में सफलता चाहती है जिनके आधार पर ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति होगी तो पहला कदम यह है कि खाद्यान्न के मूल्यों को निर्धारित किया जाय। म यह नहीं कहता कि हर अन्न का का दाम मुकर्रर हो, लेकिन जो भावों में घटा बढ़ी होती है उसके अन्तर को दूर करने क लिये कोई एक ऐसा सिद्धान्त स्वीकार किया जाय कि इससे ज्यादा अन्तर बीच में नहीं होगा। हम सरकार से कभी यह नहीं कहते कि सरकार हर वस्तु का मूल्य मुकर्रर कर दे। भावों का अस्थिर रहना तो उनका स्वभाव है लेकिन हर चीज का उच्चतम और न्यूनतम भाव क्या होगा यह तो आप कर ही सकते हैं।

जिस मंशा से आप कंट्रोल करते हैं, यह भाण्डार अधिगृहण की बात करते हैं, स्टेट ट्रेडिंग की पालिसी चलाते हैं, वह है एक दिशा की तरफ चलने से हल हो जाती है और वह यह है कि आप भावों की घटा बढ़ी के संबंध में एक कोई न कोई निश्चिय सिद्धान्त स्वीकार कर लें। यह नहीं कि किसी एक वर्ग के द्वारा ही कहे हुए सिद्धान्त को स्वीकार करे बल्कि सरकार स्वयं आगे कदम बढ़ावे और कोई सिद्धान्त निकाले। सरकार के कदम को जनता के प्रतिनिधि स्वीकार करने के लिये तैयार हैं लेकिन सरकार सिद्धान्त तो मान ले। जो तमाम परेशानी है और गांवों में जो दरिद्रता बढ़ती जा रही है उसका कारण केवल यह है कि किसान को जब गर्ज होती है तो गल्ला सस्ता बेचता है, उसके पास धन न होने के कारण वह गल्ले को रोक नहीं पाता और जब आपत्ति आती है तो मारा-मारा फिरता है और ऊंचे भावों पर खरीद कर खुद तबाह होता है।

इस उतार चढ़ाव की स्थिति से न सर्फ देहात का किसान बल्कि शहर का मजदूर और मध्यवर्गीय व्यक्ति भी परेशान है और इसी के कारण आये दिन हड़ताल होती हैं और पे कमीशन बैठते हैं। चाहे वह सेक्रेटेरिएट के कर्मचारी हों, चाहे रलवे क कर्मचारी हों और

चाहे मिल के मजदूर हों, सभी इसलिये वेतन बढ़वाना चाहते हैं कि भावों का उतार-चढ़ाव एकदम होता है ।

इन सब मुसीबतों का एक ही हल है और वह जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा भी सुझाया जा रहा है । यह कोई नया हल हो ऐसी बात नहीं है जिसको कि सरकार न समझ सकती हो । वह उसे समझ सकती है बशर्ते कि वह ऊंचे स्तर पर सोचे । अपने अभिमान के दायरे से ऊपर उठे और यह समझे की दूसरे की बताई हुई बात सही हो तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिये । मैंने जो इशारा किया उसको सरकार के जो नुमाइन्दे हमारे सामने बैठे हुए हैं, समझेंगे जिन्होंने यह भांडार अधिग्रहण विधेयक पेश किया है । मेरे इशारे को वह समझने की कोशिश करेंगे.....

श्री उपाध्यक्ष---आप साफ साफ बता दें, इशारा समझने में दिक्कत होगी ।

(हंसी)

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, अक्लमन्द के लिये इशारा काफी है । अगर उसमें कमी हो तो कहां तक मैं पढ़ाऊंगा ? यों पढ़ाना तो मेरा काम रहा है, यहां अगर उस काम को शुरू कर दूंगा तो बेजा लगेगा । इसलिये मैं अपने उस बोझ को बढ़ाना नहीं चाहता । लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात को भी समझें और स्वयं आगे बढ़ें और एक कदम उठावें । जो बातें मैंने कहीं हैं उनका जवाब दें बजाय इसके कि यह कहें कि सिर्फ ५ साल की अवधि हम मांग रहे हैं और जो तमाम बातें उखाड़ी गई हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी । यह मेरा सुझाव है, इसलिये कि सरकार की तरफ से कहा जाता है कि किन कारणों पर आप कहते हैं कि सेलेक्ट कमेटी में यह बिल जाय ? मैं इसीलिये इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहता हूं जो कि बातें मैंने अभी कही हैं ।

इस बिल में यहां तक है कि जिलाधिकारी किसी स्थान को अधिग्रहण कर लेगा और कोई चूं चपड़ करे तो उसके एतराज करने पर, रेस्पांडेंट के कोई सूचना न देने पर एक माह की सजा तथा २०० रुपये जुर्माना की व्यवस्था है । इस तरह से अगर आप इन बातों को हासिल करना चाहते हैं तो नहीं कर पायेंगे । सरकार इतनी ज्यादा गलतियां कर चुकी है, ऐसे स्थान पर पहुंच चुकी है जहां उसे चाहिये एक बड़ा कदम उठावे और अपने रुख को बदले । एक रुख ज्यों ही गलत हो जाता है तो आगे चल कर भी गलत होता जाता है, आज सरकार ऐसी ही स्थिति में है । जिस दिशा में उसे चलना चाहिये ठीक उसके उल्टे चल रही है । मरज की दवा सरकार सोचती है, मगर सिम्पटम्स की दवा नहीं सोचती । मैं सरकार से कहूंगा वह आगे बढ़े और सोचे कि भांडार अधिग्रहण के कारण क्या हैं ? क्या जरूरत है बफर स्टाक कायम करें, विदेशों से गल्ला आये, कंट्रोल की दुकानें कायम करें । इन सब का हल यह है कि इन दोनों में जो उतार चढ़ाव है उसको रोकने के लिये एक सिद्धान्त स्वीकार कर ले और उसको व्यापक रूप से लागू करे । अगर ऐसा करेगी तो किसान भी जीवित रह सकेगा और उसको तय करने के बाद सरकार का भी साहस बढ़ेगा । आप उन वस्तुओं का भी भाव तय करें जिनको किसान चाहता है, जैसे कपड़ा, तेल तथा चीनी आदि मिलों से तैयार की हुई वस्तुयें । इन चीजों के भाव भी आपको संभालने पड़ेंगे । अगर इनको नियंत्रित नहीं करेंगे तो किसान का हित आप नहीं कर सकते हैं ।

इसलिये मेरा कहना यही है कि खाद्यान्नों के मूल्य में जो घट-बढ़ है उसको नियंत्रित करने के साथ आप उन वस्तुओं के मूल्यों में भी, जिनको किसान चाहता है, समन्वय करें । किस अनुपात से आप इस समन्वय को कायम रखें यह आपका काम होगा । अगर आप हमारा सहयोग चाहते हैं तो हम सलाह दे सकते हैं, बशर्ते कि आप सुनने को तैयार हों । इसीलिये हम चाहते हैं कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय । प्रवर समिति को भेजने का मतलब ही यह है कि (व्यवधान) आप हमारी बात को सुनें, हम आपको समझावें । सरकार कहा करती है कि विरोधी पक्ष के लोग कभी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस नहीं देते हैं । प्रवर समिति

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

का प्रस्ताव क्या है यह रचनात्मक सुझाव ही तो है बशर्ते कि आप बैठने की कोशिश करें। ३ महीने के बाद उठने के समय ९ मई को जब अधिवेशन का अन्तिम हिस्सा है तब जल्दबाजी मे आप इसे पास कर दें यह उचित नहीं है। अगर इतना आवश्यक बिल लाना ही था तो ठीक समय से लाते। सरकार कहेगी कि प्रवर समिति में ले जाने का प्रस्ताव ला करके विरोधी पक्ष के लोग डाइलेटरी टेकटिक्स ला रहे हैं और अधिनियम को पास नहीं होने देना चाहते हैं। हम अधिनियम के द्वारा वस्तुस्थिति का मूल्यांकन करना चाहते हैं, जल्दबाजी में नहीं करना चाहते हैं। काम शीघ्र हो जाय उसके लिये हम भी चाहते हैं और इसीलिये हमने एक हफ्ते का समय रखा है। हमने अपना हाथ बढ़ाया है और सरकार से यह चाहते हैं कि सरकार प्रवर समिति के सिद्धान्त को तो स्वीकार कर ले फिर एक हफ्ते से कम भी लग सकता है और उसको स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होगी बशर्ते कि सरकार जरा समझदारी से काम ले और हमारे बढ़े हुये हाथ को लेकर खाद्यान्न के घटाव-बढ़ाव के संतुलन के और साथ में निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में संतुलन के सिद्धान्त को स्वीकार कर ले और इसके लिये इसको प्रवर समिति में भेज दे।

श्री धर्मसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री मोतीलाल जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। जब आपने प्रवर समिति में भेजने के लिये प्रस्ताव पेश किया था तो मैं यह समझता था कि वे कोई ऐसी बात कहेंगे जिसकी वजह से सरकार आवश्यकता समझेगी कि उसको प्रवर समिति में ले जाय। मैंने उनको दोबारा भी समझने की कोशिश की। मान्यवर, अगर सन् ५५ के विधेयक और उसके क्लाज को देखा जाय तो जो विधेयक आज यहां उपस्थित है उसमें कोई अन्तर नहीं है। इसमें कुछ अधिकार लेना चाहते हैं रिक्वीजीशन वगैरह के और ५५ के विधेयक को देखा जाय तो उसमें भाण्डार आवास के प्रयोग का अधिकार, निरीक्षण का अधिकार, ऐग्रीमेंट इत्यादि के बारे में हैं, न्यायालय रिफरेंस वगैरह का अधिकार हैं इस तरह के क्लाजेज हैं जो ५५ में इस सदन में पारित हुआ था। तो मैंने समझने की कोशिश की। तमाम नीतियों का यहां पर विवरण दिया गया खाद्यान्नों के बारे में, यहां बहुत सी बातें कही गयीं और यहां तक चर्चा चलायी गयी कि इस प्रदेश में भुखमरी है और देहातों में लोग भूखों मर रहे हैं। इस तरह की बहुत-सी बातें कही गयी हैं जिनको मैं समझता हूं कि इस विधेयक से कोई ज्यादा सम्बन्ध नहीं था। बहुत कोशिश की गयी इस बात को समझने की आखिरकार अवस्थी जी क्या बातें कह रहे हैं। भांडार के सम्बन्ध में या रिक्वीजीशन के सम्बन्ध में अवस्थी जी कोई बात कहते तो सरकार उस पर विचार सकती थी लेकिन जो बातें कही गयी हैं उनका इस बिल से कोई बहुत बड़ा सम्बन्ध नहीं था।

यह बात कही गयी कि यह सरकार जब से अन्न का कार्य कर रही है तब से इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है और जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का सम्बन्ध है उसको दिन पर दिन घाटा हो रहा है। जो स्टेट ट्रेडिंग की स्कीम यहां सन् ५६–५७ में चली तब से लेकर आज तक इस बात को जानने की कोशिश की गयी कि इस प्रदेश को घाटा हुआ है। तो मैं उनकी इत्तला के लिये यह बता देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो प्रोक्योरमेंट वगैरह की स्कीम चली वह नो प्राफिट और नो लास के आधार पर चली और इस सदन में हमेशा सरकार की तरफ से ये आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं कि जहां तक इस स्कीम का सम्बन्ध है सन् ५६–५७ में १,३९,०५३ रुपये का लाभ रहा, सन् ५७–५८ में १,१३,९६४ रुपये की हानि रही, सन् ५८–५९ में ३७,५५,५९३ रुपये का लाभ रहा और सन् ५९–६० में ५,३७,२८५ रुपये का लाभ रहा। इस प्रकार कुल मिला कर ४३,१७,९६७ रुपये का इस स्कीम में फायदा हुआ। तो यह कहना कि इस स्कीम से कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि घाटा हो रहा है, सही नहीं है।

दूसरी बात यह कही गयी कि इस विधेयक के द्वारा सरकार जो अधिकार लेना चाहती है उसमें जबरदस्ती होगी और उधर के बैठने वाले कुछ सदस्यों ने तो विशेष रूप से यह कहा कि सन् '६२ का चुनाव आ रहा है उसमें उस शक्ति का प्रयोग किया जायगा। तो जहां

तक सन् ६२ के चुनावों का सम्बन्ध है कम से कम कांग्रेस पार्टी तो बाजी नहीं लगा सकती। चुनाव तो आते हैं और चले जाते हैं, पार्टियां आयेंगी और बैठेंगी लेकिन चुनाव को हम चुनौती मानते हुये उस जनता की किस्मत से जिसका प्रतिनिधित्व हम इधर के बैठने वाले करते हैं खिलवाड़ नहीं कर सकते चाहे कल को हम यहां पर रहें या न रहें। चुनाव से मान्यवर, न हम डरते हैं और न जनता डरती है। इस तरह की नीतियों की बातों को चुनाव को चुनौती देकर कहना इस सदन को शोभा नहीं देता है।

मान्यवर, अगर हम आंकड़ों को देखें तो सन् ५५ से लेकर २०-४-६० तक करीब ११ गोडाउन्स इस अधिनियम के द्वारा रेक्वीजीशन किये गये। जैसा मैंने शुरू में कहा था, इसके द्वारा किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जायगी। लेकिन जहां पर सरकार यह महसूस करती है कि हमको गोडाउन्स नहीं मिलते, स्टोरेज करना है, थोड़ी-बहुत चावल इत्यादि पर लेवी भी लगी है, रेनी सीजन होता है, फ्लड्स आते हैं और जिसके पास गोडाउन हैं वह ज्यादा पैसे मांगता है तो मान्यवर, आप देखेंगे कि जहां तक स्टोरेज के रिक्वीजीशन का संबंध है, बहुत तादाद में उसका प्रयोग नहीं किया गया है। शुरूआत में जब मैंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया था तो मैंने निवेदन किया था कि पहले सरकार इस बात की कोशिश करती है कि गोदामों को रिक्वीजीशन द्वारा न लेकर पर्सनल निगोशियेशन्स से ले। लेकिन दाम के ऊपर झगड़ा हो सकता है। अगर कोई जबर्दस्ती करता है और बाजार रेट से कीमत ६ गुनी, ८ गुनी या १० गुनी ज्यादा मांगता है तो इस विधेयक द्वारा हम शक्ति लेना चाहते हैं और केवल जनहित में ही लेना चाहते हैं। मैंने निवेदन किया कि देवरिया, मिर्जापुर, जौनपुर, इटावा और झांसी आदि में केवल ११ स्टोरेज लिये गये हैं।

आगे चलकर यह बात कही गई कि अगर सरकार को यह अधिकार दे दिये गये तो उनका मिसयूज होगा। मैं नहीं समझ सकता कि किस प्रकार से इनका मिसयूज होगा जब कि हम जनहित में कोई कार्य करना चाहते हैं। इमर्जेन्सी आती है, फ्लड्स आते हैं, रेनी सीजन आता है तो किसी समय दिक्कत पड़ सकती है। आज किसान को गल्ले के दाम कम मिल रहे हैं। इससे हमें दुख होता है लेकिन यह पहले से चला आ रहा है। जब फसल होती है और किसान अपने अनाज की गाड़ी दुकान पर ले जाता है तो यह उसका दुर्भाग्य है कि वह गाड़ी वापस नहीं लाता है। इसलिये कि उसको मजबूरी है, उसको अपनी लड़की की शादी करनी पड़ती है, छप्पर छवाना पड़ता है और इस तरह की बहुत सी जरूरियातों को पूरा करना पड़ता है। इसलिये किसान जब कभी अपनी गाड़ी बेचने के लिये ले जाता है तो वापस लेकर नहीं आता। इसलिये हमारा यह अभिप्राय कभी नहीं है और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि यह हमार देश का दुर्भाग्य है। उसकी किस्मत से हम खेलना नहीं चाहते हैं बल्कि बात यह है कि जब गल्ला अधिक होता है और बाजार में आता है तो मार्केट रेट नीचा हो जाता है और मजबूरी में उसे गल्ला बेचना पड़ता है।

श्रीमन्, जहां तक सरकार का संबंध है उसने हमेशा कोशिश की है और यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि अगर गल्ला सस्ता जाता है तो क्या प्रबंध किया जाय जिससे किसान को नुकसान न हो। यह चार्ज लगाया गया कि सरकार इस छोटे से विधेयक को लाकर मिल मालिकों को तथा पूंजीपतियों को मालामात करना चाहती है लेकिन मैं यह नहीं समझ सका। अगर यह विधेयक पास हो गया और इमर्जेन्सी में स्टोरेज करना पड़ा, फ्लडस आते हैं, रेनी सीजन आता है और कोई विपत्ति आती है तो उसका हम सामना कर सकते हैं और जैसा कि आज सब जानते हैं कि स्थिति ऐसी नहीं है बल्कि यह तो एक टेम्पोरेरी फेज है। जहां तक सरकारी गल्ले की दुकानों का संबंध है बहुत से लोग वहां से अनाज नहीं ले रहे हैं क्योंकि मार्केट रेट से केवल एक आध रुपया भाव नीचे है। लेकिन यह एक टेम्पोरेरी फेज है और सरकार इंतजाम करती है कि इस प्रदेश में गल्ले का इंतजाम हो और इस नीति को अपनाती है तो मैं नहीं समझ सका कि कसे मिल मालिकों को और पूंजीपतियों को लाभ होगा। कम से कम जहां तक इस सदन का

[श्री धर्मसिंह]

सम्बन्ध है ऐसी बातें कहना शोभा नहीं देता है। हमें स्वस्थ परम्परायें कायम करनी हैं। जब जनतंत्र में हमारा विश्वास है, जब हमने अपने देश में डेमोक्रेटिक सेट अप कायम किया है तो हम सब इस तरह की बातें कहें जो शोभा देती हों, थोड़ी इस तरह की परम्पराएं कायम करें जो अच्छी हों। अगर सरकार ने १९५५ से लेकर आज तक कुछ गोडाउंस को रिक्विजीशन कर लिया तो कौन सी बात हो गयी ?

कहा गया कि सस्ता गल्ला बांटने की कोई व्यवस्था नहीं है, आज फेयर प्राइस शाप्स हैं। ग़रीबों को अधिकार है कि वहां जाकर गल्ला इत्यादि ले सकते हैं।

लेवी सिस्टम के बारे में भी कहा गया। उत्तर प्रदेश में ३२ जिले इस प्रकार के हैं जहां पर सरकार ने लेवी सिस्टम, जहां तक चावल का सम्बन्ध है कायम कर रखा है। जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है अगस्त, १९६० को पचास फीसदी खरीदने का जो लेवी, सिस्टम था उसको खत्म कर दिया है। फेयर प्राइस शाप्स पर चावल की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश के वह हिस्से जो चावल खाते हैं, अगर हम प्रोक्योरमट नहीं करते हैं, बिलकुल छूट दे देते हैं, तो उनको चावल कैसे प्राप्त हो सकेगा ? पूर्वी और पहाड़ी जिलों में और जहां तक चावल की आवश्यकता है, अगर हम छूट दे दें तो फिर फेयर प्राइस शाप्स पर हम चावल नहीं दे सकेंगे।

जहां तक यह बात कही गयी कि खुद धान पैदा करते हैं लेकिन नहीं ले जा सकते। तो यह कायदा बना हुआ है कि पांच सेर तक वह अपने निजी कार्य के लिये ले जा सकते हैं।

और भी बहुत सी बातें कही गयीं जिनका उत्तर इधर के भाइयों ने दे दिया है। इसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं और सदन से अनुरोध करता हूं कि इसको पारित करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (बनाये रखने का) विधेयक, १९६१ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो विधेयक की परिधि को भी विस्तृत कर सके और अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत कर देवे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (बनाये रखने का) विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Storage Requisition (Continuance) Bill, 1961] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना, खंड १—२

उत्तर प्रदेश भाडार अधिग्रहण (बनाये रखने का) विधेयक, १९६१

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २१, १९५५

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ को आगे कुछ अवधि तक जारी रखने का,

विधेयक

एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षक

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (बनाये रखने का) अधिनियम, १९६१ कहलायगा।

२—उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९६१" के स्थान पर संख्या "१९६६" रख दी जाय।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या २१,
१९५५ की
धारा १ क
संशोधन

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २, प्रस्तावना और शीर्षक और खंड १ इस विधेयक के अंग मानें जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री धर्मसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (बनाये रखने का) विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Storage Requisition (Continuance) Bill, 1961] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं और कारण यह है विरोध करने का कि यह जो विधेयक श्रीमन्, आया है और जिस पर काफ़ी देर से चर्चा भी इस सदन में चल रही है उसमें सबसे बड़ी ख़ामी यह है कि सरकार के इस कार्य का अगर हम तुलसीदास जी की एक चौपाई में कहें तो वह इस प्रकार होगा—

पेड़ काटि तैं पल्लव सींचा।
मीन जियन हित वारि उलीचा।।

यानी किस प्रकार प्रदेश की अन्न समस्या का समाधान हो इस पर तो सरकार विचार करती नहीं है, विचार इस बात पर करती है कि हम अनाज के लिये भांडार कैसे ले लें। परन्तु जब अनाज ही नहीं होगा तो भांडार लेकर आप करेंगे क्या? प्रदेश में भाव बढ़ता जा रहा है। जब किसान के घर गल्ला आता है तो भाव गिर जाता है और उसके घर से जब अनाज निकल जाता है तो फिर भाव बढ़ जाता है। तो सवाल इस बात का है कि सरकार बनावटी तरीके से, कृत्रिम तरीके से इसकी व्यवस्था किस प्रकार से प्रदेश के सामने रख सकेगी।

श्रीमन्, मैं एक बात आपके द्वारा सदन के सामने और रख दूं कि १९५४–५५ में जब सबसे अच्छी पैदावार प्रदेश में हुई तब सरकार यह विधेयक लायी, उसके दिल में यह शंका पैदा हुई कि इस प्रदेश में कोई गड़बड़ी अनाज में न आये, इसलिये कानून बना दें, और इस साल की फसल भी जब अच्छी हुई है तब फिर वह यह विधेयक लायी। माननीय अध्यक्ष ने भी कहा कि उनके यहां बहुत अच्छी फसल हुई है। उसमें कोई सरकार की अच्छाई नहीं है बल्कि प्रकृति के अनुकूल होने के करण इस साल फसल अच्छी हुई है। तो जब सब से अच्छी फसल होती है उस वक्त इस सरकार के दिल में यह बात आती है कि ऐसी हालत में एक विधेयक भी होना चाहिये जिससे कि अनाज वह इकट्ठा करे और प्रदेश में कोई और आपत्ति अगर आये तो उसको वह उससे दूर करे। बड़ी मुश्किल बात है कि सरकार की पंचवर्षीय योजनायें भी चल रही हैं, अनाज में आत्मनिर्भर होने के लिये बराबर बार-बार कहा जाता है और इन योजनाओं के चलने के बावजूद जब फसल अच्छी होती है तब सरकार के दिल में यह शुबहा होता है कि कहीं अकाल न आ जाय, कहीं अनाज का भाव न महंगा हो जाय। भाव श्रीमन्, इस वक्त इतना सस्ता है कि सस्ते गल्ले की दुकानों की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। माननीय सदस्यों ने भी कहा कि चार सेर तक का गेहूं प्रदेश में बिक रहा है और इसके बाद भी सस्ते गल्ले की दुकानें चल रही हैं। तो यह कृत्रिम घटा-बढ़ी जो प्रदेश में होती रहती है उस कृत्रिम घटा-बढ़ी को समाप्त करने की व्यवस्था करने वाला यह विधेयक नहीं है। ऐसे विधेयक अगर सरकार लायेगी और अपने हाथों में स्टाक ले कर के प्रदेश के भाव को ऊंचा-नीचा करेगी तथा भुखमरी की सही दवा, उसका सही इलाज सोचने की कोशिश नहीं करेगी तो श्रीमन्, कोई भी आदमी इस सदन का ऐसा नहीं होगा जो ऐसे विधेयक को पास करने के लिये कहे।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

श्रीमन्, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि क्या भांडार लेने से या मकान, दूकान लेने से इस अनाज की समस्या का हल हो जायगा। अनाज की समस्या का हल तो तब होगा जब प्रदेश के किसान ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करें, अनाज पैदा करने का इंसेन्टिव भांडार लेने से नहीं होगा। उसके लिये अन्न सेना तैयार करने से होगा। जो परती भूमि पड़ी हुई है उस पर भी ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करने की कोशिश हम करें तब देश में ज्यादा अनाज पैदा होगा और तब गोदाम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब तो सब जगह अनाज मिलेगा। आज सवाल तो इस बात का है कि लाखों लोग जो बेरोजगार हैं उनको काम दिलाने के लिये भूमि सेना बनाकर अनाज उत्पादन करने के लिए अगर सरकार प्रयत्न करती तो हमारी समझ में भी बात आती और मुझे खुशी होती अगर कोई ऐसा विधेयक आता जिसमें सरकार को ऐसी अन्न सेना बनाने की बात करती। लेकिन ऐसा कोई विधेयक नहीं आयेगा। विधेयक आयेगा भांडार अधिग्रहण करने का। भांडार तो आप ले लेंगे लेकिन अनाज कहां से आयेगा? तो मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि सरकार को इस विधेयक को बार-बार सदन के समक्ष लाकर अपने को लज्जित नहीं करना चाहिए, समस्या को समझने में असमर्थ होने का प्रमाण नहीं पेश करना चाहिए कि सरकार समस्या समझती नहीं।

समस्या आज इस बात की है कि प्रदेश के अन्दर पर्याप्त अन्न नहीं है। जब अच्छी पैदावार प्रदेश में होती है जैसे कि ५४, ५५ में हुई थी और ६०–६१ में हुई तब सरकार बराबर ऐसे विधेयक ले आती है। इसका मतलब यह है कि सरकार आज इस बात को स्वीकार करे कि हमारे पास जो योजनायें हैं वह देश को आत्मनिर्भर अन्न के मामले में बनाने के लिये नहीं हैं। इससे यह भी शंका पैदा होती है कि हमारी योजनायें विश्वास के काबिल नहीं हैं। उसी शंका के निवारणार्थ हम यह विधेयक यहां पर लाते हैं। इन सब बातों को सरकार क्यों नहीं कहती ताकि देश के सामने सफ़ाई हो जाय। सरकार को यह मान लेना चाहिये कि सरकार अपनी योजनाओं से देश की जनता को यह विश्वास नहीं दिला सकी कि हमारा देश अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सकेगा। यदि ऐसा सरकार मान ले तो हमें खुशी होगी। अगर सरकार यह नहीं कहती तो इस विधेयक से कोई मतलब निकलता नहीं है।

समाधान इस बात का होना चाहिये कि अन्न के मामले में प्रदेश आत्म निर्भर हो। इस साल अनाज ज्यादा पैदा हो गया है तो आप इस तरह का विधेयक ले आये हैं। किसान कहते हैं कि हम लोगों ने बड़ा परिश्रम किया और प्रकृति भी अनुकूल रही तो ज्यादा पैदावार हो गई। सवाई और ड्योढ़ी उसकी पैदावार हो गई। पहले गेहूं रुपया का २। सेर बिकता था और अब उसका भाव ३।, ३।। और ४ सेर हो गया है। तो इस अधिक परिश्रम करने से उनको क्या लाभ मिला? उनको कोई लाभ नहीं है। उनकी आशाओं पर तो तुषारपात हो गया। जो किसान यह सोचता था कि यदि अनाज ज्यादा पैदा हो जायगा तो उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जायगी और अच्छे उत्पादन से कुछ पैसा भी इकट्ठा कर लेगा तो उस किसान की वह आशा धूलिधूसरित हो गई। अब किसान किस आशा पर अपनी पैदावार बढ़ाये जब कि उसको किसी प्रकार से उसका लाभ प्राप्त न हो। सरकार तो ऐसा विधेयक ले आती है। मैं समझता हूं स्थायी तौर पर इस प्रश्न का समाधान होना चाहिये बजाय इसके कि कुछ पाबन्दी लगाकर कृत्रिम घटा बढ़ी कर के प्रदेश को यह विश्वास दिलाये कि हम जनता की मुसीबत दूर कर देंगे क्योंकि सरकार के पास इतना अनाज भरा हुआ है। सरकार यह प्रयत्न नहीं करती कि देश के किसानों के घर में अनाज का भांडार भरा हो जिससे सरकार को कोठे लेने की जरूरत ही न रह जाय। किसानों को उचित दाम मिलना चाहिये जिससे उनकी जो लागत है वह मिल सके और साथ ही उनके जीवन का निर्वाह हो सके। उनकी लागत और जीवन निर्वाह का समाधान तभी हो सकता है जब उचित दाम स्थिर करने की नीति यह सरकार स्वीकार करे।

(इस समय ४ बजकर १९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

आज यह सरकार राज्य व्यापार चला रही है लेकिन किसानों को उचित दाम दिलाने की बात नहीं सोचती है। किसानों को सही दाम आज नहीं मिलते हैं जो उसकी लागत का खर्चा तथा जीवन निर्वाह के लिये उपयुक्त हो। अगर इस प्रकार से कर दिया जाय तो उन लोगों के लिये कुछ काम हो सकता है। परन्तु सरकार तो मकानों को ले कर अनाज की समस्या का समाधान करना चाहती है। मेरी समझ में यह बात बिलकुल नहीं आती है। दर्द तो सिर में है लेकिन इलाज अंगूठे का हो रहा है। सबसे अधिक आवयश्कता आज इस बात की है कि सरकार दाम की नीति को निर्धारित करे। जनता की लूट खसोट बन्द हो। किसान का कुछ लाभ हो। तभी किसान अधिक अनाज पैदा करने के लिए प्रोत्साहित होगा। तभी वह अधिक अनाज पैदा कर सकेगा। इन कृत्रिम साधनों से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है और न हम अकाल को दूर कर सकेंगे। सही तौर पर यदि इस समस्या का समाधान होगा तो हर जगह अन्न उपलब्ध होगा। तब सरकार के लिये भांडार लेने की बात भी उचित होगी। इसलिये इस विधेयक की समय की अवधि बढ़ाने के मैं बिलकुल खिलाफ हूं। यदि कोई विधेयक आता है तो वह ऐसा होना चाहिये जिससे प्रदेश के लोगों की असल समस्या का समाधान हो। यदि इस प्रकार से कृत्रिम समाधान से इस समस्या को हल करने का प्रयत्न किया जायगा तो इससे जनता की भीषण क्षति होगी।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि सरकार इस विधेयक को वापस ले। इसके पारित होने की जरूरत नहीं है। उस समस्या का सही समाधान तभी हो सकता है जब कि सरकार दाम की नीति को स्थिर करे जिससे उनको ज्यादा दाम मिले। यदि उनको अच्छा मूल्य मिलेगा तो वह अपने खेतों को भी अच्छा बनायेंगे। उनके लिये मूल्य की गारन्टी होनी चाहिये। सरकार के बहुत से कारखाने हैं उन कारखानों की चीजों के दाम ठीक से निर्धारित नहीं हैं। दवा की फैक्टरी जो मद्रास में है, उसकी स्ट्रेप्टोमाइसीन की सूई की लागत का दाम दो आना है जो १२ आने की बिकती है। सरकार के चुर्क के कारखाने का सीमेन्ट ३ रुपये में पड़ता होगा लेकिन ७ रुपये में वह बिकता है लेकिन जब किसानों की पैदावार की बात आती है तब भाव सस्ता हो जाता है। सरकार यह कहती है कि हम को डर है कि कहीं अकाल पड़ जाय तो इसलिये हम मकान लेना चाहते हैं। दर्द कहां है, दवा कहां हो रही है? अब दूसरी तरफ देखा जाय। यह विधेयक ला कर सरकार कहती है कि इसे पास कर दो। अगर हम इसे पास कर दें तो समस्या का समाधान कैसे होगा? आज मन्दी आयी हुई है। किसान का जीना दूभर हो रहा है। मेहनत करके भी वह देश का और अपना हित नहीं कर पा रहा है। उसे अपनी पैदावार का सही भाव नहीं मिल पा रहा है, तो इस किसान विरोधी विधेयक को कैसे पास कर दिया जाय?

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मन्त्री ने कहा था कि हम पहली पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर हो जायंगे अन्न के मामले में, लेकिन पहली योजना समाप्त हुई, दूसरी समाप्त हो गई और अब तीसरी में कहा जा रहा है कि हम आत्मनिर्भर हो जायंगे। हम मान भी लें कि हम आत्मनिर्भर हो जायंगे, तो फिर इस विधेयक की अवधि बढ़ाने की क्या वजह है? या तो इस बात के कहने में दिल में कहीं चोर छुपा हुआ है, कहते तो हैं कि आत्मनिर्भर हो जायंगे लेकिन दिल में सोचते हैं कि योजना तो थोथी है, हम साधन विहीन हैं, और सही तरीके पर काम चल नहीं पा रहा है तो आत्मनिर्भर हो कैसे पायेंगे, और इसीलिये इसकी अवधि तृतीय योजना के अंत तक बढ़ाना चाहते हैं। इसलिये मेरा कहना है कि सरकार अपनी हठवादिता छोड़े। इस विधेयक को जो हमारी सही समस्या के समाधान में सहायक न हो कर बाधक होने वाला है, उसके पारित करने के सम्बन्ध में हठ न दिखावे। इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस विधेयक को पारित न करे।

श्री ऊदल—श्रीमन्, मैं भी इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैंने श्रीमन्, मंत्री जी से दो सवाल पूछे थे। पहला सवाल यह था कि लेवी स्कीम के अन्तर्गत जो किसान दूसरी जगह से जाकर वहां खेती करते हैं उनको क्या उस स्कीम से मुक्त किया जायगा और क्या

[श्री ऊदल]

वे अपनी पैदावार अपने घरों में ला सकते हैं ? इसके उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि हम दोहरी नीति नहीं चाहते। उन को मुक्त कर देने से और लोगों पर ग़लत असर पड़ेगा और लेवी ठीक से वसूल नहीं होगी। मंत्री जी के उस उत्तर से मैं सहमत नहीं हूं और मैं चाहता हूं कि लेवी एरिया में जो बाहर के किसान जा कर खेती करते हैं उनको गल्ला बाहर लाने को छूट दी जाय और इस पर मंत्री जी और सरकार को विचार करना चाहिये। दूसरा सवाल मैंने यह किया था कि जो हमारे किसान हैं और जो अपना गल्ला मंडियों में ले जाते हैं उनका गल्ला बेहिसाब कीमत दे कर आढ़तिये ले लेते हैं और उसका दाम किसान को ठीक नहीं मिल पाता, उसके लिये सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ? उसका उत्तर भी जो उन्होंने दिया और जो यह कह कर टाल दिया कि यह हमारे प्रदेश का और किसानों का दुर्भाग्य है कि यह व्यवस्था यहां है और सरकार इस पर विचार कर रही है कि उसके लिये कुछ किया जाय, यह मैं समझता हूं उचित नहीं है। पता नहीं सरकार क्या विचार कर रही है ? बरसों से यह सवाल आता है और सरकार की ओर से इसके लिये आश्वासन भी दिया गया और सरकार ने कई बार एलान भी किया कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और जल्दी ही इस मसले को तय करेंगे, लेकिन आज तक सरकार की ढुलमुल नीति की वजह से हमारे यहां के करोड़ों किसान आढ़तियों द्वारा लूटे जा रहे हैं, खत्तीदारों द्वारा लूटे जा रहे हैं। आज तक यह मसला तय नहीं हो सका है। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन दोनों प्रश्नों का उत्तर अपने जवाब में देने की कृपा करेंगे।

एक सवाल यह भी है कि जो लेवी स्कीम के इलाके में जो अफसर रखे गये हैं उन्होंने उस कानून को तोड़ मरोड़ कर लागू किया है। उनका कहना यह है कि यह सिर्फ चावल पर है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां के अधिकारी धान को भी, जिससे चावल पैदा होता है, नहीं ले जाने देते हैं। इसलिये सरकार को इन सब बातों पर विचार करना चाहिये और उनका जवाब भी देना चाहिये।

* श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—श्रीमान् जी, मैं भी इस विधेयक का विरोध करता हूं। आज जो सरकार कर रही है उसका न सिर है न पैर है। यह सरकार एक लकीर को पीटती चली आ रही है। इस सरकार को सभी कुछ अधिकार है, वह जो चाहे कर सकती है। १४ साल इस सरकार को राज्य करते हो गये, कोई कार्य वह नहीं कर पायी है और उसकी हर स्कीम फेल हुई है। अगर इस सरकार की समझ में कुछ नहीं आता है तो वह हमसे पूछे, गद्दी को छोड़े और हमको कार्य करने दे, यदि हमें नहीं तो जनता को गद्दी पर बैठने दे। बूढ़े सांड़ की रखवाली की तरह यह सरकार कार्य करती है। इससे देश का भला होने वाला नहीं है। यह सरकार न कुछ करती है न करने देती है। जिस चीज़ पर भी इसने कन्ट्रोल किया उसकी परेशानी बढ़ती गयी।

आज की दुनिया बे कन्ट्रोल, लाल लालमुनिया बे कन्ट्रोल,
देश का शासन बे कन्ट्रोल, राज्य सिंहासन बे कन्ट्रोल,
मगर है राशन पर कन्ट्रोल।
न बुद्धि, वाणी, पर कन्ट्रोल, न जीवन, जवानी पर कंट्रोल,
न आगी पानी पर कन्ट्रोल, न चाल मनमानी पर कन्ट्रोल,
न कौन्हू लीडर पर कन्ट्रोल, नहीं लिडरानी पर कन्ट्रोल,
न उनकी वाणी पर कन्ट्रोल, न उनकी थैली पर कंट्रोल,
न चोरों ,डाकू पर कंट्रोल, न रिश्वत खोरी पर कन्ट्रोल,
न किन्हीं नौकर पर कन्ट्रोल, न किन्हीं आफिसर पर कंट्रोल,
नाक में दम कीन्हीं कन्ट्रोल, बैठ सब कुछ छीन्हीं कन्ट्रोल,
हाय कन्ट्रोल, हाय कन्ट्रोल, हाय कन्ट्रोल।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---यह विधेयक तो गेहूं के स्टोरेज के लिये है।

श्री बंशीधर शुक्ल---श्रीमन्, कन्ट्रोल की बात भी उसमें आई है इसलिये पुरानी बात को दोहरा दिया है। एक बात और कहूंगा :---

५५ का धोती का जोड़ा, ७५ का बिका कफन,
एक सेर का आटा बेचा, घी के हैं दुर्लभ दर्शन।
दो रुपये की शकर सेर भर, २३ की बुरिया सीमेन्ट,
तेल बिका १० आने बोतल, त्राहि त्राहि करता सर्वेन्ट।
यह हुकूमत आई जिसकी फूंक सरकती है हस सूं,
ऐसी बातें कहते हैं, कि इस राज्य की कुकरूं कूं।

श्री अध्यक्ष---इस तरह की कविता करना या बातें करना आप के लिये उचित नहीं है क्योंकि आप तो राष्ट्रीय कवि के समान हैं। आपको तो उच्च प्रकार की कविता कहनी चाहिये, इस तरह से मुर्गे की बोली नहीं बोलना चाहिये।

श्री बंशीधर शुक्ल---श्रीमान जी, पिछले वर्ष कुछ मक्का खरीदी गई। पलिया स्टेशन पर जगह नहीं थी, इसलिये मालगोदाम में उसको भर दिया गया। बरसात आई और वे सब बोरे सड़ गये। एक दिन उसमें से एक बन्दर ने कुछ खा लिया। वह बन्दर उसको खाकर मर गया। उसको फिर किसी ने खरीदा नहीं और वह सब बेकार सड़ कर चली गयी। इससे माड़ी आदि बनाने के लिये फिर वह दे दी गयी। तो इसी तरह से यह सरकार गल्ले की खरीद करके उसको बरबाद करती है। विदेशों से आप मांगते हैं कि हमको कर्ज दीजिये, हमारा देश कंगाल है, किन्तु इसके लिये इनको शर्म नहीं आती। हमने तो अपने को ही गिरों रख दिया है कि ३६ साल कर्जा चुकाते जांय तब भी अदा नहीं हो सकता। आपने नौकर बढ़ाये, अफसर और आफिस बढ़ाये और थोड़ी सी आपकी भी चटपटी चाह बढ़ गई। जहां तक गल्ले की बात है, मेरा अकेला जिला ऐसा है कि पूरे सूबे की भुखमरी समाप्त हो सकती है अगर जंगल विभाग समाप्त कर दिया जाय। एक भी पेड़ नहीं और कहते हैं वन विभाग। अंग्रेजों का तो नाम लिया भी जा सकता है जिन्होंने पुल और बांध बनवाये, लेकिन आपके काम ऐसे हैं कि जनता आप को फूटी आंखों यहां देखना पसन्द नहीं करती। यहां कमी किसी चीज की नहीं है, हमारा देश कंगाल नहीं है। कमी आपके दिमाग की है। जिसके लिये कहते हो, "शस्य श्यामलां" मलयज शीतलाम" और वहां यह भी कहते हो कि अन्न नहीं है, रोटी दो, हम भूखों मर जायेंगे। यह तो वह देश है जहां लोग साखू के फल और आम की गुठली खा कर जिन्दा रहते हैं। तुलसी की पत्ती चबाकर जिन्दा रहते हैं, वहां के लिये विदेश से अन्न की भीख मांगना कहां तक उचित है ? यह आपको शोभा नहीं देता।

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

श्री धर्मसिंह---अध्यक्ष महोदय, जहां तक थर्ड रीडिंग का संबंध है, वैसे तो जहां तक इस विधेयक का संबंध है सरकार की तरफ से सब बातों का जवाब दे दिया गया है, लेकिन तिवारी जी, ऊदल जी और गंगाप्रसाद जी ने कुछ लेवी सिस्टम के बारे में, राप्ती का जो एरिया है वहां की दिक्कतों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सरकार तो अपनी ओर से पूर्णतया संतुष्ट है फिर भी आप लोगों को बुलाकर सोचने विचारने के लिये लेवी स्कीम प्रदेश के हित में है और कोई उससे हानि नहीं होती, क्या प्रबन्ध किया जाय उसके लिये सरकार तैयार है। और कोई खास बात उत्तर देने के लिये नहीं रह गई है। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इसको पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (बनाये रखने का) विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Storage Requisition (Continuance) Bill, 1961] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आगामी कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष--सरकार की तरफ से मेरे पास एक सूचना आई है कि अगर गोवध निवारण विधेयक या सहकारी समिति विधेयक आज ले लिया जायगा तो वह कल सबेरे तक खत्म नहीं होगा। सरकार और सभी लोग कल उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक को लेना चाहते हैं। इसलिये सरकार चाहती है कि इन दोनों विधेयकों को आज प्रारम्भ न किया जाय बल्कि आज का कार्य यहीं पर समाप्त करके कल सुबह क्षेत्र समिति वाला विधेयक ले लिया जाय आप लोग जो संशोधन देना चाहें वह दे सकते हैं और कल से उस पर विचार प्रारम्भ होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--श्रीमन्, आज तो हम लोग इसी में लगे रहे, अब उस पर संशोधन तो कल ही दिये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--आपको आधा घंटा तो यही ज्यादा मिल गया। आप कुछ संशोधन आज शाम तक दे सकते हैं और कुछ कल दे दीजियेगा। मैं आज ६ बजे तक आपके संशोधन ले लूंगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--श्रीमन्, अगर एक दिन गोवध निवारण विधेयक ले लिया जाता तो हम लोगों को संशोधन भी लिखने का समय मिल जाता क्योंकि विधान परिषद् से सैकड़ों संशोधन आये हैं।

श्री अध्यक्ष--बात यह है कि अगर आज उसको शुरू करेंगे तो आध घंटे में खत्म नहीं होगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, जबसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ है तबसे बैल वगैरह बहुत मारे जाने लगे हैं तो उसकी जिम्मेदारी इस सदन पर भी आती है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--श्रीमन्, संशोधन कल तक दिये जा सकते हैं?

श्री अध्यक्ष--आज ६ बजे तक दे सकते हैं और कल भी दे सकेंगे। यह जरूर है कि कल वाले छप नहीं सकेंगे, वह परसों आयेंगे। बीच में भी अगर मैं देखूंगा कि कोई आवश्यक संशोधन विषय से संबंधित होगा तो उसको भी ले सकता हूं। बहरहाल लिबरल एटीट्यूड रहेगा।

स्थायी तथा अन्य समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष--एक चीज और बताना चाहता हूं। श्री गोविन्दसिंह जी कह रहे थे कि स्थायी तथा अन्य समितियों के लिये जो नामजदगियां हुई हैं उनके वापसी के लिये एक रोज बढ़ा दिया जाय। इस संबंध में शायद कुछ बातचीत भी चल रही है और इसमें सरकारी पक्ष को भी एतराज नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव उधर का भी था। इसका श्रेय केवल मुझे ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष--ठीक है, प्रस्ताव सबकी तरफ से था। तो इस संबंध में मैं कल शाम चार बजे तक का समय दे देता हूं। इसलिये ४ बजे तक, ५ बजे तक नहीं, मैं समय रखता हूं ताकि यदि

चुनाव हुआ तो हमें छापने का मौका मिल जाय। लेकिन अगर यह कोशिश हो जाय सब विदड्रा हो जावें, आप थोड़ा सा और समय ले लेवें, तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—गोवध निवारण बिल अब कब लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—अगर १२ तक नहीं लिया जा सकेगा तो इसका नतीजा यह होगा कि अगले सत्र में होगा। अगर आप लोगों की बैठने की इजाजत होगी तो सरकार को भी बैठना पड़ेगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं एक बात जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—हां कहिये।

श्री प्रतापसिंह—ऐजेंडे पर सहकारिता बिल चढ़ा हुआ है। क्या हम यह समझें कि वह इस सत्र में नहीं आवेगा ?

श्री अध्यक्ष—मालूम तो ऐसा ही होता है। गोवध का ही आजावे तो बहुत समझना चाहिये।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ४० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

राम प्रकाश,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ ;
९ मई, १९६१।

———

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०५ पर)

क्रम संख्या	नाम प्रो० बांध	तादाद मुआवजा रु० न० पै०	कब दिया गया
१	मझगवां बांध ..	१४८२८.०७	सन् ५८–५९ से ६०–६१
२	बघेलखंड बांध ..	२०५९३.३३	सन् ५६–५७ से ६०–६१
३	गिरगिटही बांध ..	२२३९४.३३	सन् ५९–६० से ६०–६१
४	खरमान बांध ..	१३४४२.९२	सन् ५८–५९ से ६०–६१
५	भगवानपुर बांध ..	८२५८.४०	सन् ६०–६१।

विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९५–९६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०६–१०७ पर)

सूची 'क'

क्रम-संख्या	नाले का नाम	खर्चा रुपये में
१	हंसपुरा नाला	३,८६३
२	ब्रहरावती नाला	१०,४२७
३	अरदाया नाला	९,२२८
४	निनवाया नाला	२,४१६
५	मिलावटी नाला	६,४५९
६	लोहकरारा नाला	२१,५३९
७	नयाबांस नाला	९,८४४
८	निपवार नाला	५,६८४
९	हंसेना नाला	१६,०००
१०	नूरपुर नाला	६,७०३
११	ब्रेमन टीकरी नाला	१९,३४७
१२	किरावली नाला	१२,३९६
१३	गोपऊ नाला	२१,८६०
१४	अबुहापुर नाला एक्सटेंशन	४९१
१५	खेरिया बिलोच नाला	१,७७०
१६	जाजऊ नाला	२,८६८
१७	गिबन्स नाले को चौड़ा करना	६४,५६५
१८	मईबुजुर्ग नाला	२,८१७
१९	चांदो नाला	३,०३०
२०	हंसेला कट	६,१६०
२१	वियारा नाला	५,२५८
२२	सरेन्डा नाला एस्सटेंशन	५७१
२३	जंखेरा नाले का पुनरुद्धार	५,५००
२४	सिकरौंदा नाला एक्सटेंशन	३,४१५

सूची 'ख'

१	मील १–७–०	११	मील १५–१–५६०
२	मील ३–१–४०	१२	मील १६–२–३३०
३	मील ५–३–५००	१३	मील १६–५–३३०
४	मील ६–३–५५०	१४	मील १८–६–०
५	मील ७–२–५५०	१५	मील २१–३–१३०
६	मील ९–१–५६०	१६	मील २३–१–१००
७	मील ९–७–६००	१७	मील २५–७–३६५
८	मील ११–४–१६०	१८	मील २८–५–५००
९	मील १२–१–१६५	१९	मील २९–५–२६०
१०	मील १४–२–१००	२०	मील ३०–५–४३०

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८ पर)

योजना	चालू नलकूप	बन्द नलकूप	योग	लागत
				रुपया
१—अफजलगढ़ ..	२	..	२	९०,०००.००
२—गंगाखादर ..	६	१८	२४	४९८,१०६.१२
३—काशीपुर ..	८	५	१३	६४५,७९२.००
४—तराई ..	२२	२	२४	६०७,०००.००
कुल ..	३८	२५	६३	१८,४०,८९८.१२

नथी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११३ पर)

योजना का नाम	अनुमानित लागत (रुपये में)	लम्बाई मील	लाभान्वित क्षेत्र (एकड़ में)	विवरण
१—कूड़ा नदी के बांयें किनारे और घोघी नदी के दाहिने किनारे पर बांध ।	८,५८,३७५	२७	२०,०००	निर्माण हो चुका है ।
२—कूड़ा नदी के किनारे गोबर्धनपुर बांध ।	३,१७,१८७	६–४	३,९६१	प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०—ई० पी० ८८ एल० ए०—१९६१—८४५ ।